वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

जीवन के हर पहलू का विकास

दिल्ली विकास प्राधिकरण

श्री अनिल बैजल, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा तिलपथ वैली जैव–वैविध्य पार्क का लोकार्पण

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

विषय सूची

1.	दि. वि. प्रा.: दिल्ली की विरासत का पथ प्रदर्शक	2-3
2.	वर्ष की उपलब्धियाँ	4
3.	प्राधिकरण का प्रबंधन–तंत्र	5
4.	योजना, वास्तुकला और भू–दृश्य विभाग	6-16
5.	अभियांत्रिकी एवं निर्माण कार्यकलाप	17-22
6.	उद्यान–राजधानी को हरा–भरा बनाना	23
7.	भूमि प्रबंधन एवं भूमि निपटान विभाग	24-26
8.	आवास विभाग	27
9.	प्रणाली विभाग	28-31
10.	खेल विभाग	32-35
11.	वित्त एवं लेखा विंग	36-39
12.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	40-41
13.	विधि विभाग	42
14.	सतर्कता विभाग	43-44
15.	नजारत शाखा	45-47
16.	कोटि आश्वासन कक्ष	48-49

दि.वि.प्रा. :
दिल्ली की विरासत का पथ प्रदर्शक

1

विश्व के निरंतर आबाद होते रहने वाले शहरों में दिल्ली एक प्राचीनतम शहर है, जिसका ध्यान रखने का उत्तरदायित्व हमें गर्व से भर देता है। चूँकि यह एक वांछनीय कर्तव्य है, इसलिए यह हमसे संपूर्ण समर्पण की अपेक्षा रखने वाली भारी जिम्मेदारी भी है। भविष्य पर अपनी दृष्टि रखते हुए एवं अतीत के हज़ारों वर्षों का प्रबंधन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण समकालीन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए समय के साथ–साथ इस शाश्वत शहर की बदलती हुई आवश्यकताओं पर ध्यान देता रहा है।

दिल्ली की गाथा इंद्रप्रस्थ से आरंभ होती है, जब पांडवों और कौरवों के बीच विवाद के परिणामस्वरूप पांडवों द्वारा पाँच गांव की माँग की गई थी। बाद में राजा सूरजमल के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी और पृथ्वीराज चौहान के शासन में गढ़ के रूप में स्थापित हुई। गुलाम वंश से खिलजी वंश तक और तुगलक से मुगलों तक के सम्राटों और साम्राज्यों के राज्यारोहण ने 'दिल्ली' को भारत के मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख शहर के रूप में स्थापित किया। यह शहर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन उस समय आया, जब अंग्रेज़ों ने सन् 1911 में कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस शहर ने जो प्रतिष्ठा उस समय अर्जित की थी, वह अभी तक कायम है क्योंकि दिल्ली स्वतंत्र भारत की ख्याति प्राप्त राजधानी बनी हुई है। प्रांरभ में उत्तरी रिज को भारत की राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया गया था, किन्तु बाद में इसकी अवस्थिति बदलकर रायसीना हिल्स के आस–पास का क्षेत्र कर दिया गया। एडवर्ड लुटियन और हरबर्ट बेकर वे सुप्रसिद्ध ब्रिटिश नगर योजनाकार थे, जिन्होंने सन् 1912 में जब नई दिल्ली की रूप–रेखा तैयार की, तो दिल्ली को एक महानगर के रूप में विलक्षण विशेषता और भव्यता प्रदान की है।

सन् 1922 में, एक छोटे–से नजूल कार्यालय का गठन दिल्ली कलेक्ट्रेट में किया गया जिसमें 10 से 12 कर्मचारी थे। यह शहर के नियोजित विकास को नियंत्रित करने वाला प्रथम प्राधिकरण था। सन् 1937 में नजूल कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर सुधार न्यास कर दिया गया, जिसका गठन भवन–निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने और भूमि उपयोग को नियमित करने के लिए संयुक्त प्रांत सुधार अधिनियम 1911 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया। सन् 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, दिल्ली बड़ी संख्या में प्रवासियों के आगमन का साक्षी बना। इसकी जनसंख्या 7 लाख से बढ़कर 17 लाख तक पहुंच गई, जिससे शहरी आधारिक संरचना की भारी कमी हो गई और नागरिक सेवाएं वास्तविक रूप में विफल हो गईं। बड़ी संख्या में प्रवासियों को खुले स्थानों में रहने के लिए विवश होना पड़ा। परिणामतः शहर के नियोजित विकास की नई दिशा तथा आवश्यकता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

दिल्ली सुधार न्यास तथा नगर निकाय – ये दोनों स्थानीय निकाय उस समय बदलते हुए परिदृश्य का सामना करने के लिए सक्षम नहीं थे। दिल्ली के तीव्र और अव्यवस्थित विकास को नियोजित और नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने सन् 1950 में जी. डी. बिड़ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने दिल्ली के समस्त शहरी क्षेत्रों के लिए एक एकल नियोजक एवं नियंत्रक प्राधिकरण की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप योजना के अनुरूप दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य से दिल्ली (भवन निर्माण कार्य नियंत्रण) अध्यादेश, 1955 (जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के रूप में परिवर्तित किया गया) को लागू करते हुए दिल्ली विकास (अनंतिम) प्राधिकरण (डी.डी.पी.ए) का गठन किया गया। तत्पश्चात् 27 दिसंबर, 1957 को दिल्ली विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया और दिल्ली के नौवें निर्माता के रूप में अपना ऐतिहासिक उत्तरदायित्व संभाला।

प्रांरभ में, दि. वि. प्रा. के पास अनुसरण के लिए कोई मानदण्ड अथवा योजना नहीं थी। इसके पश्चात शहर के सुव्यवस्थित तथा संरचनाबद्ध विकास के लिए दि. वि. प्रा. ने वर्ष 1982 तक के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1962 में दिल्ली की मुख्य योजना बनाई। बाद में यह मुख्य योजना अन्य शहरों द्वारा अपनाए जाने का मुख्य आधार एवं उदाहरण बनी। इस मुख्य योजना की मुख्य विशेषताओं में ऐसी भूमि का निर्धारण करना था, जिसे आवासीय क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा सके और व्यावसायिक उपयोगों के लिए पर्याप्त स्थान तथा सहायक आधारिक संरचनाएं उपलब्ध कराकर स्वतः सुविधाओं वाली कॉलोनियों को विकसित किया जा सके। इस मुख्य योजना में वर्ष 2001 तक के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक संशोधन किए गए तथा इसे वर्ष 1990 में लागू किया गया। इस योजना में 2021 तक की अवधि के परिप्रेक्ष्य में दूर–दृष्टि तथा नीति संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्यापक संशोधन किए गए और 7 फरवरी, 2007 को इसे अधिसूचित किया गया। मुख्य योजना को बदलते समय के अनुकूल बनाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर इसकी समीक्षा करने का निर्णय किया गया।

अपने विश्व स्तर के नगर योजनाकारों की सहायता से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली को धीरे–धीरे एक वैश्विक महानगर बना दिया है। मुख्य योजना बनाने के अतिरिक्त दि.वि.प्रा. ने अनेक महत्वपूर्ण पहल

महरौली पुरातात्विक पार्क

की शुरूआत की, जो आज भारत के शहरी विकास के मानकों के रूप में कार्य कर रही हैं। दि. वि. प्रा. क्षेत्रीय योजनाएं, कार्य क्षेत्र योजनाएं तथा शहरी विस्तार परियोजनाएं भी तैयार करता है। इसके कार्यक्षेत्र में आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक परिसर, कार्यालयी स्थान, भूमि विकास, परिवहन, आधारिक संरचना, दिल्ली में विरासत स्थलों का निर्धारण एवं संरक्षण, खेल परिसर, खेल मैदान, गोल्फ कोर्स, पर्यावरण की सुरक्षा, हरित पट्टियों एवं वन इत्यादि को संरक्षित रखना शामिल है। दि. वि. प्रा. की विचारपूर्ण पहल एवं प्रयासों से दिल्ली को विश्व की हरित राजधानी के रूप में पहचान मिली है। दि. वि. प्रा. ने 5,050 हेक्टेयर हरित क्षेत्र का विकास किया है, जिसमें 4 क्षेत्रीय पार्क, 25 नगर वन, 111 जिला पार्क, 255 समीपवर्ती पार्क, 15 खेल परिसर, 3 लघु खेल परिसर, 2 गोल्फ कोर्स, 11 छोटे फुटबॉल मैदान और 26 खेल मैदान शामिल हैं।

दि. वि. प्रा. हरित पट्टियों के निर्माण के अतिरिक्त ने दिल्ली जैव–विविधता फाउंडेशन की स्थापना कर शहर के प्राकृतिक संसाधनों और हरियाली के भविष्य को संपोषित करने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाया है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जैव–वैविध्य स्थलों की समृद्ध पारिस्थितिकी और प्राकृतिक जैव–वैविध्य विशेषता को संरक्षित रखना है। इस फाउंडेशन ने अपनी तरह का पहला जैव वैविध्य उद्यान तैयार किया है, जिसमें से 06 उद्यानों का विकास दि. वि. प्रा. द्वारा जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा वन्य जीवों के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त वैज्ञानिकों के दल से तकनीकी सहायता प्राप्त करके किया जाएगा। दिल्ली को वैश्विक विशिष्टता प्रदान करने के लिए दि. वि. प्रा. ने शहरी आधारिक संरचनाओं के विकास संबंधी अपने कार्यों के अतिरिक्त नागरिकों की परिवहन तथा प्रतिदिन की यात्रा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए अन्य कार्य भी किए हैं। दि. वि. प्रा. ने सड़कों, राजमार्गों और संबंधित आधारिक संरचना की योजना बनाने और आवागमन बढ़ाने, भीड़ कम करने तथा सुगम यातायात बढ़ाने के लिए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना योजना और अभियांत्रिकी केंद्र (यूटीपैक) का गठन किया है। दि. वि. प्रा. ने जन सेवाओं को बेहतर, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन–लाइन सेवाओं का आधुनिकीकरण भी किया है।

दि. वि. प्रा. की पहल और उपलब्धियों के संचयी प्रयासों ने शहर को स्पष्टतया एक गतिशील, जीवंत, वैश्विक महानगरीय शहर में परिवर्तित किया है, जो भारत के गौरव के रूप में निर्बाध परिवर्तित, रूपांतरित, वृद्धिरत और उद्दीप्त हो रहा है। दि. वि. प्रा. खेल सुविधाओं के विकास और हरियाली को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में भी प्रत्येक कल्पित रूप में जिंदगी को छूते और बदलते हुए निर्विवाद रूप से अग्रणी बन गया है।

इंद्रप्रस्थ पार्क

वर्ष की उपलब्धियाँ

2

वर्ष 2017–18 के दौरान, दि. वि. प्रा. ने व्यवस्थित रूप से सुधार करने हेतु कई कदम उठाए और अनेक नवीन पहल भी शुरू कीं। इसमें से कुछ निम्नानुसार हैंः–

1. लैंड पूलिंग नीति सरल की गई। लैंड पूलिंग शाखा के कार्यों और उत्तरदायित्वों के आधार पर दि. वि. प्रा. में संरचना और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया गया। लैंड पूलिंग योजना जोन हेतु सीमलैस राजस्व नक्शा तैयार किया गया।
2. यमुना नदी के पुनरूद्धार और जीर्णोद्धार (ए.एस.आई.टी.ए.) के लिए संकल्पनात्मक विकास डिजाइन तैयार किया गया।
3. विभिन्न जोनों में 67,774 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं, जिनमें 28,379 से अधिक एल.आई.जी. एवं 25,829 ई.डब्ल्यू.एस/जनता आवासीय इकाइयां शामिल हैं।
4. 10 सामुदायिक भवनों का निर्माण पूरा किया गया, 21 का कार्य चल रहा है, 23 योजना स्तर पर हैं और 13 संकल्पनात्मक स्तर पर हैं।
5. विद्यमान तीन व्यावसायिक केंद्रों, नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस और बसंत लोक सामुदायिक केन्द्र की सुधार योजना को अंतिम रूप दिया गया।
6. प्रायोगिक परियोजना का निर्माणः– कठपुतली कॉलोनी स्थित स्लम आबादकारों का स्व–स्थाने पुनर्वास शुरू किया गया।
7. दि. वि. प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण की निगरानी करने और अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए त्वरित कार्य दल का गठन किया गया।
8. तिलपत वैली जैव–वैविध्य उद्यान राष्ट्र को समर्पित किया गया।
9. पानी के बिलों के ऑनलाइन भुगतान हेतु वेब आधारित एप्लीकेशन डिजाइन, विकसित और लागू की गई।
10. सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मोबाइल ऐप डी डी ए 311 शुरु किया गया।
11. दि. वि. प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन विकसित करने हेतु 'इसरो' से संपर्क किया गया।

श्री अनिल बैजल, उपराज्यपाल, दिल्ली तिलपथ वैली जैव–वैविध्य उद्यान दिल्ली के निवासियों को समर्पित करते हुए।

प्राधिकरण का प्रबंधन–तंत्र

3

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–3, के अंतर्गत किया गया। यह एक निगमित निकाय है, जिसके पास संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, और उसका निपटान करने की शक्ति है। श्री अनिल बैजल दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। श्री अनिल बैजल, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 31.12.2016 को दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री अनिल बैजल के पास सचिव (शहरी विकास), भारत सरकार, उपाध्यक्ष दि. वि. प्रा., मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अन्य कार्यों के अतिरिक्त प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार भी रहा है। श्री बैजल ने राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सलाहकार समूह (एन.ए.जी) विद्युत, कोयला और अक्षय ऊर्जा एकीकृत विकास सलाहकार समूह और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यान्वयन समिति के सलाहकार होने के अलावा विचार मंच में कार्यकारी परिषद और मल्टीपल कॉर्पोरेट बोर्ड में भी कार्य किया। वर्ष के दौरान प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार से है:–

3.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

क्र. सं.	नाम	अवधि
1.	**श्री अनिल बैजल,** उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि. वि. प्रा.	01.04.2017 से 31.03.2018 तक
2.	**श्री उदय प्रताप सिंह** उपाध्यक्ष	01.04.2017 से 31.03.2018 तक
3.	**श्री संतोष कुमार** स्थानापन्न (वित्त सदस्य)	01.04.2017 से 23.06.2017 तक
4.	**श्री के. विनायक राव** वित्त सदस्य	24.06.2017 से 31.03.2018 तक
5.	**डॉ. महेश कुमार** अभियंता सदस्य	01.04.2017 से 22.12.2017 तक
6.	**श्री जयेश कुमार** अभियंता सदस्य	28.12.2017 से 31.03.2018 तक
7.	**श्री दुर्गा शंकर मिश्रा** अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	01.04.2017 से 26.06.2017 तक
8.	**श्री मनोज कुमार,** अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	11.08.2017 से 31.03.2018 तक
9.	**श्री बी. के. त्रिपाठी,** सदस्य सचिव एन. सी. आर. प्लानिंग बोर्ड	01.04.2017 से 31.03.2018 तक
10.	**श्री विजेन्द्र गुप्ता,** विधायक	01.04.2017 से 31.03.2018 तक
11.	**श्री सोमनाथ भारती,** विधायक	01.04.2017 से 31.03.2018 तक
12	**श्री एस. के. बग्गा,** विधायक	01.04.2017 से 31.03.2018 तक
13	**श्री ओ. पी. शर्मा,** विधायक	01.04.2017 से 31.03.2018 तक
14	**श्रीमती वीणा विरमानी,** निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम	04.09.2017 से 31.03.2018 तक
15	**श्रीमती भावना मलिक,** निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम	06.10.2017 से 31.12.2017 तक

3.3 दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य

यह निकाय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा – 5 के अंतर्गत गठित है। यह प्राधिकरण को मुख्य योजना तैयार करने और योजना एवं विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों अथवा इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में उठने वाले मामलों, जो प्राधिकरण इसे भेजता है, पर सलाह देता है। वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद का गठन निम्नानुसार रहा:–

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

लोकसभा के सदस्य

श्री रमेश बिधूड़ी : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

राज्य सभा के सदस्य

श्री प्रभात झा : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

सदस्य

श्री रमेश पंडित : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

श्री मीर सिंह : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

श्री सुनील बजाज : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

श्री आर.के. कक्कड़ : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

श्री अशोक खुराना : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

अध्यक्ष, सीईए : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

महानिदेशक (रक्षा सम्पदा) रक्षा मंत्रालय : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

अपर निदेशक (जन.) (आरडी) : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

महाप्रबंधक (विकास), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी (दि.न.नि.) : 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

योजना, वास्तुकला और भू–दृश्य विभाग

4

4.1 योजना विभाग

4.1.1 मुख्य योजना अनुभाग

• नीति तैयार करने/संशोधन करने का कार्य प्रक्रियाधीन है:

– सूचना प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल करने हेतु उद्योग संबंधी अध्याय में संशोधन।

– असंगत क्षेत्रों में विद्यमान गोदाम समूहों के पुनर्विकास के संबंध में नीति।

– दिल्ली मुख्य योजना–2021 में दुकान एवं आवासीय प्लॉटों के विकास नियंत्रक मानदण्डों में प्रस्तावित संशोधन।

– निजी रूप से स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को समर्थ बनाने हेतु प्रारूप नीति एवं विनियमन।

– दि. मु. यो.–2021 में संशोधनः दि.मु.यो.–2021 में नौ (09) संशोधनों वाली पाँच (05) सार्वजनिक सूचनाएँ एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के नौ (09) मामलों हेतु नौ (09) सार्वजनिक सूचनाएँ दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी की गई।

• तकनीकी समिति की सात (07) बैठकें आयोजित की गई।

4.1.2 लैंड पूलिंग नीति

• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने दिनांक 16.05.2017 की अधिसूचना द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 507 के अंतर्गत शहरी गाँवों के रूप में 89 गाँवों को अधिसूचित किया तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अंतर्गत दिनांक 16.06.2017 को दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के रूप में 95 गाँवों को अधिसूचित भी किया गया।

• लैंड पूलिंग नीति के अतंर्गत नरेला उप नगर (जोन पी–I) में बिना अधिग्रहित की हुई खाली पड़ी भूमि के विकास को अनुमति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसे दिनांक 21.12.2017 को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

• लैंड पूलिंग कक्ष के कार्यों और उत्तरदायित्वों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में संरचना और कर्मचारियों की आवश्यकता को अंतिम रूप दिया गया।

4.1.3 एकीकृत यातायात और परिवहन आधारित संरचना योजना और आभियांत्रिकी केंद्र (यूटीपैक)

• इंटीग्रेटिड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलमेंट और स्ट्रीट नेटवर्क/कनेक्टिविटी प्लानः

– कॉरिडोर नेटवर्क (प्रगति मैदान) हेतु यातायात और व्यवहार्यता अध्ययन आधारित सभी चौराहों और बीच के रास्तों के विस्तृत डिजाइन सहित कॉरिडोर/प्रभाव जोन हेतु।

– कॉरिडोर हेतु (क) बाहरी रिंग रोड से मोदी मिल फ्लाई ओवर तक और आई.आई.टी. गेट तक तथा (ख) रिंग रोड पर भैरों मार्ग 'टी' जंक्शन से डी.एन.डी. चौराहे तक।

– पुराने यमुना पुल से दिल्ली–उ. प्र. बॉर्डर (अप्सरा बॉर्डर) तथा जी.टी. रोड पर शास्त्री पार्क जंक्शन स्थित फ्लाई ओवर हेतु।

– खजूरी खास चौक से होते हुए शास्त्री पार्क से सबापुर बॉर्डर तक पुश्ता रोड के कॉरिडोर के प्रभाव जोन हेतु।

• डी.एम.आर.सी. द्वारा विद्यमान मेट्रो स्टेशनों – शास्त्री नगर, जहाँगीर पुरी, करोल बाग, नई दिल्ली, द्वारका मोड, नेहरू प्लेस, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, कश्मीरी गेट हेतु मल्टी मॉडल–इंटीग्रेशन (एम.एम.आई) परियोजनाएँ।

• राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एन.आई.यू.ए.) के साथ परामर्श से ट्रांजिट ओरिएंटेड डेलवमपेंट (टी.ओ.डी.) नीति और टी.ओ.डी. विनियमों से संशोधन प्रक्रियाधीन है।

• प्रदर्शनी एवं सभा केंद्र (ई.सी.सी.), सेक्टर–25 द्वारका के विकास हेतु यातायात अध्ययन।

• उत्तरी महिपालपुर बाईपास रोड और हनुमान मंदिर के निकट एयरपोर्ट रोड के बीच फ्लाई ओवर/अंडर पास संपर्क मार्ग।

• अरबिंदो मार्ग (अरबिंदो चौक से अंधेरिया मोड़ तक)–अरबिन्दो चौक, अधचीनी 'टी' प्वाइंट और अंधेरिया मोड़ पर तीन चौराहों का सुधार कार्य।

4.1.4 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस)

• लैंड पूलिंग इकाई, योजना विभाग, दि.वि.प्रा. के राजस्व कर्मचारियों की सहायता से लैंड पूलिंग योजना जोन एल एवं के–I हेतु सीवन रहित (सीमलैस) राजस्व बेस मैप को तैयार करना। जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर जोन एल (30 गाँव) और के–I (20 गाँव) के कुल 48 (50 में से) राजस्व गाँवों की जी.आई.एस. मैपिंग पूरी हो चुकी है और यह कार्य अंतिम सुधार/प्रमाणीकरण हेतु दिल्ली सरकार को सौंपा गया है।

• जोन पी–II के प्रारूप जी.आई.एस. मैप पर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा की गई शुद्धि को अद्यतन करने का कार्य शुरू किया गया है।

• ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी से संबंधित विभिन्न मैपिंग कार्य जैसे महरौली–गुरूग्राम रोड के आस–पास टी.ओ.डी. जोन मैपिंग, मेट्रो स्टेशनों और कॉरिडोरों के संबंध में दिल्ली में टी.ओ.डी. प्रभाव जोन विश्लेषण।

4.1.5 दिल्ली मुख्य योजना–2021 में संशोधनों की कार्रवाई करना और विभिन्न योजना इकाइयों द्वारा ले–आउट प्लान तैयार करना

योजना जोन/परियोजना	स्कीम/ले-आउट प्लान/जोनल प्लान समिति द्वारा ले आउट प्लान में संशोधन	तकनीकी समिति द्वारा विचार किए गए प्रस्ताव	प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए प्रस्ताव	दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के अनुसार अधिसूचित भूमि उपयोग परिवर्तन
ए और बी (चार दीवारी शहर, करोल बाग एवं शहरी विस्तार)	..	* *	..	..
सी (सिविल लाइन जोन)	..	..	02	..
एफ (दक्षिणी दिल्ली)	05	01	04	..
एच (पार्ट)–(उत्तरी–पश्चिमी दिल्ली)	03	..	01	01
डी (नई दिल्ली)	..	06	03	02
ई (यमुना पार क्षेत्र)	04	..	..	..
जे (दक्षिणी दिल्ली)	01	..	..	..
रोहिणी परियोजना (जोन–एम एवं एच पार्ट)	06	..	..	..
द्वारका परियोजना	13	01	..	..
नरेला परियोजना (जोन पी–। एवं पी –।।)	03	..	..	..

अन्य कार्रवाई:–

i) न्यायालय के निदेशों के संबंध में योजना जोन ए, बी, सी एवं जी में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हेतु स्थलों की पहचान।

ii) योजना जोन ए, बी, सी एवं जी में पार्किंग स्थलों (सतही/बहु–स्तरीय/आयडल) पार्किंग स्थलों की पहचान।

iii) दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अनुसार जोन 'डी' (लुटियंस बंगला जोन को छोड़कर) की ड्राफ्ट क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की गई और जनता से 45 दिनों की अवधि के अंदर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 15.03.2017 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई।

iv) 1639 अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित निरीक्षण कार्य दिल्ली सरकार द्वारा नियमन के लिए प्रस्तुत किया गया।

v) उच्च सघनता मिश्रित उपयोग विकास के रूप में नरेला परियोजना में खाली पड़ी हुई भूमि की योजना बनाने और डिजाइन तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आर.एफ.पी. तैयार करने के लिए जानकारी।

4.1.6 भवन अनुभाग

क: ऑफ लाइन भवन परमिट (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017)		
क्र. सं.	कार्यकलाप	
1.	**समापन प्रमाणपत्र जारी करना** 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान जारी समापन प्रमाणपत्र	17
2.	**संस्वीकृत किए गए भवन नक्शे** 1.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान संस्वीकृत भवन नक्शे	57

ख: ऑनलाइन भवन परमिट प्रस्ताव (अगस्त, 2017 से मार्च 2018 तक)					
अवधि	कुल प्राप्त प्रस्ताव	प्रक्रियाधीन प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	आपत्ति किए गए प्रस्ताव	अस्वीकृत प्रस्ताव
1.9.17–31.3.18	126	37	72	17	शून्य

4.1.7 सर्वेक्षण इकाई

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों हेतु भूमि की पहचान और आबंटन से संबंधित योजना कार्रवाई हेतु तथा संबंधित कानूनी मामलों से समन्वय।
- एन.जी.टी. के आदेशों के संदर्भ में वाहनों की डंपिंग हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा पहचान की गई भूमि के लिए स्थिति रिपोर्ट।
- योजना इकाइयों द्वारा स्कीमों को तैयार करने के लिए भूमि का वास्तविक सर्वेक्षण।

4.2 वास्तुकला विभाग

वास्तुकला विभाग परियोजना स्कीम की संरचनात्मक भूमि उपयोग योजना का प्रयोग उसके संकल्पनात्मक वास्तुकला डिजाइन और वास्तुकला संकल्पना की कार्यशील ड्राइंग तैयार करने के लिए करता है। वास्तुकला विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:–

1. शहरी डिजाइन/वास्तुकलात्मक स्कीमों (दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार सभी श्रेणियों के आवास, श्रृंखलाबद्ध, गैर–श्रृंखलाबद्ध व्यावसायिक केंद्र) को विकसित करना और उनके विकास नियंत्रण मानदंडों को तैयार करना।

2. विरासत और संरक्षण परियोजनाओं को शुरू करना और तैयार करना।

3. खेलकूद संबंधी परियोजनाओं (खेल परियोजनाओं का डिजाइन तैयार करना)।

4. सामाजिक आधारिक संरचना परियोजनाएं (सामुदायिक सुविधाएं, उन्नयन (अपग्रेडेशन) योजनाएं आदि)।

5. योजना, वास्तुकला और भू–दृश्य विभागों की सभी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए जांच–समिति की बैठकों का आयोजन एवं समन्वय करना।

6. निम्नलिखित से अनुमोदन प्राप्त करना:

- शहरी डिजाइन/वास्तुकला स्कीमों के लिए दिल्ली नगर कला आयोग से।
- सभी विरासत/संरक्षण संबंधी परियोजनाओं के लिए दिल्ली शहरी विरासत प्रतिष्ठान (डी.यू.एच.एफ) से।
- अन्य प्राधिकरणों जैसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी, विमानपत्तन प्राधिकरण, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आदि से।

चूंकि सभी वास्तुकलात्मक कार्य डिजाइन से संबंधित हैं इसलिए प्रत्येक

पृथक परियोजना को कोडल प्रावधानों के अनुसार स्थानीय एजेंसियों से अनुमोदन के विभिन्न चरणों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। वास्तुकला विभाग विभिन्न अन्य विभागों के समन्वय से आवास, सार्वजनिक क्षेत्रों, सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं इत्यादि के लिए विभिन्न नीति बनाने में भी शामिल है।

एच.यू.पी.डब्ल्यू., एच.यू.पी.ए. परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	दिल्ली शहरी विरासत फाउंडेशन अधिसूचना में संशोधन	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रारूप उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा इसे सही किया जा रहा है।
2	निजामुद्दीन बस्ती शहरी नवीकरण परियोजना	55 परिवारों के पुनः स्थापन के पश्चात फेज–II का कार्य शुरू किया जा सकता है।
3	पुरानी ऐतिहासिक हरदयाल म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी चांदनी चौक का नवीकरण और सुधार	किए गए कार्य की नवीनतम स्थिति/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दि.न.नि. को अधीक्षण अभियंता एन.डी.–2/दि.वि.प्रा. द्वारा दिनांक 06.09.2017, 03.11.2017, 15.02.2018, 06.03.2018 के विभिन्न पत्र जारी किये गये। हालांकि स्थिति रिपोर्ट उत्तरी दि.न.नि. के पास लंबित है।
4	एंग्लो अरेबिक स्कूल, अजमेरी गेट के विरासत भवन का संरक्षण (चरण–IV कार्य) कार्य की प्रगति	इसे डी.यू.एच.एफ. की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
5	सुंदर नर्सरी में गार्डन हाउस	जाँच समिति के निर्णय के साथ 16, मई 2017 का पत्र एस.डी.एम.सी को उनके द्वारा कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया। इस परियोजना के संबंध में इस कार्यालय में कुछ लंबित नहीं है।
6	गुज्जर भवन	संरचनात्मक विशेषज्ञों के साथ 13 अप्रैल, 2018 को स्थल का दौरा किया गया। संरचनात्मक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
7	सेंट जेम्स चर्च, कश्मीरी गेट	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात फरवरी/मार्च 2018 में डी. यू. एच. एफ. की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
8	महरौली पुरातात्विक पार्क	माननीय उपराज्यपाल के निदेशों के अनुसार उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया और इसकी अब तक आयोजित दो बैठकों में महरौली पुरातत्व उद्यान की सीमा के सीमांकन/रेखांकन; महरौली पुरातत्व उद्यान में सभी स्मारकों की सूची, लंबित न्यायालयी मामलों, उद्यान की सुरक्षा; आगंतुकों के लिए शौचालयों, उद्यान में जलाशयों के रख–रखाव से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।
9	सुल्तान गढ़ी पुरातात्विक पार्क	• जाँच समिति की बैठक में व्यापक भू–दृश्य डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। • इसके पश्चात इसे एच.सी.सी. के पास अनापत्ति प्रमाणपत्र और एन.एम.ए. के पास अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।
10	अरावली जैव–वैविध्य पार्क	सी.ई.सी. की टिप्पणियों को प्रस्ताव में शामिल किया गया और सी.ई.सी. को आगे प्रस्तुत करने के लिए अभियांत्रिकी शाखा को भेजा गया।
11	संजय झील का विकास	यूटीपैक के साथ समन्वय में एन.बी.सी.सी. द्वारा विकसित आवासीय परियोजना के साथ इस परियोजना को समेकित किया जाना है।

एच.यू.पी.डब्ल्यू आवासीय परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	गाजीपुर नाले से सटे चिल्ला गाँव में 2 बी एच के आवास (डिजाइन एवं निर्माण)	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
2	पॉकेट–2, सैक्टर16 बी द्वारका में 346/ 348 दो बेडरूम वाले बहुमंजिले आवास	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
3	पॉकेट–3, सैक्टर 19 बी द्वारका में 352 दो बेडरूम वाले बहुमंजिले आवास	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
4	बक्करवाला स्थल ए एवं बी पर आवास	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
5	सैक्टर 19 – बी, द्वारका स्थित बहुमंजिले एच.आई. जी. आवास	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
6	मंगला पुरी स्थित दि.वि.प्रा. परियोजना कार्यालय के पीछे सुविधा भवन सहित बहुमंजिले आवास एकीकृत परिसर (स्थल नं. IV)	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।

7	जसोला पॉकेट 9 बी में एस.एफ.एस. आवास।	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
8	सुविधा भवन, द्वारका के साथ बहुमंजिले ई.डब्ल्यू. एस आवास का इंटीग्रेटिड कॉम्प्लेक्स।	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
9	डी–6, वसंत कुंज के पीछे मेगा आवास।	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
10	ए–14, कालका जी एक्सटेंशन में 3000 आवासीय इकाइयों की आवासीय स्व–स्थाने परियोजना।	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
11	डब्ल्यू.पी.सी. सं. 7670/2013 द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भूतल, फ्लैट सं. 283 एस.एफ.एस. आवासीय वसंत एन्क्लेव वसंत विहार के लिए कैट लैडर का प्रस्ताव।	संस्थापना आदेश सं. 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को स्थानांतरित की गई।
12	स्लम निवासियों के स्व–स्थाने पुनर्वास के लिए जेलरवाला बाग, अशोक विहार में 1675 बहु–मंजिली आवासीय इकाइयाँ।	344वीं एस.सी.एम. में अनुमोदित संशोधित स्कीम तैयार की गई।
13	पॉकेट–3, सैक्टर ए1 – ए4, नरेला में 648 दो बेड–रूम, 368 तीन बेड–रूम और 384 ई. डब्ल्यू.एस. आवास।	अनुमोदन के संबंध में संबंधित आभियांत्रिकी शाखा एवं परामर्श –दाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई/समन्वय।
14	पॉकेट–4, सैक्टर ए1 – ए4, नरेला में 512 दो बेड–रूम, 352 तीन बेड–रूम और 320 ई. डब्ल्यू.एस. आवास।	अनुमोदन के संबंध में संबंधित आभियांत्रिकी शाखा एवं परामर्श –दाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई/समन्वय।
15	पॉकेट–6, सैक्टर ए1 – ए4, नरेला में 448 दो बेड–रूम, 232 तीन बेड–रूम और 256 ई. डब्ल्यू.एस.आवास।	अनुमोदन के संबंध में संबंधित आभियांत्रिकी शाखा एवं परामर्श –दाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई/समन्वय।
16	पॉकेट–7, सैक्टर ए1 – ए4, नरेला में 328 दो बेड–रूम, 192 तीन बेड–रूम और 200 ई. डब्ल्यू.एस.आवास।	अनुमोदन के संबंध में संबंधित आभियांत्रिकी शाखा एवं परामर्श –दाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई/समन्वय।
17	पॉकेट–9, सैक्टर ए1 – ए4, नरेला में 576 दो बेड–रूम, 272 तीन बेड–रूम और 320 ई. डब्ल्यू.एस.आवास।	अनुमोदन के संबंध में संबंधित आभियांत्रिकी शाखा एवं परामर्श –दाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई/समन्वय।
18	पॉकेट–11, सैक्टर ए1 – ए4, नरेला में 1808 दो बेड–रूम, 960 तीन बेड–रूम और 1024 ई. डब्ल्यू.एस.आवास।	अनुमोदन के संबंध में संबंधित आभियांत्रिकी शाखा एवं परामर्श –दाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई/समन्वय।
19	पॉकेट–13, सैक्टर ए1 – ए4, नरेला में 776 दो बी. एच. के., 352 तीन बी.एच.के., और 424 ई. डब्ल्यू.एस.आवास।	अनुमोदन के संबंध में संबंधित आभियांत्रिकी शाखा एवं परामर्श –दाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई/समन्वय।
20	पॉकेट–14, सैक्टर ए1 – ए4, नरेला में 536 दो बी. एच. के., 272 तीन बी.एच.के., और 296 ई. डब्ल्यू.एस.आवास।	अनुमोदन के संबंध में संबंधित आभियांत्रिकी शाखा एवं परामर्श –दाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई/समन्वय।
21	राम गढ़ कॉलोनी, जहांगीरपुरी के पीछे खाली पड़ी पॉकेट में ई. डब्ल्यू.एस आवास	योजना निर्माण के अंतिम चरण में है। स्थल के विकास/ऊँचाई विवरण के संबंध में आवश्यक ड्राइंगें उपलब्ध कराई जानी है।
22	आवासीय पॉकेट 8, सैक्टर ए1 से ए4 नरेला में समूह आवास।	दिनांक 08.03.2018 को आयोजित पूर्व–बोली बैठक और दिनांक 05. 04.2018 को आयोजित दूसरी पूर्व बोली बैठक के प्रश्नों के उत्तर।
23	आवासीय पॉकेट 10, सैक्टर ए1 से ए4 नरेला में समूह आवास।	निविदा आमंत्रण सूचना दस्तावेज की जाँच। दिनांक 08.03.2018 को आयोजित पूर्व–बोली बैठक और दिनांक 05.04.2018 को आयोजित दूसरी पूर्व बोली बैठक के प्रश्नों के उत्तर।
24	आवासीय पॉकेट 12, सैक्टर ए1 से ए4 नरेला में समूह आवास।	निविदा आमंत्रण सूचना दस्तावेज की जाँच। दिनांक 08.03.2018 को आयोजित पूर्व–बोली बैठक और दिनांक 05.04.2018 को आयोजित दूसरी पूर्व बोली बैठक के प्रश्नों के उत्तर।
25	एडी ब्लॉक, शालीमार बाग में अनुमोदित संशोधित क्षेत्र स्तरीय ले–आउट प्लान के संबंध में आवासन घटक की व्यवस्था।	स्कीम को आवासन घटक के साथ सुविधा की व्यवस्था और डिजाइन सहित एस.सी.एम. में प्रस्तुत और अनुमोदित किया गया।
26	पीतमपुरा और शालीमार बाग स्थित जे.जे. कलस्टरों का स्व–स्थाने पुनर्विकास/पुनर्वास	जे.जे. कलस्टर के मानक मानदंड/स्थल दबाव के संबंध में खाली पड़े स्थलों का निरीक्षण।

एच.यू.पी.डब्ल्यू. व्यावसायिक परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	एस.आई.बी., एम.एच.ए. को स्थल की व्यवस्था करवाने के लिए सांस्थानिक प्लॉट ओ. सी.एफ. पॉकेट, सरिता विहार, पॉकेट एम और एन के ले–आउट प्लान में मामूली संशोधन।	संस्थापना आदेश संख्या 895 दिनांक 4.7.16 द्वारा स्कीम संबंधित इकाई को हस्तांतरित कर दी गई।
2	सुरक्षा एनक्लेव में सुविधा बाजार।	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं।
3	सेंट कोलम्बस स्कूल, प्लॉट –ए और बी के निकट स्थानीय बाजार, महाराणा प्रताप एन्क्लेव।	प्लॉट–बी को नीलामी के लिए भेज दिया है।
4	सुविधा बाजार, महाराणा प्रताप एन्क्लेव।	एस.सी.एम. से अनुमोदित तथा नीलामी/निपटान के लिए व्यावसायिक भूमि शाखा के पास भेज दिया है।
5	व्यावसायिक प्लॉट (पूर्व थोक बाजार प्लॉट), जिला केंद्र, नेताजी सुभाष प्लेस।	विकास नियंत्रण मानदंड और स्थल प्लान को निपटान के लिए व्यावसायिक भूमि शाखा के पास भेज दिया गया है।
6	जिला केंद्र, ब्लॉक–ई, झंडेवालान (प्लॉट 1ई/20)।	कोर्ट आदेश के अनुपालन में विकास नियंत्रण मानदंड, विस्तृत रिपोर्ट आदि को तैयार करना।
7	सरस्वती विहार, पीतमपुरा के सामने स्थानीय बाजार आनंद विहार।	विकास नियंत्रण मानदंड के साथ स्कीम को एस.सी.एम. में प्रस्तुत किया /अनुमोदित किया गया।
8	अनौपचारिक क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 में पेट्रो – लियम ट्रेडर्स मार्केट।	वर्किंग ड्राइंगें संबंधित इंजीनियरिंग विंग को जारी की गई।
9	पीरागढ़ी में जिला केंद्र।	उन स्थल दबावों के संबंध में अध्ययन/निरीक्षण जो विद्यमान है और पी.डब्ल्यू.डी./यूटीपैक द्वारा प्रस्तावित हैं।
10	मजनू का टीला स्थित आइडल ट्रक पर्किंग केंद्र में सुविधा केंद्र।	प्रारंभिक अनुमान तैयार करने और संबंधित इंजीनियरिंग विंग से व्यवहार्यता हेतु सुविधा केंद्र का डिजाइन। संबंधित इंजीनियरिंग विंग से व्यवहार्यता प्राप्त करने के बाद वर्किंग ड्राइंगें तैयार करना। विस्तृत वर्किंग ड्राइंगें दिनांक 2.04.2018 को इंजीनियरिंग विंग के पास भेजी गई।
11	द्वारका, रोहिणी और नरेला स्थित दि.वि.प्रा. की खाली पड़ी भूमि में उच्च सघनता मिश्रित भूमि उपयोग आर्थिक /व्यावसायिक/ आवासीय हब हेतु शहर स्तरीय विकास योजना विकसित करने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ. पी.) ।	तदनुसार, इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय।
12	कठपुतली कॉलोनी में स्व–स्थाने पुनर्वास (पीपीपी मॉडल)।	अन्य सामुदायिक स्तरीय सुविधाओं के साथ सुविधा ब्लॉक का निरीक्षण एवं संवीक्षा।
13	सेक्टर जी 7, जी 8, नरेला में व्यावसायिक परियोजना। (सामुदायिक केंद्र, स्थानीय बाजार, सुविधा बाजार)।	आस–पास के विकास के संबंध में निरीक्षण। तदनुसार टी.एस.एस. के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
14	सेक्टर जी 2 – जी 6, नरेला में व्यावसायिक परियोजना। (सामुदायिक केंद्र, स्थानीय बाजार, सुविधा बाजार)।	आस–पास के विकास के संबंध में निरीक्षण। तदनुसार टी.एस.एस. के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
15	सेक्टर ए 1 – ए 4, नरेला में व्यावसायिक परियोजना। (सामुदायिक केंद्र, स्थानीय बाजार, सुविधा बाजार)।	आस–पास के विकास के संबंध में निरीक्षण। तदनुसार टी.एस.एस. के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
16	पॉकेट – 5, सेक्टर बी – 4, नरेला में स्थानीय बाजार।	संशोधित स्कीम को एस.सी.एम में रखा जाएगा।
17	सेक्टर जी 2 – जी 6, नरेला ।	कुल 02 स्थानीय बाजारों की शुरूआत के लिए निरीक्षण/ व्यवहार्यता अध्ययन।

खेल परियोजनाएं/पुनर्विकास

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	राष्ट्र मंडल खेल गांव खेल परिसर।	संस्थापना आदेश संख्या 1695 द्वारा स्कीम संबंधित विभाग को भेजी गई।
2	आउटर रिंग रोड मुकरबा चौक के साथ–साथ अपूर्ण सुविधा के लिए भलस्वा गोल्फ कोर्स – क्लब बिल्डिंग, स्टार्टर्स गजेबो, मिड हट, प्रस्ताव।	संस्थापना आदेश संख्या 1695 द्वारा स्कीम संबंधित विभाग को भेज दी गई।
3	जामा मस्जिद के चारों ओर के क्षेत्र का पुनर्विकास।	संस्थापना आदेश संख्या 1695 द्वारा स्कीम संबंधित विभाग को भेज दी गई।
4	जिला केंद्र, नेताजी सुभाष प्लेस में सार्वजनिक शौचालय को पुनः स्थापित करना	
5	सामुदायिक केंद्र औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर में सार्वजनिक शौचालय को पुनः स्थापित करना	
6	ओल्ड राजेन्द्र नगर स्थित डी.डी.ए. स्टाफ क्वार्टर स्थल का पुनर्विकास।	
7	रोहतक रोड में ट्रांसपोर्ट सेंटर का पुनर्विकास।	अनुमोदनों के अनुसार विकास नियंत्रकों की व्यवस्था के लिए पुनर्विकास मानदंड/ दिल्ली मुख्य योजना–2021 के संबंध में स्कीम का निरीक्षण।

सामाजिक सांस्कृतिक परियाजनाएं/समाज सदन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	समाज सदन, सुविधा बाजार, अशोक विहार, वजीरपुर, फेज–2	
2	656 जहाँगीर पुरी में समाज सदन।	
3	मुखर्जी नगर में पहले से अनुमोदित बहु–मंजिले आवासों में सामुदायिक सुविधाओं और टॉयलेट ब्लॉक की व्यवस्था।	इंजीनियरिंग विंग से इनपुट मिलने के बाद स्कीम मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पास भेजी जाएगी।
4	एडी ब्लॉक, शालीमार बाग में अनुमोदित संशोधित क्षेत्र स्तरीय ले–आउट प्लान के संबंध में सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था।	स्कीम को दिनांक 18.01.2018 को एस.सी.एम की 355वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

एच.यू.पी.डब्ल्यू. दक्षिण जोन की वार्षिक रिपोर्ट

क्र. सं.	परियोजनाएं	उपलब्धियां 01.04.2017 से 31.03.2018 तक
1.	बी–9, वसंत कुंज स्थित मसूदपुर समाज सदन के निकट समूह आवास।	पूर्व–बोली बैठकें आयोजित की गईं और बोलीदाताओं के प्रश्नों पर इंजीनियरिंग विंग ने स्पष्टीकरण दिया।
2.	डी – 6, वसंतकुंज के निकटवर्ती समूह आवास।	पूर्व–बोली बैठकें आयोजित की गईं और बोलीदाताओं के प्रश्नों पर इंजीनियरिंग विंग ने स्पष्टीकरण दिया।
3.	डी –7/डी 8 वसंत कुंज के निकटवर्ती समूह आवास।	पूर्व–बोली बैठकें आयोजित की गईं और बोलीदाताओं के प्रश्नों पर इंजीनियरिंग विंग ने स्पष्टीकरण दिया।
4.	डी–6, वसंतकुंज के पीछे मेगा हाउसिंग।	वित्तीय अनुमान की गणना के लिए ड्राइंग/विवरणों की व्यवस्था करके इंजीनियरिंग विभाग के साथ समन्वय।
5.	वसंतकुंज में सामुदायिक केंद्र की पुनर्सज्जा।	इंजीनियरिंग विंग द्वारा सुधार कार्य शुरू कर दिया गया।
6.	जिला केंद्र, भीकाजी कामा प्लेस।	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन तैयार किया गया है।
7.	वसंत एन्क्लेव, वसंत विहार में एजेंसी ऑफिस।	वित्तीय प्रभाव की व्यवस्था करने के लिए इंजीनियरिंग विंग और हाउसिंग को प्रस्ताव भेजा गया है।
8.	वसंत गांव में समूह आवास।	एस.सी.एम. अनुमोदन के लिए स्कीम तैयार की जा रही है।
9.	महिपालपुर में समाज सदन।	व्यवहार्यता रिपोर्ट अब तक प्रतीक्षारत है।
10.	सी–7, वसंत कुज में सी.एन.जी. स्टेशन के लिए स्थल, स्कीम को 358 वी. एस.सी.एम. में मद संख्या 32 : 2018 द्वारा प्रस्तुत किया गया।	डी.एम.आर.सी से स्वीकृति प्रतीक्षारत है इसके बाद स्कीम को एस.सी.एम. में दोबारा रखा जाएगा।
11.	महरौली महिपालपुर रोड़ में सामूहिक आवास।	परियोजना के सफलतापूर्वक समापन के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया जा रहा हैं।

12.	डी–6, वसंत कुंज के पीछे मध्यस्थ–मेगा हाउसिंग (मैसर्स एस.घोष एंड एसोसिएट्स बनाम् डी.डी.ए)।	अंतिम निर्णय प्रतीक्षारत है।
13.	जिला केंद्र, नेहरू प्लेस की पुनर्सज्जा।	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन तैयार किया गया है।
14.	ए–14, कालकाजी एक्सटेंशन में स्व–स्थान परियोजना।	संबंधित इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग विंग को अनुमोदित ड्राइंगें और एजेंडा सहित कार्यवृत्त जारी किया गया है।
15.	सामुदायिक केंद्र, ओखला फेज–1।	एजेंडा और कार्यवृत्त के साथ ड्राइंगें संबंधित इंजीनियरिंग विंग को भेजी गई।
16.	सामुदायिक केंद्र, जमरूदपुर में समाज सदन।	चार दीवारी की ड्राइंगें निर्माण के लिए संबंधित इंजीनियरिंग विंग को प्रदान की गई है।
17.	विकास सदन (लिफ्ट और नीलामी कक्ष) का पुनर्सज्जा कार्य।	समापन और अनुमोदन के बाद ड्राइंगें निष्पादन के लिए जारी की जाएंगी।
18.	श्रीनिवासपुरी में समाज सदन का निर्माण।	निर्माण चरण में इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय।

पश्चिम और द्वारका जोन एच.यू.पी.डब्ल्यू.

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	सैक्टर 19–बी, द्वारका में आंतरिक विकास एवं विद्युतीकरण सहित एच. आई.जी. बहुमंजिले आवास।	निर्माण स्थिति – अभियांत्रिकी शाखा को ड्राइंगें जारी की गई। एस.सी.एम से स्कीम अनुमोदित।
2.	पॉकेट–2, सैक्टर–16 बी द्वारका के साथ लगे हुए 346 –बहुमंजिले दो शयनकक्ष वाले अपार्टमेंट का निर्माण।	निर्माण स्थिति – अभियांत्रिकी शाखा को ड्राइंगें जारी की गई।
3.	पॉकेट–3, सैक्टर–19 बी, द्वारका फेज–।। के साथ लगे हुए 352 – बहुमंजिले दो शयनकक्ष वाले अपार्टमेंट का निर्माण।	निर्माण स्थिति – अभियांत्रिकी शाखा को ड्राइंगें जारी की गई।
4.	पॉकेट–5, सैक्टर–14, द्वारका के सामने 1568 श्रेणी–।। आवासीय इकाइयों (312 दो बी.एच. के. आवासीय इकाइयां 288 एक बी. एच.के. आवासीय इकाइयां) और 968 ई डब्ल्यूएस /एम एस का निर्माण।	निर्माण स्थिति – अभियांत्रिकी शाखा को ड्राइंगें जारी की गई।
5.	मंगलापुरी में 273 एकीकृत आवास।	निर्माण स्थिति – अभियांत्रिकी शाखा को ड्राइंगें जारी की गई। एस.सी.एम. से स्कीम अनुमोदित
6.	पॉकेट–ई, लोक नायक पुरम, बक्कर वाला में 821 बहु–मंजिले, आवासों (600 दो शयनकक्ष एवं 221 ई.डब्ल्यू.एस. आवास) का निर्माण।	डिजाइन और निर्माण परियोजना (एस.सी.एम. अनुमोदित) डी.यू.ए.सी. से अनुमोदन प्राप्त । स्थल पर निर्माण शुरू किया जाना है।
7.	पॉकेट IV, सैक्ट–14, द्वारका में नए आवास।	डिजाइन और निर्माण परियोजना। एस.सी.एम से स्कीम अनुमोदित हो चुकी है। टेंडर स्टेज पर।
8.	सैक्टर–14, द्वारका में वेगास मॉल एवं एम.आई.जी. फ्लैट्स के बीच पॉकेट में नए आवास।	डिजाइन और निर्माण परियोजना। एस.सी.एम. से योजना अनुमोदित। टेंडर स्टेज पर।
9.	सैक्टर–19 बी, द्वारका में एस.पी. एस. के सामने पॉकेट में नए आवास।	एम.सी.एम से स्कीम अनुमोदित। टेंडर स्टेज पर।
10.	द्वारका में दि. वि. प्रा. की खाली भूमि में नगर स्तरीय उच्च सघनता मिश्रित उपयोग आर्थिक/व्यावसा. यिक/आवासीय हब विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित परामर्शदा. ताओं से परामर्श।	अभियांत्रिकी विंग को इनपुट प्रदान किए गए। अभियांत्रिकी विंग द्वारा परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी।
11.	द्वारका में मेट्रो मार्ग सेतु की स्ट्रीट स्कैपिंग में अवधारणाएं एवं अपनाए जाने वाले संकेतक (साइनिज) के लिए प्रस्ताव।	अभियांत्रिकी विंग के साथ विवरण, समन्वय इनपुट।
12.	सामुदायिक केंद्र, मादीपुर की विस्तृत स्कीम।	एस.सी.एम से स्कीम अनुमोदित, व्यावसायिक भूमि शाखा और इंजीनियरिंग विंग को ड्राइंगे जारी की गई।
13.	सामुदायिक केंद्र, विकासपुरी की विस्तृत स्कीम।	एस.सी.एम से स्कीम अनुमोदित, व्यावसायिक भूमि शाखा और इंजीनियरिंग विंग को ड्राइंगें जारी की गई।
14.	द्वारका में एकीकृत हरित क्षेत्रों और खाली पड़ी भूमि का विस्तृत वैचारिक प्रस्ताव जिसमें टीडी 2, टीडी 5, और पालम ड्रेन शामिल है।	भू–दृश्य विंग को हस्तांतरित। समन्वय जानकारी।
15.	अध्याय 17: दिल्ली मुख्य योजना – 2021 के विकास कोड के अनुसार सैक्टर 19 और 23 द्वारका में सामुदायिक केंद्रों और स्थानीय बाजारों हेतु विशेष अनुमति के लिए प्रस्ताव।	मामले को खेल इकाई द्वारा देखा गया।
16.	दि. वि. प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय, सैक्टर 11, द्वारका।	.
17.	समाज सदन, सैक्टर 3, द्वारका।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।

18.	समाज सदन, सैक्टर 9, द्वारका।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
19.	समाज सदन, पॉकेट 20 बी, सीतापुरी।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
20.	समाज सदन, सैक्टर 2, द्वारका।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
21.	धुलसीरस में समाज सदन।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
22.	समाज सदन, बी जी –6, पश्चिम विहार।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
23.	समाज सदन, पोचनपुर गांव।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
24.	समाज सदन, सैक्टर–16 बी, द्वारका।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
25.	समाज सदन, सैक्टर 5, द्वारका।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
26.	समाज सदन, एच.ए.एफ. पॉकेट ए, सेक्टर 10, द्वारका।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
27.	सामुदायिक कक्ष, सेक्टर 13, द्वारका।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
28.	एम.आई. जी. हाउसिंग, सैक्टर 7, द्वारका।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
29.	सामुदायिक कक्ष, एच ब्लॉक, विकासपुरी।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
30.	सामुदायिक कक्ष, बिंदापुर।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
31.	नारायणा विहार में सामुदायिक कक्ष का सुधार।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
32.	सैक्टर 19, पॉकेट बी द्वारका में सामुदायिक कक्ष।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
33.	सामुदायिक कक्ष, सादनगर।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
34.	खसरा नं. 53, सागरपुर में सामुदायिक कक्ष।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
35.	512 एम.आई.जी., राजौरी गार्डन में सामुदायिक कक्ष।	सामाजिक सांस्कृतिक इकाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।
36.	सिंडिकेट एन्क्लेव, डाबड़ी मोड़ में सामुदायिक कक्ष।	एस. सी. एम. से स्कीम अनुमोदित। इंजीनियरिंग विंग को ड्राइंगें जारी कर दी गई और सामाजिक सांस्कृतिक इकाई को भेज दी गई हैं।
37.	पश्चिम विहार में जिला केंद्र।	विस्तृत वैचारिक स्कीम प्रस्ताव को आगे के अनुमोदनों के लिए तैयार किया जाएगा।
38.	जनक पुरी में जिला केंद्र।	विस्तृत स्कीम प्रस्ताव जिसमें जिला केंद्र का सुधार शामिल है, को आगे के अनुमोदनों के लिए तैयार किया जाएगा।
39.	द्वारका में व्यावसायिक केंद्र।	आगे के अनुमोदनों के लिए विस्तृत स्कीम प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं।
40.	सैक्टर 10, द्वारका में स्थानीय बाजार।	आगे के अनुमोदनों के लिए विस्तृत स्कीम प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं।
41.	सैक्टर 3, द्वारका में स्थानीय बाजार नंबर 2।	इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय। व्यावसायिक भूमि शाखा व्यावसायिक प्लॉटों की नीलामी करेगा।
42.	सामुदायिक केंद्र, ए–2, पश्चिम विहार।	.
43.	ए–3, पश्चिम विहार में सुविधा बाजार।	सेवाओं और संरचना के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय।
44.	डाबड़ी मोड़ स्थित फल एवं सब्जी स्टॉलों के ले–आउट प्लान में संशोधन।	एस.सी.एम. से स्कीम अनुमोदित। इंजीनियरिंग विंग और भूमि विभाग को ड्राइंगें जारी कर दी है।

एच.यू.पी.डब्ल्यू. पूर्वी जोन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	हारवर्ड स्कूल और शिव मंदिर, प्रीत विहार के बीच खाली पड़ें प्लॉट पर आवास।	व्यवहार्यता के लिए इंजीनियरिंग विंग को ड्राइंगें जारी कर दी गई (इंजीनियरिंग विंग द्वारा एन.आई. टी. प्रक्रिया में हैं)।
2.	ब्लॉक 5 और 8 के बीच खिचड़ीपुर में खाली पड़े प्लॉट पर आवास।	व्यवहार्यता के लिए इंजीनियरिंग विंग को ड्राइंगें जारी कर दी गई (इंजीनियरिंग विंग द्वारा एन.आ. ई.टी. प्रक्रिया में हैं)।
3.	मंडावली फजलपुर में सरस्वती कुंज अपार्टमेंट के निकट खाली पड़े स्थल पर आवास।	आगे की कार्रवाई हेतु इंजी–नियरिंग विंग को ड्राइंगें जारी की गई हैं।
4.	1350 एल.आई.जी. आवास, कोंडली घड़ौली के पीछे बहु–मंजिले आवास।	व्यवहार्यता के लिए इंजीनियरिंग विंग को ड्राइंगें जारी की गई है। (इंजीनियरिंग विंग द्वारा एन.आई. टी. प्रक्रिया में हैं)।
5.	गाजीपुर नाले से सटे चिल्ला गांव में 2 बी.एच.के. आवास।	357वीं एस.सी.एम. में अनुमोदित। स्थानीय निकायों से आगे के अनुमोदन के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय।
6.	नीरज अपार्टमेंट के निकटस्थ वसुंधरा एन्क्लेव में समाज सदन।	दिनांक 5.3.2018 को 357वीं एस.सी.एम. द्वारा संशोधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। संरचनात्मक इनपुट्स के लिए इंजीनियरिंग विंग को ड्राइंगें जारी की गईं।
7.	ब्लॉक सी– I, इंदिरा चौक, नई दिल्ली में सामुदायिक कक्ष।	दिनांक 5.3.2018 को 357वीं एस.सी.एम. द्वारा अनुमोदित। व्यवहार्यता के लिए इंजीनियरिंग विंग को ड्राइंगें जारी की गईं।

8.	मल्टी लेवल पार्किंग, सुविधा केंद्र, कड़कड़डूमा।	दिनांक 18.01.2018 को 355वीं एस.सी.एम. में प्रस्ताव रखा गया और इसे अनुमोदित किया गया। इंजीनियरिंग विंग और निदेशक (व्यावसायिक भूमि) को ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं।
9.	सीड बेड पार्क, शकरपुर, लक्ष्मी नगर के निकट टू–लेवल पार्किंग।	दिनांक 18.01.2018 को 355वीं एस.सी.एम. में प्रस्ताव रखा गया और इस टिप्पणी के साथ स्थगित कर दिया था कि मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) पार्किंग व्यवहार्यता समस्या का समाधान करेंगे।
10.	लक्ष्मी नगर जिला केंद्र में मल्टी लेवल पार्किंग।	दिनांक 18.01.2018 को 355वीं एस.सी.एम. में प्रस्ताव रखा गया और चौक/हरित में व्यावसायिक घटकों के साथ थ्री लेवल बेसमेंट पार्किंग के रूप में अनुमोदित किया गया था। प्रमाणित की हुई ड्राइंगों सहित अनुमोदित कार्यवृत्त इंजीनियरिंग विंग और निदेशक (व्यावसायिक भूमि) को जारी कर दिया गया है।
11.	मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा औद्योगिक क्षेत्र, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, दिलशाद गार्डन।	एस.सी.एम. द्वारा दिनांक 27.09.17 को अनुमोदित। प्रमाणित की हुई ड्राइंगों के साथ अनुमोदित कार्यवृत्त इंजीनियरिंग विंग को जारी कर दिए गए हैं।
12.	गाजीपुर में ऑटोमोबाइल सर्विस और प्रशिक्षण केंद्र में मल्टी लेवल पार्किंग।	व्यवहार्यता के लिए इंजी–नियरिंग विंग के साथ समन्वय। व्यवहार्यता प्राप्त होने के बाद ड्राइंगे भूमि की स्थिति का पता लगाने के लिए भूमि विभाग को भेजी जाएगी क्योंकि केंद्रीय भाण्डागार निगम द्वारा कंटनेरों को रखने में इसका उपयोग किया जा रहा है।
13.	मंडावली फजलपुर में कोठारी सी.जी.एच. एस. के निकट मल्टी लेवल पार्किंग।	उत्तर अब भी प्रतीक्षारत है।
14.	जिला केंद्र मयूर विहार में मल्टीप्लैक्स एवं व्यावसायिक प्लॉट के उपयोग परिसर का सामाजिक–सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तन।	संशोधित ले–आउट प्लान सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र को जारी कर दिया है।
15.	सी.बी.डी. शाहदरा में प्लॉट संख्या 8 एवं 10 के भूमि उपयोग का रिटेल ऑफिस से सामाजिक –सांस्कृतिक केंद्र में समामेलन और मिश्रण।	संशोधित ले–आउट प्लान सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र को जारी कर दिया है।

4.3 भू–दृश्य एवं पर्यावरणीय योजना इकाई

दिल्ली, जो 1497 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है, देश के हरित महानगरों में से एक है। इस शहर ने हाल ही के समय में अपने खुले स्थलों पर बढ़ते हुए बोझ के साथ आश्चर्यजनक विकास किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भारत में पहला शहरी विकास प्राधिकरण है, जिसने क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टी, समीपवर्ती हरित क्षेत्रों इत्यादि के रूप में खुले स्थलों के विकास के लिए अपने सचेतन प्रयासों के साथ दिल्ली के हरित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास एवं रख–रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले लगभग 3800 छोटे–बड़े पार्कों के साथ–साथ, दि. वि. प्रा. जैव–वैविध्य पार्कों, नदी मुहाना विकास, कूड़ा भराव क्षेत्र का सुधार तथा जलाशयों का नवीनीकरण एवं तालाबों के पुनरुद्धार के विकास के लिए अपने हाल ही के प्रयासों के साथ उन हरित क्षेत्रों के उन्नयन एवं रख–रखाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए हुए है, जिसे शहर के वायुप्रद स्थान के रूप में जाना जाता है।

दि.वि.प्रा. ने नदी और रिज जैसी प्राकृतिक विशेषताओं के संरक्षण को हरित पट्टियों, थीम पार्क, शहरी वन, स्मारकों के आस–पास हरित क्षेत्र, जैव–वैविध्य पार्कों इत्यादि का विकास करके बढ़ावा दिया है। इन क्षेत्रों को दि. वि. प्रा. की भू–दृश्य एवं पर्यावरणीय योजना इकाई द्वारा तैयार किया गया है। इसमें निम्न शामिल हैः–

- मुख्य योजना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से संबंधित डिज़ाइनिंग एवं नीति विषयक निर्णय।
- समीपवर्ती पार्कों, खेल के मैदानों, एवं चिल्ड्रन पार्कों के साथ–साथ दि. वि. प्रा. के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी जिला पार्कों का डिजाइनिंग।
- जैव–वैविध्य पार्कों, नदी मुहाना विकास, कूड़ा भराव क्षेत्र स्थलों का सुधार, विरासत परियोजनाओं तथा हरित लिंकेज जैसी विशेष परियोजनाओं का कार्य इकाई द्वारा शुरू किया गया। जल संचयन एवं वर्षा जल संचयन, भूमिगत जलवाही स्तर की अवधारणा विभिन्न हरित क्षेत्रों की योजना का एक अनिवार्य भाग है।

हरित क्षेत्रों की डिजाइनिंग एवं उन्नयन की प्रक्रिया में, दिव्यांग जनों के लिए डिजाइन सुविधाओं को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। इन डिजाइन सुविधाओं को प्लाजा के प्रवेश द्वार, किड्स प्ले एरिया, बैठने के स्थान और पैदल पथ में रखा गया है। उदाहरण के लिए, मिलेनियम पार्क के प्रवेश स्थल पर सभी दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए रैम्प उपलब्ध करवाए गए हैं। आरक्षित वनों, क्षेत्रीय पार्कों और प्रतिबंधित वनों में बांस के शेल्टर लगाकर पर्यावरण अनुकूल अवधारणाओं का उपयोग करने की नई लहर तथा दि. वि. प्रा. के हरित क्षेत्रों में सामग्री को क्रियान्वित किया गया है। पार्कों और खेल स्थलों में स्वच्छ भारत अभियान के लिए शौचालय प्रस्तावित किए गए हैं। जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पार्कों में ओपन जिम लगाए गए हैं तथा जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर और अधिक ओपन जिम का प्रस्ताव किया गया है। बच्चों के लिए फाइबर ग्लास मैटीरियल वाले खेलने के उपकरण सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे हैं।

दि. वि. प्रा. के हरित क्षेत्रों का विशेष जरूरतों सहित जनता के लिए सुविधाएं प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए नई नीति के अनुसार सुधार किया जाएगा। शौचालयों का डिजाइन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं जैसे पहुंच रैम्प, म्यूवरिंग स्पेस आदि के साथ किया गया है।

4.3.1 अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक शुरू की गई परियोजनाएँ

• संजय झील ग्रीन, त्रिलोकपुरी की पारिस्थितिकीय बहाली के लिए सुधार कार्य हेतु भू–दृश्य प्रस्ताव और वर्किंग ड्राइंगें।

• वसंत विहार स्थित वसंत उद्यान के सुधार कार्य हेतु भूदृश्य प्रस्ताव और वर्किंग ड्राइंगें।

• 'भारत वंदना' जिला पार्क, सेक्टर–20, द्वारका हेतु भूदृश्य प्रस्ताव।

4.3.2 यमुना नदी का कायाकल्प और नवीकरण (मार्च, 2018 तक प्रगति)

• असिता ओल्ड रेलवे ब्रिज से आई.टी.ओ. बैराज (पश्चिमी किनारे) तक

– प्रवेश द्वार की विस्तृत ड्राइंगें जारी करना।

– विस्तृत वृक्षारोपण ड्राइंगें (पेड़ और घास) जारी करना।

– सिविल कार्यों के ले–आउट हेतु जी.एफ.सी. ड्राइंगें जारी करना।

– स्थल पर कार्यों का निरीक्षण।

राजघाट नाले से आई.टी.ओ. बैराज के बीच का क्षेत्र।

शांति वन नाले से राजघाट नाले के बीच का क्षेत्र।

ओल्ड रेलवे ब्रिज से गीता कॉलोनी ब्रिज तक क्षेत्र।

– स्थल कार्यों का समन्वय।

– पैदल मार्ग और साइकिल ट्रैक का निर्माण।

– जलाशयों का निर्माण।

– उद्यान कार्य।

• वजीराबाद बैराज से ओल्ड रेलवे ब्रिज (पश्चिमी किनारा) आरती घाट

– वैचारिक विकास और माननीय उपराज्यपाल को प्रस्तुतीकरण।

– डिजाइन विकास।

– स्थल पर कार्य–निष्पादन के लिए विस्तृत ड्राइंगें जारी करना।

– स्थल कार्य जिसमें बॉयो–टॉयलेट, बेंच, प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, पाथवेज, थीम गार्डन और प्रवेश द्वार जैसी सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं।

• एन.एच –24 से डी.एन.डी. फ्लाइवे (पश्चिमी किनारा)

– पृष्ठभूमि अध्ययन, पहले से विद्यमान स्थल डाटा का विश्लेषण और विस्तृत विकास हेतु विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न रिपोर्ट।

– लोटस परियोजना के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समन्वय तथा बारापुला नाला क्षेत्र के निकट नम भूमि हेतु सुविज्ञता एवं स्थल दौरा।

– सन डायल पार्क के निकट स्थल पर लैब स्टेप के लिए डिजाइन और प्रवेश मार्ग का निष्पादन।

– बारापुला नाला और डी.एन.डी. फ्लाईवे के बीच के क्षेत्र का वैचारिक विकास।

यमुना नदी के कायाकल्प और नवीकरण के संबंध में अन्य कार्य

– पूरी यमुना नदी पर न्यायालयी मामलों से जुड़े कार्य।

– परियोजना कार्यों की समीक्षा के लिए माननीय उपराज्यपाल, प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान और भूदृश्य विभाग) और मुख्य अभियंता (पूर्वी जोन) को विभिन्न प्रस्तुतीकरण।

– बारापुला क्षेत्र और इको–टूरिज्म बंध क्षेत्र के लिए यमुना बाढ़ निर्मित विभिन्न क्षेत्रों की मृदा को विषैले पदार्थों से मुक्त करने, नम भूमि के सृजन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया के नम भूमि विशेषज्ञों के साथ समन्वय।

– प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए जोन 'ओ' में भूमि का पता लगाने के लिए शुरू किए गए बहु स्थल दौरा।

• विशेष कार्य (यमुना नदी का कायाकल्प और नवीकरण)

– यमुना वॉक थ्रू का सुधार कार्य, इंटरसेप्टर सीवर लाइन के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ समन्वय।

– यमुना वेबसाइट को अपडेट और सुधार करना।

– प्रदर्शनी पैनल।

– पुस्तिका (ब्रोशर) डिजाइन।

– बुकलेट डिजाइन।

4.3.3 अन्य कार्य

• राष्ट्रमंडल खेल गांव के निकटवर्ती हरित क्षेत्र के लिए भूदृश्य योजना का कार्य विवरण।

• तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर की भूदृश्य योजना (आंशिक योजना)।

• तुगलकाबाद विस्तार का अपग्रेडेशन।

• बसंत लोक सामुदायिक केंद्र की भूदृश्य योजना।

• प्ले एरिया जंगपुरा क्लब की भूदृश्य योजना।

• आनंदमयी मार्ग में हरियाली की आंशिक भूदृश्य योजना, वर्किंग ड्राइंग और पौधारोपण योजना।

• वसंत वाटिका स्कूल के निकटवर्ती वसंत वाटिका के हरित क्षेत्र की आंशिक सुधार योजना।

• वसंत कुंज के पॉकेट– 5 और 6, सैक्टर बी, के हरित क्षेत्र की भू–दृश्य योजना।

• बसंत लोक सामुदायिक केंद्र एवं वर्किंग ड्राइंग की संकल्पनात्मक योजना।

• भलस्वा झील परिसर के हरित क्षेत्र का भू–दृश्य डिजाइन।

• फैज़ रोड एवं रानी झांसी रोड के बीच के हरित क्षेत्र में परिवर्धन एवं संशोधन करना।

• शक्ति नगर में बिरला टैक्सटाइल द्वारा भूमि का वापिस किया हुआ हरित क्षेत्र।

• सूरजमल समाधि के संशोधन का कार्य विवरण।

• सीलमपुर फ्लाईओवर के निकट हरित क्षेत्र की भू–दृश्य योजना।

• सीलमपुर फ्लाईओवर के निकट हरित क्षेत्र की कार्यात्मक ड्राइंग।

• द्वारका के सैक्टर–23, के डिस्ट्रिक्ट पार्क का कार्य विवरण।

- रोहिणी सैक्टर 34–35 के केंद्रीय हरित एवं हरित क्षेत्र का रोपण।
- रोहिणी सैक्टर 29–30 के केंद्रीय हरित एवं हरित क्षेत्र का रोपण।
- रोहिणी सैक्टर 36–37 के केंद्रीय हरित एवं हरित क्षेत्र का रोपण।
- रोहिणी के नए सैक्टरों में हरित क्षेत्रों हेतु वैचारिक संकल्पनात्मक पौधारोपण योजनाएं।
- मादीपुर के जलाशय की वैचारिक विकास योजना।
- जी.डी. राठी की प्रदूषित औद्योगिक इकाई द्वारा वापिस की गई खाली पड़ी भूमि की वर्किंग ड्राइंग्स एवं विवरण।
- भूमि मामलों के भेजे गए अधिग्रहण का समन्वय एवं कार्य प्रक्रिया।
- विभिन्न पार्कों में जिम की व्यवस्था।
- विभिन्न पार्कों में आश्रयों एवं शौचालय ब्लॉक की व्यवस्था करना।
- ग्रीन लिंकेज में संशोधन।
- तिलपथ वैली हेतु स्थल का विश्लेषण एवं सूचना पुस्तिका।
- नीला हौज़ के लिए सूचना पुस्तिका तैयार करना।

अन्य गतिविधियाँ

- दि. वि. प्रा. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 153 जलाशयों हेतु जलाशयों के नवीकरण से संबंधित मामले में निदेशक/(भू–दृश्य) अगस्त 2017 से नोडल अधिकारी के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के साथ समन्वय कर रहे हैं।
- निदेशक/भू–दृश्य डी.टी.टी.डी.सी. के अधीन सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति समूह के सदस्य हैं।
- अपर आयुक्त, भू–दृश्य जैव विविधता संस्थान के सदस्य सचिव हैं।
- निदेशक, भू–दृश्य पार्क गोद लेने की स्कीम, के लिए सदस्य सचिव हैं।

यमुना जैव–वैविध्य पार्क

अभियांत्रिकी एवं निर्माण कार्यकलाप

5

5.1 आवास

वर्ष 2017–18 का आरंभ एक वचन–पत्र को पूरा करने से हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे पूर्वी क्षेत्र, द्वारका क्षेत्र, रोहिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, परियोजना क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र में प्री.–फैब के साथ परम्परागत पद्धति से 67774 आवासीय इकाइयां निमार्णाधीन थी।

दिनांक 31.03.2018 तक बनाए जा रहे आवासों, निर्माण के लिए नए आवासों के साथ पूरे किए जा चुके आवासों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	विवरण	एस एफ एस@ एच आई जी	एम आई जी	एल आई जी	ई.डब्ल्यू एस@ जनता	कुल	टिप्पणी
1.	01.04.2017 तक बनाए जा रहे आवास	4687	8879	28379	25829	67774	67774 आवासीय इकाइयों में से 108 आवासीय इकाइयों पर दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण उन्हें शुरू नहीं किया गया ।
2.	31.03.18 तक पूरे किए जा चुके आवास	72	–	8164	1820	10056	
3.	वर्ष 2017–18 के दौरान शुरू किए गए आवास	–	–	–	–	–	
4.	31.03.18 को बनाए जा रहे आवास	4615	8879	20215	24009	57,718	
5.	पाइप लाइन में आवास (निविदा एवं अधिनिर्णय के निर्देश के प्रक्रम में)	3429	3131	2635	4235	13,430	

उक्त तालिका से पता चलता है कि शहरी गरीबों के लिए 8164 एल.आई.जी. एवं 1820 ई.डब्ल्यू.एस/जनता आवासों को पूरा किया गया तथा निविदा एवं अधिनिर्णय के निर्देश के प्रक्रम में 2635 एल.आई.जी. एवं 4235 ई.डब्ल्यू.एस/जनता आवास भी प्रक्रियाधीन हैं।

5.2 ई.डब्ल्यू.एस. आवास

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में एक लाख ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण के लिए निम्नलिखित भूमि की पहचान की गई परंतु नई भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 24 (2) के अनुसार भूमि की निम्न सघनता क्षेत्र में गिरावट एवं अधिकतर भूमि मुकदमों के अंतर्गत है। इसके अलावा, स्वस्थाने पुनर्वास की नीति तैयार की जा रही है। धारा 24 (2) के निर्णय या स्वस्थाने पुनर्वास की नीति के निर्णय के बाद ही ये काम शुरू होगा।

संख्या	अवस्थिति	आवासों की संख्या
1.	रंगपुरी डीडीए फ्लैटों के निकट	1000
2.	सतसंगी विद्यालय के पीछे सयूरपुर अनधिकृत कॉलोनी	3040
3.	नैबसराय	1200
4.	सतबड़ी (श्मशान भूमि के निकट)	98
5.	आई.आई.पी.एम. के सामने सतबड़ी	350
6.	सतबड़ी (मल्लु फार्म के पास)	1200
7.	खड़क गांव	2800
8.	खड़क गांव के पास सोरपुर गांव	464
9.	मैदानगढ़ी के निकट (गांव के तालाब)	7908
10.	मैदानगढ़ी के निकट	2000
11.	राजपुर खुर्द एक्सटेंशन	2000
12.	भवानी कुंज (राना पार्क के निकट)	800

बढ़ते हुए शहरीकरण का सामना करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के निविदा एवं कार्य अधिनिर्णय प्रक्रिया अधीन है।

1. सरस्वती कुंज अपार्टमेंट के निकट मंडावली फज़लपुर में कुल 673 एच.आई.जी./एम.आई.जी., एल.आई.जी/ई.डब्ल्यू.एस आवासीय इकाइयों का निर्माण किया।
2. प्रीत विहार में हारवर्ड स्कूल और शिव मंदिर के बीच प्लॉट पर कुल

304 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयों का निर्माण।

3. खिचड़ीपुर एक्सटेंशन में ब्लॉक 5 और 8 के बीच कुल 705 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयों का निर्माण।
4. कोंडली घरौली में कुल 1350 एल.आई.जी. इकाइयों के पीछे 88 एच.आई.जी. आवासीय इकाइयों का निर्माण।
5. प्लॉट नं. 12, सैक्टर ए–1 से ए–4, नरेला में एच.आई.जी./एम.आई.जी, एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. की 1900 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
6. पॉकेट 8, सैक्टर ए–1 से ए–4, नरेला में एच.आई.जी/एम.आई.जी, एल.आई.जी/ई.डब्ल्यू.एस. की 1765 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
7. पॉकेट 10, सैक्टर ए–1 से ए–4, नरेला में एच.आई.जी/एम.आई.जी, एल.आई.जी/ई.डब्ल्यू.एस. की 1121 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
8. अशोक नगर, फैज रोड के साथ 20 एम.आई.जी. आवासों का निर्माण।
9. सैक्टर 19–बी, द्वारका, फेज–II, में एच.आई.जी, एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. की 423 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
10. सैक्टर 14, द्वारका, फेज–II में एच.आई.जी. एल.आई.जी/ई.डब्ल्यू.एस की 768 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
11. पॉकेट–4, सैक्टर 14, द्वारका, फेज–II में एच.आई.जी, एल.आई.जी./ ई.डब्ल्यू.एस की 194 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
12. पॉकेट डी–7, डी–8, वसंत कुंज के निकटवर्ती एच.आई.जी/एम.आई.जी और ई.डब्ल्यू.एस. की 486 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
13. पॉकेट डी–6, वसंतकुंज के निकटवर्ती एच.आई.जी/एम.आई.जी. और ई.डब्ल्यू.एस. की 245 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
14. पॉकेट जी.एच–2, सैक्टर–29, रोहिणी में एच.आई.जी और एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. की 1842 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
15. सैक्टर 11 एक्सटेंशन, रोहिणी में एच.आई.जी. और एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. की 1092 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
16. पॉकेट जी.एच–3, सैक्टर 29, रोहिणी में एच.आई.जी. और एल.आई.जी/ई. डब्ल्यू.एस. की 1207 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
17. पॉकेट जी एच–3, सैक्टर 19, रोहिणी फेज–2, में एम.आई.जी. और एल.आई.जी. की 452 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
18. सेंट जेवियर स्कूल, सैक्टर–26, रोहिणी के निकट दि. वि. प्रा. की खाली पड़ी भूमि स्थल संख्या 4 में समूह आवास पॉकेट–I और II में बहु–मंजिले आवासों का निर्माण, उपशीर्षः पॉकेट–जीएच II, सैक्टर– 26, रोहिणी में 32 श्रेणी–III, और 46 ई.डब्ल्यू.एस. बहु मंजिले आवासों का निर्माण (डिजाइन एवं बिल्ड मॉडल)।

5.3 भूमि की मुख्य विकास स्कीम

दिल्ली विकास प्राधिकरण शहरी सीमाओं के विस्तार हेतु मुख्य योजना के अनुसार भूमि के विकास की अपनी प्रक्रिया जारी रखे हुए है। विकास के अतंर्गत नए उप–नगरों में द्वारका, नरेला और रोहिणी हैं। इन उप–नगरों में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, जलापूर्ति, विद्युत लाइनें आदि जैसी मुख्य भौतिक आधारिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

स्कीम का नाम	स्कीम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सड़कें (कि.मी. में)	सीवरेज (कि.मी. में)	जलापूर्ति (कि.मी. में)	बरसाती नाले	टिप्पणी
रोहिणी फेज 4 और 5	1119.91	64.50	73.70	66.30	41.63	2017–18 के दौरान

वर्ष 2017 में विकास सेक्टर में नई पहल शुरू की गईः

द्वारका, रोहिणी और नरेला में दि.वि.प्रा. की खाली पड़ी भूमि में नगर–स्तरीय मिश्रित उपयोग आर्थिक/व्यावसायिक/आवासीय हब का विकास।

दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर के रूप में परिवर्तित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारका (200 हेक्टेयर) रोहिणी (259 हेक्टेयर) और नरेला (210 हेक्टेयर) में उपलब्ध खाली पड़े क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी के मानदंडों के अनुसार विकास करने का निर्णय लिया गया है।

• **द्वारका उप–नगरः–** दिनांक 05.09.2018 को आयोजित डब्ल्यू.ए.बी. की 8वीं बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श और परिचर्चा के बाद बोर्ड सहमत हुआ और तदनुसार मैसर्स आई.के. वर्ल्डवाइड एंड एस.सी.पी. कंसलटेंट प्रा. लि. (तीसरी बोली) की बोली को अस्वीकार करने का निर्णय लिया क्योंकि बोली की कीमत बहुत ज्यादा थी। अब, मुख्य अभियंता (द्वारका) को निविदा का पुनः आमंत्रण करना पड़ा।

• **नरेला उप–नगरः–** दिनांक 05.09.2018 को आयोजित डब्ल्यू.ए.बी. की 8वीं बैठक (2018) में कार्य सलाहकार बोर्ड के ध्यान में यह लाया गया कि प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी) तैयार करते समय निर्धारित किया गया कुल भूमि क्षेत्रफल 217.68 हेक्टेयर था। जिसमें टिकरी खुर्द की 83.31 हैक्टेयर और आई.एफ.सी. नरेला की 134.37 हेक्टेयर भूमि शामिल है। आई.एफ.सी. नरेला के प्लान को जांच समिति ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है तथा इसे व्यावसायिक थोक बाजार, जिला केंद्र, ऑटोमोबाइल शोरूम/रिपेयर शॉप, पार्किंग, पार्कों, ट्रक टर्मिनल आदि के लिए निर्धारित किया गया है। आई.एफ.सी. नरेला में विकास कार्यो को दि. वि. प्रा. द्वारा पहले ही शुरू कर दिया गया है और यह सोसायटी ऑफ अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट बनाम भारत संघ एवं अन्य (डब्ल्यू पी (सी) 5378/2016, सी.एम. संख्या 32335/2017 और 46284–85/2017) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उपराज्यपाल की निगरानी में है। इस प्रकार इस प्रस्ताव में केवल 83.31 हेक्टेयर क्षेत्र की योजना व्यर्थ का कार्य होगी। बोर्ड ने विस्तृत विस्तार–विमर्श के बाद मैसर्स आई. के. वर्ल्ड वाइड एंड एस.सी.पी. कंसलटेंट प्रा. लि. की बोली को अस्वीकार करने का निर्णय लिया क्योंकि उद्धृत की गई दरें बहुत ज्यादा थी और इस परियोजना के लिए उपलब्ध क्षेत्र पर्याप्त नहीं था।

• **रोहिणी उप–नगरः–** दिनांक 05.09.2018 को आयोजित डब्ल्यू.ए.बी. की 8वीं बैठक में कार्य सलाहकार बोर्ड के यह ध्यान में लाया गया कि 243.51 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए बोली आमंत्रित की गई थी यह क्षेत्र सेक्टर 39, 40 और 41 रोहिणी में फैला हुआ था तथा ऐसे सैक्टर जो अनधिकृत कॉलोनियों से घिरे हुए थे। भूमि का क्षेत्रफल धारा 24 के अंतर्गत भूमि की कमी के कारण 243.51 हेक्टेयर से 168.80 हेक्टेयर तक वास्तविक रूप से कम कर दिया है।

धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत भूमि की प्रस्तावित योजना के अंतर्गत उपयोग हेतु उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। धारा 24 (2) में व्यपगत

हुई भूमि विभिन्न खसरों में है, जिन्हें आदेशित नहीं किया गया है, अतः स्मार्ट सिटी की तरह विकसित करने के लिए भूमि की उपलब्धता को दि. वि. प्रा. के योजना विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाना है। अनधिकृत निजी विकास से घिरे हुए क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का निर्माण करना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। बोर्ड ने पर्याप्त विचार–विमर्श और मंत्रणा के बाद सहमति प्रदान की और तदनुसार यह निर्णय लिया कि मैसर्स आई. के. वर्ल्ड वाइड एंड एस.सी.पी. कन्सलटैंट प्रा. लिमिटेड की बोली को धारा 24 (2) के अंतर्गत तथा उच्च निविदा मूल्य के कारण हुए आवश्यक भूमि के एक भाग के नुकसान के कारण अस्वीकार कर दिया गया।

5.4 समाज सदन

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनता के लाभार्थ बड़े पैमाने पर समाज सदन के निर्माण का कार्य आरंभ किया है। वर्ष 2017–18 के दौरान 10 समाज सदनों का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ, 21 समाज सदनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, 23 समाज सदनों का निर्माण अभी योजना के स्तर पर है तथा 13 समाज सदनों का निर्माण विचाराधीन है।

5.5 व्यावसायिक केंद्र/परिसर

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आम जनता की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर समागम केंद्र/सुविधा बाजार केंद्र तथा जिला केंद्र के निर्माण का कार्य आरंभ किया है। वर्ष के दौरान 3 व्यावसायिक केंद्र/परिसर/जिला केंद्रों के निर्माण का कार्य सम्पन्न हुआ। वर्तमान में एक केंद्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

5.6 मौजूदा व्यावसायिक केंद्रों का नवीनीकरण

तीन व्यावसायिक केंद्रों–नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस और बसंत लोक व्यावसायिक केंद्रों को नवीनीकृत करने के लिए चिह्नित किया गया है। इस परियोजना में बाजार, प्लाज़ाओं, सुख–सुविधाओं और संपूर्ण परिवेश का सुधार शामिल है।

i) नेहरू प्लेस व्यावसायिक केंद्र का नवीनीकरण

• दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2017 को एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में पणधारियों, अन्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों तथा दि. वि. प्रा. के वरिष्ठ अधिकारियों ने भागीदारी की, इसमें वास्तुकला विभाग द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

• पत्र संख्याः– एफ4/ए सी ए –1/एसजेड/एच यू पी डब्ल्यू/डीडीए/2016/105 दिनांक 03.08.2017 के माध्यम से वास्तु कलात्मक रेखाचित्र मुख्य अभियंता (विद्युत) व मुख्य अभियंता (परियोजना) के लिए जारी किया गया, ताकि वे प्रारंभिक अनुमान का आकलन कर सकें।

• दि. वि. प्रा. के उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2017 को सम्पन्न 345वीं छानबीन समिति की बैठक में योजना को प्रस्तुत किया गया, तथा मद संख्या 119:2017 के द्वारा सैद्धान्तिक तौर पर इसे पारित कर दिया गया।

• दि. वि. प्रा. द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्य को शहरी विकास निधि के माध्यम से सम्पन्न किया जाए तथा इसके वित्तीय अनुमोदन के लिए इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

• शहरी विकास निधि के अंतर्गत कोष प्राप्त करने के लिए अनुमानित लागत का प्रस्ताव सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 जुलाई, 2017 को सम्पन्न बैठक में पारित कर दिया गया।

• दि. वि. प्रा. में अनुमानित लागत पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय के संस्वीकृति की प्रक्रिया विचाराधीन है और इसकी प्राप्ति के पश्चात निविदाएं जारी की जाएंगी।

• त्रिपक्षीय करार के प्रारूप पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दि. वि. प्रा. तथा दुकान के स्वामियों/कार्यालय स्थल स्वामियों/भवन निर्माणकर्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधीन विराधाराधीन है।

ii) भीकाजी कामा प्लेस व्यावसायिक केंद्र का नवीनीकरण

• दि. वि. प्रा. के उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2017 को एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में विभिन्न पणधारियों/अन्य स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों तथा दि.वि.प्रा. के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें वास्तुकला विभाग द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

• प्रारंभिक अनुमान का आकलन करने हेतु इंजीनियरिंग विंग को दिनांक 09.11.2017 को रेखाचित्र जारी किए गए।

दि. वि. प्रा. के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2017 को आयोजित छानबीन समिति की 354वीं बैठक के समक्ष योजना को प्रस्तुत किया गया तथा इसे सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया।

• दि. वि. प्रा. द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कार्य को शहरी विकास निधि के माध्यम से सम्पन्न किया जाए तथा निधियों की स्वीकृति के लिए इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

• शहरी विकास निधि के अंतर्गत कोष प्राप्त करने हेतु अनुमानित लागत का प्रस्ताव सचिव, शहरी आवासन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 जुलाई 2017 को सम्पन्न हुई बैठक में पारित कर दिया गया।

• दि. वि. प्रा. में अनुमानित लागत पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्वीकृति की प्रक्रिया विचाराधीन है तथा इसकी प्राप्ति के पश्चात् निविदाएं जारी की जाएंगी।

• त्रिपक्षीय करार के प्रारूप पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम एवं दि.वि.प्रा. तथा दुकान स्वामी/कार्यालय स्थल स्वामी/भवन निर्माणकर्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत विचाराधीन है।

iii) बसंत लोक सामुदायिक केंद्र

• उपाध्यक्ष, दि. वि. प्रा. की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2017 को आयोजित एक बैठक में साइट के पास से गुजरने वाले प्रस्तावित मेट्रो गलियारे को ध्यान में रखते हुए पूर्व पारित योजना में कुछ परिवर्तन के साथ वास्तुकला विभाग ने एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इस बैठक में पणधारियों, विभिन्न स्थानीय नागरिक निकायों के प्रतिनिधियों तथा दि.वि. प्रा. के वरिष्ठ अधिकारियों ने भागीदारी की। इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।

• माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिनांक 11.04.2008 को सम्पन्न हुई बैठक में बसंत लोक के सामुदायिक केंद्र के उन्नयन के लिए 10 करोड़ का रुपए अनुमोदन दिया।

• बीयूएमसी के परामर्शदाता/वास्तुकार द्वारा प्रस्तुत किए गए और वास्तुकला विंग द्वारा अनुमोदित किए गए रेखाचित्र के आधार पर कार्य आरंभ कर दिया गया है तथा इसे जनवरी, 2019 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5.7 मुख्य विशेषताएं

• निर्धारित अग्निशमन वाहन संचलन।

• प्रवेश द्वार, सीढ़ियाँ, विशेष आवश्यकताओं वालों के लिए सुगम पहुंच, रैंप इत्यादि।

• प्लाज़ा, सार्वजनिक स्थल, सभी सार्वजनिक स्थलों के पक्के फर्श, फव्वारों (दो) का नवीनीकरण।

• एम्पीथियेटर।

• ड्राइव वेज, पार्किंग सर्फेसेस इत्यादि, सभी वाहन पहुंच स्थल के रास्तों को पक्का करना।

• वन रक्षक।

• सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों तथा मार्ग सूचकों पर प्रकाश की व्यवस्था।

• जन सुविधाएं।

• स्ट्रीट फर्नीचर, बेंच, सार्वजनिक स्थलों पर कलाकृतियां, कूड़ादान।

• स्कवेटर्स/विक्रेता–पुनर्स्थापन तथा नए स्टॉल।

5.8 सेवाएं

• **अग्नि शमन प्रणाली:** अनुमादेन के अनुसार सभी नए हाइट्रेन्ट्स इत्यादि, 3 लाख लीटर भूमिगत टैंक तथा वीएमएस कक्ष के साथ पम्पघर।

• जल आपूर्ति लाइन/प्रणाली– पूरी प्रणाली का पुनर्निमाण।

• मौजूदा जल निकासी व्यवस्था– नवीनीकरण, सफाई तथा मरम्मत कार्य।

• बरसाती जल निकासी–वर्षा जल संचयन कूपों की ओर जाती नयी लाइनें।

• विद्युतीय व्यवस्था–बीएसईएस लाइंस के परामर्श से प्रकाश व मार्गसूचकों इत्यादि में संशोधन।

• भूमिगत नलिकाएं – विशेषतया कम वोल्टेज वाली लाइनों के लिए।

• भविष्य की सेवाओं के लिए भूमिगत नलिकाएं।

• सुरक्षा सेवाओं, सीसीटीवी तथा पीए व्यवस्था के लिए केबल/लाइन ।

5.9 गोल्फ कोर्स, सेक्टर–24, द्वारका के नजदीक खाली पड़ी भूमि का एकीकृत विकास

गोल्फ कोर्स के आस–पास खाली पड़े हुए भूखंडों में व्यावसायिक केंद्रों, रिहायशी इलाकों, फुटबॉल स्टेडियम, सेक्टर 20 के जिला केंद्र जैसी विविध पदानुक्रमिक व्यवस्था शामिल है। भूमि के अधिकतम उपयोग तथा इसके विकास को अधिक लचीला बनाने हेतु बदलते हुए बाजार की मांग के साथ सामंजस्य बिठाते हुए तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं, ताकि वे द्वारका गोल्फ कोर्स, द्वारका में विविध खेल सुविधाओं तथा भारत वंदना पार्क में मनोरंजन केंद्र के लिए संधारणीय मॉडल का सुझाव दे सकें।

5.10 स्लम के अवैध निवासियों का पुनर्वास

कठपुतली कॉलोनी, जेलर वाला बाग, कालकाजी, ए–14, के स्वस्थाने पुनर्वास के कार्य की अग्रगामी परियोजना का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न प्रकार के मॉडल आरंभ किए जा चुके हैं। तथापि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रभावी प्रशासनिक सहयोग मिले। स्वस्थाने पुनर्वास परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:–

1) कालकाजी एक्सटेंशन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 3024 आवासीय इकाइयों का 76.5 प्रतिशत भाग पूरा हो चुका है। यह कार्य अन्य सभी सेवाओं के साथ मार्च 2019 में पूरा किए जाने की संभावना है।

2) जेलर वाला बाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1675 आवासीय इकाइयों का निर्माण: यह कार्य प्रगति पर है तथा इसकी सभी सेवाओं सहित 30.06.2019 तक पूरे होने की संभावना है। वर्तमान प्रगति 20 प्रतिशत है।

3) कठपुतली कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की 2800 आवासीय इकाइयों का निर्माण: यह कार्य अभी आरंभ हुआ है तथा इसके अन्य सभी सेवाओं के साथ 31.12.2019 तक पूरा होने की संभावना है। वर्तमान प्रगति 2 प्रतिशत है।

5.11 शहरी विस्तार सड़कें

दि. वि. प्रा. ने तीन शहरी विस्तार सड़कों के निर्माण कार्य के साथ दिल्ली–करनाल रेलवे लाइन तथा दिल्ली–रोहतक रेलवे लाइन के रोड ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण का कार्य किया है। इन सड़कों का निर्माण ट्रैफिक की भीड़–भाड़ को कम करने, प्रदूषण स्तर कम करने तथा मुख्य सड़कों को जोड़ने वाले मार्गों में सुधार करने तथा दिल्ली के नगरीय इलाकों के विकास की गति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसका विस्तार आधारित विवरण निम्न प्रकार है:–

शहरी विस्तार सड़कों का कार्य भूमि–अधिग्रहण का कार्य न हो पाने के कारण पी–II जोन में नहीं किया गया था। शहरी विस्तार सड़कों का निर्माण कार्य तभी हो सकेगा जब कनेक्टिविटी के साथ भूमि की उपलब्धता हो।

i) शहरी विस्तार सड़क–I की स्थिति

नगरीय सड़क विस्तार–I का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग–1 से लेकर बवाना औचंडी रोड (9.43 कि.मी.) तक दिल्ली–करनाल रेलवे लाइन तथा नरेला के भारतीय खाद्य निगम के संयुक्त आर.ओ.बी. को छोड़कर पूरा हो चुका है। उत्तरी रेलवे ने अपनी भूमि पर आर. ओ. बी. का कार्य आरंभ कर दिया है। नरेला के पुल पर सड़क के निर्माण का कार्य जनवरी, 2018 के प्रथम सप्ताह में दिया गया था। इसके निर्माण का कार्य जोरों–शोरों से चल रहा है तथा इसके मार्च, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

ii) शहरी विस्तार सड़क–II की स्थिति

दि. वि. प्रा. ने शहरी विस्तार सड़क-II की योजना बनायी है जो एन. एच. –1, एन. एच.–10, एन. एच.–8 तथा एन. एच.–2 को जोड़ती है। यह दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों के ट्रैफिक को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके 24.18 कि.मी. विस्तार का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। जैसा कि यह सड़क तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ती है इसलिए एनएचएआई से अनुरोध किया गया है कि शेष बचे कार्य को स्वीकार करें तथा साथ ही इसे पूर्वी दिल्ली के एनएच–24 तक बढ़ाने की संभावना पर विचार करे, जिससे दिल्ली के चारों ओर एक परिधीय घेरा बनाया जा सकें।

शहरी विस्तार सड़क-II का निर्माण होलंबीकला के आर. ओ. बी. के निर्माण को छोड़कर एन. एच.–1 से लेकर कंझावाला रोड (12.33 कि.मी.) तक पूरा हो चुका है। यहां का अंडर पास 1.05 किलो मीटर लम्बा है, इसमें 450 मीटर रेलवे लाइन के नीचे है। रेलवे ने अंडर पास के निर्माण के लिए 1.15 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

कंझावाला रोड से एन. एच.–10 (एन. एच.–9) (5.59 कि.मी.) के टुकड़ें का निर्माण कार्य अभी आरंभ होना बाकी है। यहां भाग्य विहार और मीर विहार जैसी अनधिकृत कालोनियों, जिनके नीचे से एक टनल बनाने का प्रस्ताव है, की बसावट में बहुत सारी रूकावटें हैं। शहरी विस्तार सड़क-II का एन. एच.–10 से बक्करवाला गांव तक की 2.95 कि.मी. का कार्य पूरा हो चुका है।

बक्करवाला गांव से नजफगढ़ नाले तक कुल 13.07 कि.मी. तक के विस्तार का कार्य अभी आरंभ होना बाकी है। इस विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा अभी भी एलएसी के द्वारा मुकदमेबाजी और घनी बसी हुई अनधिकृत कॉलोनियों के कारण सुपुर्द किया जाना बाकी है, जैसाकि दिकचौन एन्कलेव जहां सड़क का 250 मीटर भाग प्रभावित हो रहा है, अमर कॉलोनी से सड़क का 80 मीटर, दहिया फार्म से सड़क का 240 मीटर भाग, श्याम विहार, रोशनपुरा और पाइप फैक्टरी से सड़क का 900 मीटर भाग प्रभावित हो रहा है।

नजफगढ़ नाले से एन. एच.–8 तक के लिए नजफगढ़ नाले के लिए शहरी विस्तार सड़क-II के निर्माण के लिए द्वारका उपनगर के साथ एक 3 कि.मी. लंबाई की सड़क के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है व आंशिक रूप से निर्मित है। रेवाड़ी लाइन अंडर पास से एन. एच.–8 (शिवमूर्ति) तक 5.90 कि.मी. लंबाई की सड़क आई.जी.आई. एयरपोर्ट के पश्चिमी चारदीवारी के साथ, एक संरेखण के अन्य भागों में 100 मी. के स्थान पर 60 मीटर के मार्गाधिकार के साथ पूरी तरह निर्मित तथा संचालित हो चुकी है।

एन. एच.–8 से एन. एच.–2 के बीच इस संरेखण के विस्तार में लगभग 18 कि.मी. की सड़क को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

आर. टी. एंड एच. मंत्रालय के निर्णय के अनुसार शहरी विस्तार सड़क-II एनएचएआई के सुपुर्द किया जाना प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना का कार्यान्वयन एनएचएआई द्वारा किया जाएगा, जिसमें एनएचएआई और दि.वि.प्रा. द्वारा अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की लागत को 50:50 के अनुपात में मिलकर वहन किया जाएगा।

iii) शहरी विस्तार सड़क–III की स्थिति

शहरी विस्तार सड़क (80 मी. का मार्गाधिकार) का निर्माण पश्चिमी यमुना नहर से मजरी रोड (सेक्टर 21/22, रोहिणी) तक 7.3 कि.मी. की लंबाई पूरी की जा चुकी है। शहरी विस्तार सड़क-III के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रेम आधार नर्सरी (सेक्टर 24/32, रोहिणी) के पास एक अनधिकृत भूखंड का समूह है जो सड़क को 70 मीटर तक प्रभावित कर रहा है। यद्यपि अनधिकृत भूमि के आस–पास डाइवर्जन बनाकर सड़क को पूरी तरह संचालित किया जा चुका है।

5.12 त्वरित कार्रवाई दल (क्यू.आर.टी./एस.टी.एफ.)

दि. वि. प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण को मॉनीटर करने के लिए और दि. वि. प्रा. की भूमि से भूमि प्रबंधन शाखा, दि. वि. प्रा. की सहायता से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने हेतु सहायक अभियंता की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालयों में त्वरित कार्रवाई दल (क्यू.आर.टी.) का गठन किया गया है। इसके साथ ही नोडल अधिकारी के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर विशेष गतिविधियों/कार्यों की निगरानी करने के लिए क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंताओं (सिविल) तथा सहायक अभियंताओं का एक विशेष जांच दल (एसटीएफ) गठित किया गया है।

5.13 सड़कें

दि. वि. प्रा. के अधीन सभी मुख्य योजना सड़कें और सैक्टरल सड़कों का दि. वि. प्रा. द्वारा उचित रूप से रखरखाव किया जा रहा है।

5.14 विविध गतिविधियां

क) मिलेनियम पार्क

दिल्ली के सौन्दर्यीकरण के उद्देश्य से आई.एस.बी.टी. सराय काले खां से भैरों मंदिर मार्ग तक रेलवे लाइन और रिंग रोड के बीच समस्त भूमि जिसका पहले कूड़ा डालने के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता था, को भू–दृश्य के लिए विकसित किया गया है।

क) रिंग रोड के साथ–साथ पार्क की कुल लंबाई	लगभग 2 कि.मी.
ख) भ्रमण मार्ग की कुल लंबाई	लगभग 5 कि.मी.
ग) जोगिंग ट्रैक की कुल लंबाई	लगभग 6 कि.मी.

पार्क को हरा भरा बनाने के लिए डॉ सेन नर्सिंग होम नाला (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) से उपचारित प्रवाह का उपयोग किया जा रहा है। सैनिटरी लैंडफिल साइट को एक खूबसूरत परिदृश्य स्थल में बदल दिया गया है, एवेन्यू तथा पैदल मार्गों पर हुमायूँ के मकबरे का संदर्भ देते हुए निर्माण किया गया है, जिससे एक प्रभावी पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ है।

इस परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है तथा माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा दिनांक 17.06.2012 को इसका उद्घाटन किया जा चुका है।

निम्नलिखित कार्य आरंभ किए गए हैं:–

- स्तूप के नजदीक दर्शक दीर्घा का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा दिनांक 31.10.2018 तक इसके पूरे होने की संभावना है।
- जापानी स्टाइल स्टोन/लालटेन/लैंप प्रदान करना/लगवाना: जापानी स्टाइल स्टोन/लालटेन/लैंप का इंतजाम बैंगलोर से किया गया है तथा यह माल साइट पर प्राप्त हो चुका है। जिसे स्तूप सोसाइटी के प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में दिनांक 30.09.2018 तक लगा दिया जाएगा।
- आर. सी. सी., जल भंडारण टैंक, जल फिल्टर प्रणाली एवं पम्पिंग प्रणाली, मत्स्य झील, जापानी ब्रिज, पैडेस्ट्रेन पार्क, आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं एवं दिनांक 31.10.2018 तक पूरा होने की संभावना है।
- स्तूप की छत पर क्राउन लागने का कार्य दिनांक 31.10.2018 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया हैं।

(ख) सुल्तानगढ़ी मकबरा सरंक्षण परिसर, वसंत कुंज का विकास

सुल्तान नसीरूद्दीन महमूद, सुपुत्र सुल्तान इल्तुत्मिश, की मज़ार, सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण सन् 1236 में महरौली–महिपालपुर मार्ग

पर स्थित रंगपुरी पहाड़ी (उपनाम मलिकपुर कोही) क्षेत्र में हुआ था। स्मारक के आसपास कुल 25 हैक्टेयर (62 एकड़) के विकास करने का निर्णय लिया गया है। सुल्तानगढ़ी स्मारक हैरिटेज जोन के अंतर्गत आता है एवं आजकल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका रखरखाव किया जा रहा है। इसके विकास की योजना को दि. वि. प्रा. के वास्तुकला विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस कार्य को छानबीन सीमिति द्वारा विधिवत अनुमोदित विकास योजना की प्राप्ति पर ही शुरू किया जाएगा।

(ग) अरावली–जैव वैविध्य पार्क, वसंत विहार का उत्तर

दि. वि. प्रा. ने दक्षिण दिल्ली में देखे गए रिज एवं पथरीले अवशेषों पर दूसरे जैव विविधता पार्क को विकास करने की योजना बनाई है। वसंत विहार के निकट, एक बड़े क्षेत्र जिसे सामान्यत मुरादाबाद पहाड़ी एवं कुसुमपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, को दिल्ली विश्वविद्यालय के परामर्श से अरावली– जैव वैविध्य पार्क के विकास हेतु चुना गया।

अरावली जैव–वैविध्य पार्क इस समय वसंत विहार एवं वसंत कुंज के बीच लगभग 690 एकड़ (277 हैक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्थल के केंद्र बिंदु से एक घना चट्टानी दृश्यांश फैला हुआ है। यह स्थल ऊबड़–खाबड़, असमतल एवं कीकर के पौधों से भरा हुआ है और यहां रिज पर झांड की पैदावार और एक पुरानी मस्जिद भी है। इसे सामान्यत मुरादाबाद पहाड़ी कहा जाता है।

यहां उत्तर में आउटर रिंग रोड से, पूर्वी तरफ से वसंत विहार के पूर्वी मार्ग से पहुंचा जा सकता है। इस स्थल की पश्चिमी सीमा छावनी क्षेत्र है।

कुछ विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। नेचर इंटरप्रिटेशन सैंटर के विकास कार्य को रिज प्रबंधन बोर्ड से अनापत्ति/एन.ओ.सी. के प्राप्त होने के बाद ही आरंभ किया जाएगा।

(घ) तुगलकाबाद जैव वैविध्य पार्क का विकास

दिनांक 17.02.2016 को दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय किया गया कि ड्रिस्ट्रिक्ट पार्क को दिनांक 01.12.2015 को डब्ल्यू.पी. सी. सं. 2706/2014 में मनोज कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तेहखंड फेज़–II स्थित तुगलकाबाद (तेहखंड फेज़–II) जिसे एम.पी. ग्रीन एरिया के नाम से भी जाना जाता है के ड्रिस्ट्रिक्ट पार्क को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दि. वि. प्रा. द्वारा जैव–वैविध्य पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2016 में इस जैव–वैविध्य पार्क में कुल 75–80 प्रकार के 30,000 पौधों को रोपित किया गया। वर्ष 2017 के दौरान विभिन्न प्रकार के देशी पेड़ों के 10,000 पौधों को रोपित किया गया हैं।

(ड़) नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर के निकट आस्था कुंज

दि. वि. प्रा. द्वारा अपने नेहरू प्लेस से सटे हुए राष्ट्रीय महत्ता के 81 हैक्टेयर हरित क्षेत्र के जिला पार्क जो कि बहाई एवं इस्कॉन मंदिर के बीच है, जिसे "आस्था कुंज" के नाम से जाना जाता है, को विकसित किया गया। इस पार्क की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

- पार्किंग एवं दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं सहित सुंदर प्रवेश द्वार।
- प्लाज़ा, फूड कॉर्नर एवं झील तटीय सुविधाएं।
- बच्चों के खेलने का क्षेत्र, वरिष्ठ नागरिकों के कॉर्नर, जॉयनिंग ट्रैक एवं फिटनेस ज़ोन।
- बड़े समारोह स्थल, योगा हेतु ध्यान स्थान एवं प्रवचन क्षेत्र के साथ समारोह सभा क्षेत्र। सामाजिक/सांस्कृतिक क्षेत्र जहाँ सांस्कृतिक प्लाज़ा, प्रदर्शन क्षेत्र और एमफिथियेटर होंगे।
- प्रचुर वनस्पति के साथ प्राकृतिक पगडंडी, निष्क्रिय मनोरंजन क्षेत्रों, आदि के साथ पारिस्थतिक गलियारे।
- अन्य सुविधाएं जैसे स्मृतिचिन्ह्न दुकानें, पुस्तकों का स्टॉल, जनोपयोगी सेवाएं, रेस्तरा एवं पौधों का बिक्री केंद्र।

(च) तिलपथ वैली

तिलपथ वैली की चार दीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। दिनांक 30.08.2015 को एक लाख पौधों का रोपण टाइम्स ऑफ इंडिया–हीरो ग्रुप्स एवं दि. वि. प्रा. द्वारा किया जा चुका है। 30,000 पौधों का रोपण दिनांक 06.11.2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया–हीरो समूह एवं दि. वि. प्रा. द्वारा किया गया है। दिल्ली के माननीय उप–राज्यपाल द्वारा दिनांक 03.02.2018 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया।

(छ) जहांपनाह सिटी फॉरेस्ट

जहांपनाह सिटी फॉरेस्ट कुल 435 एकड़ से अधिक क्षेत्र में असमान रूप में फैला हुआ है एवं इसे रिजर्व वन की तरह संरक्षित किया जा रहा है।

(ज) सतपुला झील परिसर का विकास

सतपुला झील परिसर दक्षिण दिल्ली में कुल 40 एकड़ में फैला हुआ है। यह परिसर प्रेस एनक्लेव रोड, शेख सराय सुविधा केंद्र एवं खिड़की गांव से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र का सुधार करने हेतु झील परिसर की एक भू–दृश्य योजना बनाई गई है। विकास कार्य प्रगति पर है और यह संभवतः तीन वर्षों में पूरा हो जाएगा। वर्ष 2017 के दौरान दो वर्षा जल संचयन संरचनाएं विकसित की गई हैं।

(झ) तुगलकाबाद में एम्फीथियेटर का विकास

तुगलकाबाद स्थित एम्फीथियेटर का विकास कार्य वर्ष 2017 के दौरान प्रारंभ किया गया और इसे पूरा किया जा चुका है।

उद्यान–राजधानी को हरा–भरा बनाना

6

(क) वृक्षारोपण

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य				उपलब्धियां			
		वृक्ष		झाड़ियां		वृक्ष		झाड़ियां	
		वास्तविक (संख्या)	''वित्तीय लाख (रु. में)''	वास्तविक (संख्या)	''वित्तीय लाख (रु. में)''	वास्तविक (संख्या)	''वित्तीय लाख (रु. में)''	वास्तविक (संख्या)	''वित्तीय लाख (रु. में)''
1	उद्यान (दक्षिण–पूर्व)	54,380	8,157,000	23,980	17,985,000	57,107	8,565,900	234,552	17,591,400

(ख) लॉन का विकास

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		वास्तविक (एकड़ में)	वित्तीय (रु. लाख में)	वास्तविक (एकड़ में)	वित्तीय (रु. लाख में)
1	उद्यान (दक्षिण–पूर्व)	30.00	4,095,000	27.00	4,050,000

(ग) चिल्ड्रन कॉर्नर/उपकरणों का विकास

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		वास्तविक (सेट्स में)	वित्तीय (रु. लाख में)	वास्तविक (सेट्स में)	वित्तीय (रु. लाख में)
1	उद्यान (दक्षिण–पूर्व)	95	1,900,000	97	1,940,000

नोटः जल की कमी एवं अन्य कारणों से लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका।

वसंत वाटिका, वसंत कुंज

भूमि प्रबंधन एवं भूमि निपटान विभाग

7

7.1 भूमि प्रबंधन विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों की भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण पहले का दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नूजल–I की भूमि की देखभाल करता है और सन् 1957 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई नूजल–II की भूमि का प्रबंधन एवं देखरेख भी करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है, जो पहले के पुनर्वास मंत्रालय से एक पैकेज डील के अंतर्गत ली गई थी। इसके अतिरिक्त भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की कुछ भूमि भी देख भाल एवं रख–रखाव के उद्देश्य के लिए दि. वि. प्रा. के पास है।

भूमि प्रबंधन विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:–

i. भूमि का अधिग्रहण करना।

ii. भूमि का प्रबंधन।

iii. भूमि उपयोगकर्ता विभागों की सहायता करना।

iv. भूमि प्रबंधन संबंधी मामलों के लिए विभिन्न विभागों और बाहर की एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

v. अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण गिराने के कार्यक्रमों की योजना बनाना।

vi. दि. वि. प्रा. के विकास क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करना।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संबंधित भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (एल.ए.सी), दिल्ली द्वारा दि. वि. प्रा. को कोई भूमि नहीं सौपी गई।

भूमि प्रबंधन की क्षतिपूर्ति शाखा को सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से बसे आबादकारों की अधिभोग से होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने एवं वसूली करने का काम सौंपा गया है। इसके एक संपदा अधिकारी को पी.पी. अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन क्षति के मूल्यांकन और बेदखली की शक्ति दी गई।

वर्ष 2017–18 में भूमि प्रबंधन विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रणाली में किए गए परिवर्तन

भूमि प्रबंधन विभाग की कार्य–प्रणाली में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थित कदम उठाए गए:–

i. प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन) नई व्यवस्था के अंतर्गत डीडीए भूमि की निगरानी और अतिक्रमण हटाने के पर्यवेक्षण एवं सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी होगा और इंजीनियरिंग विंग से संबंधित सर्कल के अधीक्षण अभियंता (एसई) के तहत निगरानी इकाई द्वारा सहायता की जाएगी।

ii. उप निदेशक (भूमि प्रबंधन) एवं उप निदेशक (उद्यान) द्वारा अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में एक कर्मचारी स्थाई आधार पर नियुक्त करेंगे जो कि अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में बैठेंगे। ये कर्मचारी किसी भी प्रकार की कमी/अक्षमता/अनधिकृत निर्माण आदि के लिए उत्तरदायी होंगे और ये संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को रिपोर्ट करेंगे। संबंधित अधीक्षण अभियंता प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन) एवं मुख्य अभियंताओं को एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्य अभियंता क्षेत्रीय भूमि संरक्षण अधिकारी ही रहेंगे।

iii. सभी भूमि, जो अब तक भूमि प्रबंधन शाखा के अधीन थी को अब उपयोग एवं चारदीवारी बनाने हेतु अभियंता एवं उद्यान विभागों को अंतरित की जा रही है।

iv. समय से अतिक्रमण का पता लगाने हेतु खाली पड़ी भूमि की तस्वीरों को मासिक आधार पर अपलोड करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

v. दि. वि. प्रा. की खाली पड़ी भूमि की उचित सुरक्षा हेतु चारदीवारी का निर्माण/फेन्सिंग के कार्य को पूरा करने हेतु सभी मुख्य अभियंताओं को निदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

vi. यमुना नदी तल के अंतर्गत आने वाली भूमि जो कि अस्थायी अतिक्रमण, अवैध खेती आदि के प्रवृत्त है को मुख्य योजना के अनुसार 'हरित' में उपयोग हेतु भूमि प्रबंधन विभाग से उद्यान विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

vii. अभियंता शाखा के 60 सहायक अभियंताओं को अतिक्रमणों का जल्दी पता लगाने एवं उनको हटाए जाने हेतु सहायक अभियंता (क्यू.आर.टी.) अर्थात् त्वरित कार्रवाई दल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

viii. क्षेत्र दौरों के समय फील्ड स्टाफ को पाए जाने वाले अतिक्रमण के विवरण को रिकॉर्ड करने हेतु उचित डायरी आदि बनाने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए गए हैं। अधीक्षण अभियंताओं को फील्ड स्टाफ द्वारा बनाई डायरियों को मासिक आधार पर निरीक्षण करने का निदेश दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि फील्ड स्टाफ अपनी बीट डायरियों में अतिक्रमण की प्रकृति, स्थान आदि को स्पष्ट करते हुए अतिक्रमण के विवरण को रिकॉर्ड करें। इस प्रकार बीट डायरियों में दिए गए विवरण से भूमि जिस पर अतिक्रमण हुआ है उसे पहचानना संभव हैं।

ix. इसके अतिरिक्त, अतिक्रमणों का समय पर पता लगाने को सुनिश्चित करने हेतु एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है।

x. दोबारा अतिक्रमण किए जाने की समस्या को निर्माण गिराने के कार्यक्रम आयोजित करके पुनः प्राप्त की गई भूमि पर बाड़ लगाकर निपटाया जाएगा।

7.3 फील्ड–स्तर के अधिकारियों का बारी–बारी से स्थानान्तरण

पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सहायक निदेशक,

सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और सर्वेक्षक सहित भूमि प्रबंधन विभाग के सभी फील्ड स्तरीय अधिकारियों, जिन्हें अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर एक वर्ष से अधिक हो गया था, को स्थानान्तरित कर दिया गया है। भूमि प्रबंधन विभाग के सभी सुरक्षा गार्ड, जो लंबे समय से उसी जोन में तैनात थे; उन्हें भी स्थानान्तरित कर दिया गया है।

7.4 इंजीनियरिंग एवं उद्यान विभाग को खाली पड़ी भूमि का अंतरण

यह निर्णय लिया गया है कि भूमि प्रबंधन विभाग की संपूर्ण खाली पड़ी भूमि को स्थल पर उचित सीमांकन के बाद, खसरा सं. के विवरण, स्थलों के देशांतर और आक्षान्तर आदि सहित सौंप दिया जाएगा और इसका सौंपने/ग्रहण करने के रिकार्ड में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थल पर निर्देशांक को सीमांकित करने के बाद भूमि प्रबंधन और अभियंता विभाग के बीच सौंपने/ग्रहण करने का कार्य किया जाएगा। इंजीनियरिंग विंग को प्लॉट सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है।

7.5 बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के एल.ए.सी. और भूमि एवं भवन विभाग से दि.वि.प्रा. को समय पर माँग प्राप्त नहीं होने के कारण कोर्ट के आदेशानुसार भूमि अर्जन हेतु बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान में विलम्ब किया गया है। इसके कारण दि.वि.प्रा. ने अनावश्यक रूप से बढ़े मुआवजे पर पर्याप्त ब्याज का भुगतान करना समाप्त कर दिया। एल.ए.सी. और भूमि एवं भवन विभाग के अधिकारियों के साथ 19.10.2015 को दि.वि.प्रा. उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के एल.ए.सी. एवं भूमि एवं भवन विभाग द्वारा बढ़ाये गये मुआवजे संबंधी मामलों की सरल जाँच हेतु विस्तार से समय सीमा एवं प्रक्रिया तय की गई और इन माँगों को दि.वि.प्रा. को समयबद्ध तरीके से भेजने पर विचार किया गया, ताकि ब्याज के अनावश्यक भुगतान से बचा जा सके।

आर.एफ.डी. एवं तदनुरूप उपलब्धि और समग्र स्कोर

कार्य	1 अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक की उपलब्धियाँ
दि.वि.प्रा. के अधीन 23 नजूल संपदाओं के राजस्व नक्शों का भू–संदर्भ जी.एस.डी.एल. की सहायता से किया जाना है।	23 में से 19 नजूल संपदाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है।

भूमि प्रबंधन विभाग से संबंधित वास्तविक प्रगति

कार्य	उपलब्धि
गाँवों की कुल संख्या जिनमें भूमि अधिग्रहित की गई और भू रिकॉर्ड अर्थात सजरा/मसावी नक्शे डिजिटाइज्ड किए गए।	240 गाँवों का रिकार्ड डिजिटाइज्ड किया गया।
(क) रा.रा.क्षे.दि. सरकार के एल.ए.सी./भूमि एवं भवन विभाग द्वारा दि.वि.प्रा. को सौंपी गई भूमि	शून्य
(ख) क्षतिपूर्ति की वसूली	61,81,576/– रुपये
(ग) जारी किया गया मुआवजा	20,92,691/–रुपये
(घ) बढ़ा हुआ मुआवजा जारी किया गया कोर्ट अटैचमेंट	10,94,43,261/– रुपये 103,55,99,000/– रुपये
(ङ) बेदखली के निर्णीत मामले	1 सं.
(च) समाधान कार्य अवार्ड पूरा किया गया और एल.ए.सी. द्वारा प्रमाणित किया गया	751
(ज) दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर फोटोग्राफ सहित भूमि की स्थिति	भूमि प्रबंधन विभाग के सभी जोन में वर्ष 2017–18 के दौरान भूमि प्रबंधन विंग के पास उपलब्ध 3158 खाली पड़े प्लॉटों के 104650 फोटोग्राफ अपलोड किए गए।
(1) इस अवधि के दौरान निर्माण गिराने के चलाए गए कुल कार्यक्रम	145 कार्यक्रम किये जा चुके हैं।
(2) इस अवधि के दौरान पुनः प्राप्त की गई भूमि	322.83 हैक्टेयर

यमुना जैव–वैविध्य पार्क

वर्ष के दौरान भूमि निपटान विभाग की उपलब्धियाँ

क्रम सं.	मद	जी.एच.	सी.एस.	एल.एस. (रोहिणी)	एल.ए.बी. (रोहिणी)	सी.ई.	सी.एल.	एल.एस.बी.-1	आई.एल.	ओ.एस.बी.	एल.पी.सी.	एल.ए. (आवासीय)	कुल
1.	वार्षिक प्राशुल्क (राशि / करोड़ रु. में)	–	0.50	शून्य	1.12	32	59.72	49.68	247	3.14	–	0.80	393.96
2.	परिवर्तन के मामले और निष्पादित किए गए हस्तांतरण विलेख	4141	281	–	2405	390	106	191	लागू नहीं	474	–	330	8318
3.	नामांतरण परिवर्तन की अनुमति दी गई	386	82	539	89	35	12	40	लागू नहीं	12	–	89	1284
4.	निष्पादित किए गए पट्टा विलेख	–	–	–	2300	–	18	01	21	1	–	13	2354
5.	जारी किए गए कब्जा पत्र	01	शून्य	1005	लागू नहीं	10	24	01	10	02	–	16	1069
6.	समयावधि को बढ़ाया गया	01	शून्य	–	35	–	652	12	89	शून्य	–	6	795
7.	बंधक रखने की अनुमति प्रदान की गई	–	शून्य	–	शून्य	–	7	शून्य	21	01	–	1	30
8.	निपटान किए गए आई.टी.ई. मामलें	469	124	–	200	150	228	229	293	342	–	154	2189
9.	उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस	5	शून्य	–	29	800	28	25	10	01	–	13	911
10.	रद्दकरण	–	शून्य	–	05	02	शून्य	02	1	शून्य	–	–	10
11.	बहालीकरण	–	शून्य	–	04	04	03	02	–	शून्य	–	–	13
12.	नीलामी / वैकल्पिक आबंटन द्वारा किया गया आबंटन	01	शून्य	13605	लागू नहीं	3	शून्य	शून्य	08 प्लॉट प्रक्रिया–धीन	शून्य	–	–	13617
13.	टिप्पणियाँ: व्यावसायिक संपदा : ई–निविदा के माध्यम से (लगभग 1200) दुकानों के निपटान का प्रस्ताव। एल.एस.बी. (आवासीय) : नरेला में वैकल्पिक आबंटन हेतु प्लॉटों की पहचान करना। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोन्डली में नीलामी हेतु लगभग 356 प्लॉटों की पहचान की गई।												

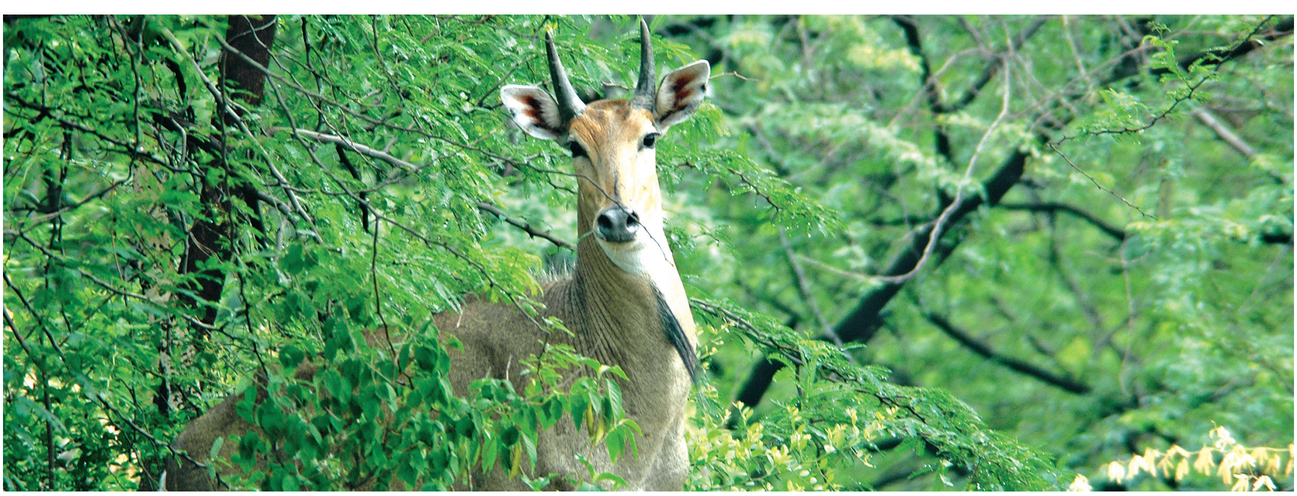

अरावली जैव–वैविध्य पार्क

आवास विभाग

8

8.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1967–68 से आवासीय कार्यकलाप आरंभ किए गए। दि.वि.प्रा. ने समय–समय पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत फ्लैटों के आबंटन हेतु स्कीमों की घोषणा की। वर्ष 1969 में पहली पंजीकरण स्कीम शुरू की गई। उसके बाद अब तक 45 अन्य स्कीमें शुरू की गई।

8.2 आवासीय स्कीम–2017: दि.वि.प्रा. ने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 12617 फ्लैटों के आबंटन के लिए 31.03.2018 को आवासीय स्कीम–2017 की शुरूआत की।

कुल 12617 फ्लैटों में से 6117 फ्लैटों के संबंध में मांग एवं आबंटन पत्र जारी किए गए। अब शेष 5712 में से रद्द/वापस किए गए 794 एल. आई. जी. फ्लैटों को सी. आई. एस. एफ. को आबंटित किया गया ।

8.3 फ्लैटों का परिवर्तन: वर्तमान नीति विषयक दिशा–निर्देशों के अंतर्गत 01.04.2017 से 31.03.2018 तक लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड के लिए परिवर्तन के लिए कुल 2878 हस्तांतरण विलेख दस्तावेज जारी किए गए।

8.4 आवासीय स्कीम–2018 की शुरूआत: दि. वि. प्रा. विभिन्न स्थानों पर सभी श्रेणियों के लगभग 21,000 फ्लैटों के निपटान के लिए आवासीय स्कीम–2018 की प्रक्रिया की शुरूआत कर रहा है।

वसंत कुंज स्थित आवास

प्रणाली विभाग

9

9.1 प्रणाली विभाग

9.1.1 दि.वि.प्रा. का पूर्ण कम्प्यूटरीकरणः खुली निविदा के माध्यम से एक उपयुक्त एजेंसी/कॉन्सोरटियम का चयन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सेवानिवृत्त महानिदेशक द्वारा एक प्रस्ताव अनुरोध (आर.एफ.पी.) का मसौदा पुनः तैयार किया जा रहा है, ताकि दि.वि.प्रा. के परियोजना शीर्षक ''निर्णय समर्थन एवं ऑनलाइन सार्वजनिक सेवा (शिकायत निवारण सहित) प्रणाली (सी.एम.एस.) के लिए डिजिटल सेवाएँ–कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली'' के माध्यम से सभी विभागों का कम्प्यूटरीकरण किया जा सके। इससे दि.वि.प्रा. अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावी सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान कर सकेगा तथा ऑनलाइन डिजिटल सेवा के माध्यम से पब्लिक डीलिंग में पारदर्शिता का संचालन होगा।

माननीय उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा एक आर.एफ.पी. को मंजूरी दी गई और इसे दिनांक 30.11.2017 को एन.आई.सी. के सी.पी.पी. पोर्टल पर अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में जारी किया गया है।

9.1.2 मोबाइल एप्लीकेशनों का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयनः–

(क) इंजीनियरिंग परियोजनाओं की मापन पुस्तिकाओं को ऑनलाइन भरने के लिए मोबाइल एप्लीकेशनः– दि. वि. प्रा. में, ठेकेदारों और अभियंताओं द्वारा मापन पुस्तिकाओं (एम.बी.) को ऑनलाइन भरने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल एवं वेब आधारित एप्लीकेशन को डिज़ाइन एवं विकसित किया गया। भरे जाने की प्रक्रिया के दौरान अवस्थिति या स्थान का अक्षातंर और देशांतर माप भी लिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि माप लेने के लिए अभियंता द्वारा वास्तव में स्थल का दौरा किया गया है। मापन–पुस्तिका के ऑनलाइन भरे जाने से परियोजना को समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी।

31 मार्च, 2017 तक 2831 इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन माप लिए जा चुके हैं और 2522 से अधिक बिलों को ऑनलाइन प्रोसेस्ड किया जा चुका है जिनके लिए ठेकेदारों को भुगतान किया जा चुका है।

(ख) समय–समय पर फोटो अपलोडिंग द्वारा भूमि संरक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशनः इस मोबाइल एप्लीकेशन को दि.वि.प्रा. में डिजाइन और विकसित किया गया, जिसके माध्यम से भूमि संरक्षण विंग, इंजीनियरिंग और उद्यान विंग के कर्मचारी समय–समय पर खाली भूमि के फोटोग्राफ अपलोड करते हैं।

इस प्रक्रिया में, अवस्थितियों के अक्षांतर और देशांतर भी इन फोटो के माध्यम से कैप्चर किए जाते हैं। अतः इससे अतिक्रमण का आसानी से पता लगाया जा सकता है और अतिक्रमण को हटाने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक 31.03.2018 तक विभिन्न फील्ड अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए प्लॉटों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	विभाग	प्लॉटों की कुल संख्या	अपलोड किए गए फोटोग्राफ्स की सं.
1	इंजीनियरिंग	2336	211137
2	भूमि प्रबंधन	248	15754
3	एन.ओ.आर	589	10584
4	उद्यान	769	25936
5	मानसून पूर्व	165	2083
	कुल	**3932**	**265494**

(ग) खेल परिसरों और समाज सदनों के रखरखाव से संबंधित फीडबैक एप्लीकेशनः दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों और समाज सदनों के रखरखाव के बारे में जनता से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया है। जनता इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फीडबैक देती है और जनता द्वारा प्राप्त फीडबैक का प्रयोग रखरखाव, पर्यवेक्षण और इनके रखरखाव के लिए उत्तरदायी ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है।

(घ) दि.वि.प्रा. फ्लैट्स के लिए उनके आबंटितियों से फीडबैक लेने हेतु मोबाइल एप्लीकेशनः यह मोबाइल एप्लीकेशन इस प्रकार डिजाइन और विकसित किया गया है जिससे कि आबंटितियों से दि.वि.प्रा. के फ्लैटों के निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव संबंधी सेवाओं की फीडबैक ली जा सके। जनता के फीडबैक विभिन्न मानदंडों और सुधारी गई रखरखाव संबंधी सेवाओं के आधार पर लिए जा सकते हैं तथा आम जनता से प्राप्त फीडबैक के साथ ठेकेदारों की सिक्योरिटी डिपोजिट के भुगतान को जोड़ा जाता है।

(ङ) मोबाइल एप्स के माध्यम से दि.वि.प्रा. के पार्कों की निगरानी सेवाएंः– एक मोबाइल आधारित और वेब एनेबल्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन और विकसित किया गया है, जिनके द्वारा जनता से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से सेवाओं की निगरानी की जा रही है। जनता साइट की फोटो अपलोड कर सकती है और दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को उनके फीडबैक पर आवश्यक कार्रवाई तुरंत करनी होगी। वे मामले का समाधान होने के बाद पुनः फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब तक विभिन्न विभागों के लिए जनता से 215 फीडबैक प्राप्त किए जा चुके हैं।

विभाग	फीडबैक
उद्यान	164
सिविल	81
विद्युत	86
कुल	331

9.1.3 ऑनलाइन वी.आई.पी. रेफरेंस मॉनीटरिंग सिस्टमः— विभिन्न वी.आई.पी. से प्राप्त संदर्भों का निरीक्षण करने के लिए एक ऑनलाइन वेब सक्षम प्रणाली को तैयार और विकसित किया गया और उपाध्यक्ष कार्यालय, दि.वि.प्रा. और सभी विभागाध्यक्षों हेतु दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर इसे प्रचालित किया गया है।

9.1.4 दि. वि. प्रा. की वेबसाइट को पुनः नया रूप देना एवं अद्यतन करनाः— दि. वि. प्रा. की वेबसाइट को स्टाफ और आम जनता के लिए पहले से ही उपलब्ध एप्लीकेशनों के अतिरिक्त ऑनलाइन सुविधा के साथ अन्य विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशनों के साथ पुनः तैयार और अद्यतन किया गया।

9.1.5 दि.वि.प्रा. के पार्कों, समाज सदनों और खुले स्थानों की ऑनलाइन बुकिंगः— 2017—18 के दौरान, हजारों ऑनलाइन बुकिंग की गई। इनका विवरण निम्नानुसार हैः—

अवधि	बुकिंग का प्रकार	बुकिंग की संख्या
01.04.2017 से 31.03.2018 तक	खुले स्थान	2806
	पार्क	0
	समाज सदन	1539

यह ऑनलाइन बुकिंग एप्लीकेशन दि. वि. प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर उपलब्ध है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदक द्वारा डेबिट और क्रेडिट कार्डो के साथ ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

9.1.6 नागरिक सुविधा केंद्र और ऑनलाइन लीज होल्ड से फ्री—होल्ड में परिवर्तनः— परिवर्तन के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन विभिन्न नागरिक सुविधा केंद्रों में प्रचालित है और ये नागरिक सुविधा केंद्र आगे कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा संबंधित विभाग से जुड़े हुए हैं। यह एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर उपलब्ध है। नागरिक सुविधा केंद्रों की व्यवस्था के साथ परिवर्तन आवेदनों के निपटान की जांच बहुत सरल हो गई है और अब परिवर्तन कराने की संख्या बढ़ गई है।

9.1.7 ऑनलाइन समस्या निदान सेवाः— आम जनता की शिकायतों का निपटान करने और आम जनता को ऑनलाइन जवाब भेजने के लिए ऑनलाइन समस्या निदान सेवा नामक वेब आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालित है। वर्ष 2017—18 के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके उत्तरों का विवरण निम्नानुसार हैः—

अवधि	प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जिनके उत्तर दिए गए/समाधान किया गया
01.04.2017 से 31.03.2018 तक	610	निपटाई गई शिकायतें – 110 लंबित शिकायतें – 500

9.1.8 ऑनलाइन पेंशन कम्प्यूटरीकरणः— पेंशन धारकों को देय राशि का समय पर भुगतान करने और इनकी सेवानिवृत्ति की देय राशि संबंधी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले एक एप्लीकेशन को तैयार/विकसित किया गया और इसे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालित किया गया है। दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन के 2296 मामलों में कार्रवाई की गई ।

9.1.9 पानी के बिलों का ऑनलाइन भुगतानः— जनता से पानी के बिलों का भुगतान ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन को तैयार, विकसित और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। इसमें कल 6046 ग्राहक पंजीकृत हैं और लगभग 88667 बिलों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड किया गया है और इस एप्लीकेशन के साथ यूनियन बैंक का पेमेंन्ट गेटवे जुड़ा हुआ है

9.1.10 फाइल ट्रेकिंग प्रणालीः— दि. वि. प्रा. के सभी विभागों में एक फाइल ट्रेकिंग प्रणाली को प्रचालित किया गया, जो एक वेब सक्षम एप्लीकेशन है। दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों में विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.04.17 से 31.03.18 तक सिस्टम पर 30144 फाइलें अपलोड की गई हैं।

9.1.11 चिकित्सा दावा प्रतिपूर्ति प्रणालीः— दि. वि. प्रा. के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु एक वेब सक्षम एप्लीकेशन तैयार और विभाग में विकसित की गई है और यह दि. वि. प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालन में है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से 01.04.2017 से 31.03.2018 तक कुल 39235 ओपीडी और 8122 आईपीडी दावों की प्रतिपूर्ति की गई।

9.1.12 आवास एवं भूमि संपत्तियों हेतु ऑनलाइन भुगतान के प्रावधानः— डिजिटल/ऑनलाइन भुगतान के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विभिन्न बैंकों, अर्थात् एच.डी.एफ.सी कॉर्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक इत्यादि के पेमेंट गेटवे, को दि. वि. प्रा. बेवसाइट से जोड़ा गया तथा अब जनता आवास एवं भूमि संपत्तियों के लिए आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. और नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकती है। डेबिट एंव क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।

9.1.13 फाइलों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशनः दि. वि. प्रा. के विभिन्न विभागों की फाइलों की स्कैनिकंग और डिजिटाइजेशन का महत्वाकांक्षी कार्य शुरू किया गया है। दिनांक 31.03.2018 तक लगभग 4.75 लाख फाइलें स्कैन और डिजिटाइज्ड की जा चुकी हैं। यह सूचना न्यायालय मामलों के लिए अति उपयोगी होगी और किसी मूल फाइल के गुम हो जाने की स्थिति में यह एक बड़ी राहत के रूप में काम करेगी। साथ—ही—साथ यह आर.टी.आई. प्रश्नों के उत्तर देने में भी सहायक होगा।

9.1.14 दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों की मॉनीटरिंग हेतु ऑनलाइन प्रणालीः— दि. वि. प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों को वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज के रूप में प्राप्त करने के लिए दि. वि. प्रा. की वेबसाइट पर एक वेब सक्षम एप्लीकेशन को तैयार और विकसित किया गया और जिसे प्रचालन में लाया गया। 01.04.2017 से 31.03.18 के बीच इस सिस्टम में लगभग 1798 शिकायतों को दर्ज किया गया अैर संबंधित मुख्य कार्यपालकों द्वारा इन शिकायतों पर कार्रवाई की गई।

9.1.15 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सांसदों और विधायकों के संदर्भों की मॉनीटरिंग करने के लिए ऑनलाइन प्रणालीः इन एप्लीकेशनों के माध्यम से दिल्ली के सांसदों और विधायकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के कार्य से संबंधित विभिन्न मामलों से जुड़े प्रस्तावों और अनुरोधों पर की गई कार्रवाई की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जाती है।

9.1.16 ऑनलाइन कार्मिक शिकायत–निवारण और मॉनीटरिंग प्रणालीः– दि. वि. प्रा. कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान की निगरानी के लिए कार्मिक विभाग से संबंधित एक ऑनलाइन वेब सक्षम एप्लीकेशन दि. वि. प्रा. की वेबसाइट पर तैयार/और विकसित की गई और जो प्रचालित है।

9.1.17 ऑनलाइन भवन नक्शा संस्वीकृति मॉनीटरिंग प्रणालीः– भवन नक्शों की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए एक वेब सक्षम एप्लीकेशन को तैयार और विकसित किया गया तथा भवन विभाग द्वारा संस्वीकृतियों को भी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन प्रदान किया जाता है। भवन नक्शा संस्वीकृति के लिए जनता से ऑनलाइन शुल्क और अन्य प्रभारों से भुगतान प्राप्त करने के प्रावधान भी किए गए।

9.1.18 आवास एवं आवासन आबंटनः– आवास विभाग के कम्प्यूटरीकरण की दैनिक आवश्यकता के लिए दि. वि. प्रा. में एक आवास नामक एप्लीकेशन प्रचालित है और ड्रॉ प्रक्रिया तथा मांग–पत्रों द्वारा आबंटन किए जाने से ही आवास तथा आवासन लेखा विभागों द्वारा इस एप्लीकेशन द्वारा सभी अन्य गतिविधियाँ निष्पादित की जाती हैं जैसे प्राप्त भुगतानों का ऑनलाइन सत्यापन आदि। दि. वि. प्रा. आवासीय योजना – 2017 के द्वारा जनता के कुल 12617 फ्लैटों का आबंटन किया गया है।

9.1.19 ''दि. वि. प्रा. आवासीय योजना – 2017'' आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन–विवरण जमा करने तथा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी. एस. द्वारा भुगतान करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार और विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर में भरे गए आवेदन के विवरण के मुद्रण की सुविधा उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं के लिए ऑफ–लाइन आवेदन–विवरण जमा करने का प्रावधान भी उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर में विभिन्न रिपोर्टों को भी विकसित किया गया है।

9.1.20 रोहिणी आवासीय स्कीम 1981 के लिए 'भूमि' और ऑनलाइन सेवाएंः– रोहिणी आवसीय स्कीम–1981 के आबंटितियों के लिए मांग–पत्र की ऑनलाइन प्रिंटिंग के लिए और आबंटितियों द्वारा भुगतान विवरण को देखने के लिए एक विशिष्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित की गई। इसके अतिरिक्त आबंटिती ऑनलाइन भुगतान के लिए इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। रोहिणी स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने की एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। वर्ष 2017–18 के दौरान रोहिणी आवासीय योजना–1981 के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी और एम.आई.जी श्रेणियों में 13604 मांग और आबंटन–पत्र जारी किए गए।

9.1.21 सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणालीः– विभिन्न स्तरों पर सतर्कता शिकायतों की निगरानी करने के लिए एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर तैयार, विकसित और प्रचालित किया गया। सतर्कता शिकायतों के विवरण के एक बार प्रविष्ट होने के बाद, सतर्कता विभाग से संबंधित अधिकारी द्वारा उस शिकायत पर कार्रवाई की जा सकती है और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है।

9.1.22 ''सरकारी/अर्धसरकारी एजेंसियों को भूमि के आबंटन के लिए निगरानी प्रणाली'' हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जिससे आवेदकों द्वारा आवेदन विवरणों को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदन विवरण इन मामलों की कार्रवाई हेतु भूमि निपटान विभाग के पास उपलब्ध होते हैं और जो कार्रवाई हेतु निदेशक (आई.एल) या आयुक्त (योजना) अथवा मुख्य वास्तुकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जाते हैं और फिर प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन) और मुख्य अभियंता को भेजे जाते हैं।

बाद में, आयुक्त (योजना) अथवा मुख्य वास्तुकार, निदेशक (आई.एल.) से संदर्भ प्राप्त करने के लिए अंतिम निर्णय लिया जाता है/कार्रवाई की जाती है।

9.1.23 दि. वि. प्रा. की सड़कों के रखरखाव पर फीडबैक देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया और दि. वि. प्रा. सड़कों की निगरानी एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत फीडबैक पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया। यह स्टेटस रिपोर्ट, शिकायतों की सूची इत्यादि जैसी विभिन्न रिपोर्टें तैयार करता है।

9.1.24 दि. वि. प्रा. समाज सदनों/पार्कों/जिला केंद्रों में कूड़े और मलबा रखरखाव से संबंधित शिकायतों के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया और मोबाइल ऐप द्वारा प्राप्त शिकायतों की निगरानी और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया। यह विभिन्न जानकारियों का विवरण तैयार करता है जैसे समुदायवार/पार्क–वार/जिला केंद्रवार, शिकायत स्थिति रिपोर्ट, शिकायत पत्रों की सूची आदि।

9.1.25 ''उच्च शक्ति प्राप्त समिति, दि. वि. प्रा. के लिए भवन नक्शे/परमिट अनुवीक्षण प्रणाली'' के वेब आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार और विकसित भवन नक्शों के अनुवीक्षण से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए बाह्य एजेंसियों को प्रेषित संदर्भों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रणाली विकसित कर ली गई है। शुरू हो चुकी परियोजना की जानकारी के आधार पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए यह बाह्य एजेंसियों को अग्रेषित किया जा चुका है। एक बार किसी एजेंसी विशेष से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर प्राप्ति की तिथि सिस्टम में डाल दी जाती है और इस विवरण को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

9.1.26 डाटा कैप्चर करने के लिए तथा सांस्थानिक संपत्तियों की पुनः प्राप्ति के लिए एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर **इन्टरैक्टिव डिस्पोजल लैंड मैनेजमेंट (आई.डी.एल.आई.)** विकसित किया गया। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्ट्स को भी विकसित किया गया। बारकोड जेनरेशन, बारकोड रीडिंग, फाइल लोकेशन, डैशबोर्ड इत्यादि जैसी अन्य कुछ विशेषताओं को भी विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर को प्रचालित कर दिया गया है।

9.1.27 वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) एवं प्रॉपर्टी रिटर्न सूचना प्रणाली प्रबंधन (पी.आर.आई.एस.एम.) दि. वि. प्रा. के प्रत्येक कर्मचारी की ऑनलाइन भरी गई गोपनीय रिपोर्ट (सी. आर)/प्रॉपर्टी रिटर्न की निगरानी के लिए एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

9.1.28 दि. वि. प्रा. के कर्मचारियों के हित के लिए स्टाफ हित निधिः– दि. वि. प्रा. के कार्यरत कर्मचारियों/उनके पारिवारिक सदस्यों एवं आश्रितों के लाभ हेतु विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ''दि. वि. प्रा. स्टाफ लाभ निधि'' के आबंटन हेतु एक वेब सक्षम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। निधि का आबंटन प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंड के आधार पर किया गया है। यह सॉफ्टवेयर प्रचालित कर दिया गया है।

9.1.29 ई–टेंडरिंगः– दि. वि. प्रा. में ई–टेंडरिंग गतिविधियों के लिए दि. वि. प्रा. नवंबर 2013 से वर्तमान तक वार्षिक आधार पर एन.आई.

सी. के सेंट्रल पब प्रोक्यूरमेंट पोर्टल सिस्टम (http://eprocure.gov.in) का उपयोग कर रहा है। 01.04.2017 से 31.03.2018 तक लगभग 4037 निविदाएं अपलोड की जा चुकी हैं।

9.1.30 वेतन–पत्रक (पे–रोल):– दि. वि. प्रा. कर्मचारियों के वेतन की प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न रिपोर्ट्स एवं वेतन–पर्ची भी जेनरेट की जाती है। लगभग 8600 कर्मचारियों का वेतन प्रति माह तैयार किया जाता है।

9.1.31 ई–नीलामी:– दि. वि. प्रा. में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए ई–नीलामी को पहले से ही कार्यान्वित कर लिया गया है। इस एप्लीकेशन द्वारा उपभोक्ता विभाग अपनी संपत्तियों की ई–नीलामी कर सकते हैं।

9.1.32 मोबाइल ऐप दि. वि. प्रा.–311:– सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अधिग्रहण के संबंध में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए दि. वि. प्रा. – 311 नामक एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इस एप्लीकेशन द्वारा किसी भी समय जनता द्वारा की गई शिकायतों की ऑनलाइन स्थिति देखी जा सकती है।

9.1.33 इसरो के साथ गठबंधन:– दि. वि. प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने के लिए कए एप्लीकेशन विकसित करने हेतु दि. वि. प्रा. इसरो को मिला है।

विकास सदन में नागरिक सुविधा केंद्र

खेल विभाग

10

10.1 परिचय

दिल्ली मुख्य योजना–2001 के प्रावधानों के अनुसार, दि. वि. प्रा. ने दिल्ली के सभी क्षेत्रों (जोनों) में खेल परिसरों का विकास किया है। पहला खेल परिसर सीरी फोर्ट 1989 में खोला गया था और उसके बाद चौदह अन्य परिसरों तथा दो गोल्फ कोर्सों का विकास किया गया है।

राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीरी फोर्ट में स्क्वैश और बैडमिंटन के लिए यमुना खेल परिसर में तीरन्दाजी और टेबल टेनिस के लिए स्टेडियमों का विकास किया। इन दोनों स्टेडियमों का उपयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों को आयोजित करने के लिए किया जा रहा है और ये स्टेडियम जनता द्वारा उपयोग के लिए भी उपलब्ध हैं।

यद्यपि ये खेल परिसर सदस्यता पर आधारित होते हैं, जिनमें केवल खेलने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करके इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यालयों और खेल एसोसिएशनों के लिए विशेष छूट उपलब्ध है।

खेल परिसर विशेष तौर से खेल संबंधित गतिविधियों एवं सुविधाओं के लिए समर्पित हैं, जिनमें 30 से अधिक खेल खेलने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

10.2 खेलकूद आधारिक संरचना

दि. वि. प्रा. द्वारा विकसित खेलकूद आधारिक संरचना निम्न प्रकार है:–

सुविधा	विवरण
खेल परिसर	15 (दक्षिण में 5, पूर्व में 4 और उत्तर एवं पश्चिम में तीन–तीन)
लघु खेल परिसर	3 (दक्षिण में मुनीरका, पूर्व में कांति नगर और पश्चिम में प्रताप नगर)
तरणताल (स्वीमिंग पूल)	17 (पूरे वर्ष प्रयोग में आने वाले तीन पूल सहित)
खेल परिसरों में फिटनेस सेंटर	19
हरित क्षेत्रों में मल्टी जिम	21 (इनमें में 1 विशेष रूप से महिलाओं के लिए)
लघु फुटबाल मैदान	10 (हरित क्षेत्रों में 2 और खेल परिसरों में 8)
गोल्फ कोर्स	2 लाडो सराय (18 होल) और भलस्वा (9 होल)
लघु गोल्फ कोर्स	1 (सीरी फोर्ट)
गोल्फ ड्राइविंग रेंज	3 (सीरी फोर्ट, कुतुब एवं भलस्वा गोल्फ कोर्स)

सदस्यता की स्थिति/उपयोगिता

31 मार्च 2018 तक, सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स में विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों की कुल संख्या 62,998 थी, इसमें कैजुअल सदस्य, अतिथि खिलाड़ी आदि शामिल नहीं हैं। एसोसिएशन लगभग 2,99,613 व्यक्ति पर इन सुविधाओं का उपयोग मासिक आधार पर करते हैं। इसके अतिरिक्त खेल द्वारा प्रशिक्षण एवं खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

खेलकूद गतिविधियां

1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक खेलकूद विंग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया:–

प्रतियोगिताएं	दिनांक	खेल परिसर का नाम	टिप्पणियां (कुल भागीदार/टीम की संख्या)
बैसाखी कप	15.04.2017	बी.जी.सी.	30
सुपर बॉक्सिंग लीग (एस.बी.एल.)	07.07.2017 से 12.08.2017 तक	एस.बी.एस.	8 टीमें 96 बॉक्सर
फुटबॉल टूर्नामेंट (रिलांइस इंडिया प्राइवेट लि.)	02.09.2017	एन.एस.एस.सी.	500
फुटबॉल टूर्नामेंट (द अमैचर लीग)	03.09.2017 से 10.09.2017 तक	एन.एस.एस.सी.	500
फुटबॉल टूर्नामेंट (रिलांइस)	10.10.2017, 11.10.2017, 24.10.2017, 27.10.2017 एवं 31.10.2017	एन.एस.एस.सी.	500
दीपावली कप	29.10.2017	बी.जी.सी.	43
निर्मल यमुना क्रिकेट ट्रॉफी	05.11.2017, 12.11.2017, 19.11.2017 एवं 26.11.2017	सी.डब्ल्यू.जी.वी.एस.सी.	322
टी–20 यमुना चैलेंज ट्रॉफी	नवंबर 2017 से दिसंबर 2017 तक	आर.एस.सी.	लगभग 120 प्रतिदिन
प्रीमियर बैडमिंटन लीग सीजन – 3 (बी.ए.आई.)	24.12.2017 से 01.01.2018 तक	एस.बी.एस.	10 टीमें

क्रिकेट मैच (बी. एस.ई.एस.)	06.01.2018, 07. 01.2018, 20.01. 2018, 21.01.2018, 27.01.2018, 28.01.2018	एन.एस. एस.सी.	70
स्पोर्ट्सगाला / खेलकूद समारोह	09.01.2018 से 11. 01.2018 तक	वी.के.एस. सी.	70
प्रो–रेसलिंग लीग सीजन –3	09.01.2018 से 26. 01.2018 तक	एस.बी. एस.	06 टीमों से 54 खिलाड़ी
योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन – 2018 (बी.ए.आई)	30.01.2018 से 04. 02.2018 तक	एस.बी. एस.	25 देशों से 250 खिलाड़ी
खेलकूद समारोह टूर्नामेंट (टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि)	फरवरी 2018 के पहले सप्ताह से फरवरी 2018 के अंतिम सप्ताह तक	एन.एन. एस.सी.	प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए 16 प्रतिभागी
उपाध्यक्ष क्रिकेट कप–2018	11.02.2018, 17.02.2018 एवं 18.02.2018 तक	एन.एस. एस.सी.	50
वार्षिक खेल समारोह–2018	12.02.2018 से 20. 02.2018 तक	सी.डब्ल्यू. जी.वी. एस.सी.	05 टीमें, 71 प्रतिभागी
माननीय उपराज्यपाल कप–18	21.02.2018 से 25. 02.2018 तक	क्यू.जी. एस.	650 से अधिक प्रतिभागी

खेलकूद समारोह

खेलकूद समारोह सदस्यों और उनके परिवारों को खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह सभी परिसरों में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। सभी आयु वर्गों में टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स आदि जैसे व्यक्तिगत खेलों के टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाता है।

कोचिंग

सभी खेल परिसरों में विभिन्न खेलों जैसे–क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग, एरोबिक्स, ताइक्वांडो इत्यादि के लिए नियमित कोचिंग का आयोजन किया गया। पेशेवर प्रशिक्षकों (कोचों) द्वारा 162 से भी अधिक व्यक्तिगत कोचिंग योजनाओं को चलाया जा रहा है और लगभग 8400 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया है। विभिन्न खेलों में समाज के कमजोर वर्गों के लगभग 400 से अधिक प्रतिभाशाली प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ग्रीष्मकालीन कोचिंग – विद्यालयों / महाविद्यालयों के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी खेल परिसरों में विशेष ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैंप (शिविरों) का आयोजन भी किया गया।

गोल्फ को प्रोत्साहन

लाडो सराय स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स भारत का पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स है, जिसने व्यस्त समय में सप्ताह के अंत में लगभग 300 राउंड खेलने के कारण बहुत लोकप्रियता हासिल की। भलस्वा में एक अन्य 9 होल पब्लिक गोल्फ कोर्स उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी दिल्लीवासियों के लिए बनाया गया है।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में निर्मित मिनी गोल्फ कोर्स भी लोकप्रिय है और यह अधिक उपयोग किया जाने वाला गोल्फ कोर्स है।

सीरी फोर्ट, कुतुब और भलस्वा गोल्फ कोर्स में गोल्फ ड्राइव रेंज का उपयोग शौकीनों, नौसिखियों और पेशेवरों द्वारा उस खेल को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।

गोल्फ कोचिंग

वर्ष के दौरान कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा एक कोचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

गोल्फ टूर्नामेंट

कुतुब गोल्फ कोर्स और भलस्वा गोल्फ कोर्स कॉर्पोरेट्स द्वारा प्रायोजित विभिन्न गोल्फ टूर्नामेंट्स का आयोजन करता है। गोल्फ के सीजन में प्रतिमाह ऐसे दो टूर्नामेंटों को कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा उसके सदस्यों के लिए मेडल राउंड आयोजित किए गए। प्रतिष्ठित एल.जी. कप प्रति वर्ष फरवरी माह में कुतुब गोल्फ कोर्स में आयोजित किया जाता है।

खेलकूद प्रोत्साहन योजनाएं

दि. वि. प्रा. एथलैटिक्स, फुटबॉल, जिमनास्टिक तथा तीरंदाजी की चार खेलकूद प्रोत्साहन योजनाएं इन खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कर रहा है। ये योजनाएं पूरी तरह से दि. वि. प्रा. द्वारा सहायता प्राप्त हैं और विशेषज्ञ सलाहकारों और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में आयोजित की जाती हैं।

एथलेटिक्स प्रोत्साहन योजना (ए.पी.एस)

इस योजना को वर्ष 2001 से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। वर्तमान में 16 वर्ष से कम एवं 19 वर्ष से कम और 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के 27 एथलीट्स (14 लड़के और 13 लड़कियां), अपने संबंधित इवेन्ट्स (खेलों) का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। योजनाओं के प्रशिक्षुओं ने विभिन्न राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और दि. वि. प्रा. के प्रतिस्पर्धाओं लिए ख्याति अर्जित की। कुछ उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

- दिनांक 21.04.2017 से 23.04.2017 तक हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. एथलीटों ने 01 स्वर्ण और 04 रजत पदक जीते ।
- मई, 2017 में बैंकॉक में आयोजित युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के एथलीटों ने भाग लिया।
- दिनांक 10.06.2017 से 12.06.2017 तक लखनऊ में आयोजित नेशनल जूनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के एथलीटों ने 01 स्वर्ण और 01 कांस्य पदक जीते।
- दिनांक 12.07.2017 से 16.07.2017 तक कीनिया में आयोजित वर्ल्ड यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

• दिनांक 24.08.2017 से 27.08.2017 तक नई दिल्ली में आयोजित समर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के एथलीटों ने 13 स्वर्ण, 05 रजत और 01 कांस्य पदक जीते।

• दिनांक 01.09.2017 से 03.09.2017 तक नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के एथलीटों ने 13 स्वर्ण, 09 रजत, 05 कांस्य पदक जीते और समस्त चैंपियनशिप जीती।

• दिनांक 09.11.2017 से 11.11.2017 तक भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के एथलीटों ने 01 रजत पदक जीता।

• दिनांक 16.11.2017 से 20.11.2017 तक विजयवाड़ा में आयोजित नेशनल स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनश्पि में दि. वि. प्रा. के एथलीटों ने 02 स्वर्ण, 01 रजत और 01 कांस्य पदक जीता।

• दिनांक 21.11.2017 से 25.11.2017 तक नई दिल्ली में सभी स्कूलों के लिए इंटर जोनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के एथलीटों ने 17 स्वर्ण और 08 रजत और 01 कांस्य पदक जीते।

• दिनांक 21.11.2017 से 24.11.2017 तक रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सीबीएसई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के खिलाड़ियों ने 03 स्वर्ण एवं 02 कांस्य पदक प्राप्त किए।

• दिनांक 24.11.2017 से 26.11.2017 तक विशाखापत्तनम में आयोजित नेशनल इंटर डिस्ट्रिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के एथलीटों ने 02 कांस्य पदक जीते।

• दिनांक 18.12.2017 से 22.12.2017 तक रोहतक में आयोजित नेशनल स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के एथलीटों ने 02 स्वर्ण पदक जीते। दि. वि. प्रा. की एथलीट हर्षिता ने हेमर थ्रो में एक नया स्कूल नेशनल रिकॉर्ड रचा।

• दिनांक 01.01.2018 से 04.01.2018 तक नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित इंटर कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के एथलीटों ने 05 स्वर्ण, 04 रजत पदक जीते।

• दिनांक 31.01.2018 से 03.02.2018 तक नई दिल्ली में आयोजित नेशनल खेलों इंडिया स्कूल गेम्स में दि. वि. प्रा. के एथलीटों ने 01 स्वर्ण और 01 कांस्य पदक जीते। दि. वि. प्रा. की एथलीट हर्षिता ने हेमर थ्रो में एक नया नेशनल रिकॉर्ड रचा।

फुटबॉल प्रोत्साहन योजना (एफपीएस)

यह योजना 2002 से सफलतापूर्वक चल रही है। नए प्रशिक्षुओं के लिए 02 एवं 03 नवम्बर 2017 को सीरी फोर्ट खेल परिसर तथा 09 एवं 10 नवंबर, 2017 को यमुना खेल परिसर में खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रिजर्व प्रशिक्षुओं सहित कुल 52 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया और 47 पुराने प्रशिक्षुओं को रखा गया। 45 प्रशिक्षु सीरीफोर्ट खेल परिसर में और 30 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

• नवंबर 2017 से जनवरी, 2018 तक दिल्ली/एन.सी.आर. में आयोजित ए.आई.एफ.एफ ऑल इंडिया इंटर–एकेडमीज़ (युवा विकास–अंडर 15 यूथ एफ.टी.) में दि. वि. प्रा. की एफ.पी.एस. टीम का 75 अकादमियों में से 15वां स्थान रहा।

• दिनांक 23.12.2017 से 31.12.2017 तक बान्दीकुई, राजस्थान में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट (सीनियर्स) में दि. वि. प्रा. की एफ.पी.एस. टीम ने रनर अप पोजिशन प्राप्त की।

• दिनांक 09.01.2018 से 14.01.2018 तक राजस्थान में आयोजित ऑल इंडिया सिल्वर कप एफ.टी. (सीनियर) में दि. वि. प्रा. की एफ. पी. एस. टीम ने रनर अप पोजिशन प्राप्त की।

जिमनास्टिक प्रोत्साहन योजना (जी.पी.एस.)

दिल्ली सरकार प्राधिकरण जिमनास्टिक्स प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एम.ए.जी/डब्ल्यू.ए.जी. में जिमनास्ट लड़के और लड़कियों का प्रशिक्षण इंडोर जिमनास्टिक्स हॉल, यमुना खेल परिसर में 5 दिसंबर, 2014 से शुरू किया गया। वर्तमान में 26 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

• दिनांक 09.10.2017 से 11.10.2017 तक शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा आयोजित दिल्ली स्टेट टेलेंट सर्च जिमनास्टिक प्रतियोगिता में दि. वि. प्रा. प्रशिक्षुओं ने 03 स्वर्ण और 03 रजत पदक जीते।

• दिनांक 08.11.2017 से 12.11.2017 तक यमुना नगर, हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया सी.बी.एस.ई. जिमनास्टिक प्रतियोगिता में 04 दि. वि. प्रा. प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

• दिनांक 13.11.2017 से 18.11.2017 तक कोलकाता में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स जिमनास्टिक प्रतियोगिता में दि. वि. प्रा. के दो प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

• दिनांक 01.12.2017 से 04.12.2017 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित 57वें दिल्ली स्टेट जिमनास्टिक चैम्पियनशिप में दि. वि. प्रा. प्रशिक्षुओं ने 10 रजत और 02 कांस्य पदक जीते।

तीरंदाजी प्रोत्साहन योजना

दि. वि. प्रा. तीरंदाजी प्रोत्साहन योजना को जुलाई 2015 से आरंभ किया गया। वर्तमान में 16 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

• दिनांक 04.07.2017 से 09.07.2017 तक चीन में आयोजित एशिया कप स्टेज–3 में युगल पुरुष टीम प्रतिस्पर्धा में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 01 कांस्य पदक जीता।

• दिनांक 08.08.2017 से 13.08.2017 तक बर्लिन, जर्मनी में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 04 में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

• दिनांक 03.10.2017 से 08.10.2017 तक रोसारियों, अर्जेन्टीना में आयोजित यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 01 कांस्य पदक जीता।

• अक्टूबर, 2017 में मैक्सिको में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

• अक्टूबर, 2017 में अर्जेन्टीना में आयोजित यूथ आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 के सिलेक्शन ट्रायल के लिए दि.वि.प्रा. के चार प्रशिक्षुओं ने क्वालिफाई किया।

• दिनांक 29.11.2017 से 01.12.2017 तक ढाका, बांग्लादेश में आयोजित यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन एशिया रीजन में दि. वि. प्रा. के चार प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

• नवम्बर 2017 में जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित एस.जी.एफ.आई. नेशनल स्कूल गेम्स में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 03 स्वर्ण और 01 कांस्य पदक जीता।

• दिनांक 02.12.2017 से 03.12.2017 तक बैंकॉक, थाइलैंड में आयोजित इंडौर आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

• दिनांक 04.12.2017 से 05.12.2017 तक बैंकॉक, थाइलैंड में आयोजित इंडौर आर्चरी वर्ल्ड कप में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 01 कांस्य पदक जीता।

• दिसम्बर 2017 में भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 01 स्वर्ण और 01 रजत पदक जीता।

• दिनांक 05.02.2018 से 08.02.2018 तक नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्कूल गेम्स में दि. वि. प्रा. के तीन प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

• मार्च 2018 में बैंकॉक में आयोजित प्रथम आर्चरी कप में दि. वि. प्रा. के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

• दिनांक 04.04.2018 से 09.04.2018 तक मनीला, फिलिपीन्स में आयोजित एशिया कप स्टेज–3 में दि. वि. प्रा. ने 01 कांस्य पदक जीता।

विकास कार्य

सभी परिसरों में सुविधाओं को व्यवस्थित रखने हेतु मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य अनवरत चलता रहता है। इसके अतिरिक्त, सभी खेल परिसरों में पूंजीगत प्रकृति के मुख्य सुधार कार्य किए गए।

दि. वि प्रा. खेल परिसर में खेलते हुए और आनंद लेते हुए दिल्लीवासी

वित्त एवं लेखा विंग

11

11.1 बजट अनुभाग

यह अनुभाग प्राधिकरण के वार्षिक बजट के संकलन और जोनल केंद्रीय लेखा इकाइयों/कार्यालयों को निधि जारी करने का कार्य करता है। बजटीय विनिर्धारण के संदर्भ में विभिन्न शीर्षों/परियोजनाओं के व्यय पर नियंत्रण एवं निगरानी रखता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 और वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान और संशोधित बजट अनुमान और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान निम्नलिखित रूप में दर्शाए गए हैं:–

प्राप्तियां — आंकड़े करोड़ ₹ में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान
2016–17	8530.18	3384.61
2017–18	6800.90	3637.08
2018–19	5197.21	....

भुगतान — आंकड़े करोड़ ₹ में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान
2016–17	8485.13	5201.99
2017–18	8415.48	5295.01
2018–19	8032.63	....

i) दिनांक 31.03.2018 तक जारी की गई निधि। उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े:

जारी की गई निधि	2015-16	2016-17	2017-18
कार्य (स्टोर सहित)	2700.42	1937.86	3004.89
फ्लाईओवर (यू.डी.एफ में से)	18.75	2.50	18.70
राष्ट्रमंडल खेल – 2010	16.00	22.50	6.00
वेतन/अनुग्रह राशि	709.36	807.99	748.38
(क) अन्य विभागों को जारी की गई निधि (शहरी विकास निधि से भी)			
डी.यू.ए.सी/डी.यू.ए.आई.	...	3.00	...
उत्तर रेलवे	...	...	...
लोक निर्माण विभाग	...	...	132.52
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग			28.00
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	...	...	35.89
दिल्ली जल बोर्ड	...	...	37.21
(ख) नजूल खाता I व II से भी			
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी)		13.50	...
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	...	...	...
(ग) सामान्य विकास खाते से भी			
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (दि. वि. प्रा. का भाग)	...	...	1.00
कुल	**3791.03**	**2787.35**	**4012.29**

11.2 लेखा (मुख्य)

(क) मुख्यालय का लेखा अनुभाग मुख्य रूप से प्राधिकरण के वार्षिक लेखों, जिनमें विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान शामिल है, के संकलन का कार्य करता है, जो निम्नानुसार है:–

क. नजूल खाता–I

इसमें वर्ष 1957 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिल्ली सुधार न्यास से प्राप्त पुरानी नजूल सम्पदाओं से संबंधित लेन–देन शामिल है।

ख. नजूल खाता–II

इसमें दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास एवं निपटान की योजनाओं से संबंधित लेन देन शामिल है।

ग. सामान्य विकास खाता

यह प्राधिकरण का मुख्य खाता है, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए आवास, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, जिला केंद्रों आदि में व्यावसायिक कार्यकलापों और प्राधिकरण की भूमि से संबंधित लेन–देन शामिल है और राशि का भुगतान इस खाते के राजस्व से किया जाता है।

11.3 लेखा की स्थिति

(क) वर्ष 2016–17 के लिए दि. वि. प्रा. के वार्षिक लेखा को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.04.2018 को आयोजित बैठक में अपनाया गया।

(ख) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक खाते भी प्रगति पर है।

(ग) दि. वि. प्रा. (सामान्य भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण निधि और पोस्ट सेवानिवृत्ति मेडिकल फंड ट्रस्ट) के लिए अलग ट्रस्ट पंजीकृत किया गया है और उनके खाते अलग से खोले गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के संबंध में प्राप्ति एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:–

लेखाशीर्ष	**प्राप्तियां**			**भुगतान**		
	2015-16	**2016-17**	**28.02.2018 तक 2017-18**	**2015-16**	**2016-17**	**28.02.2018 तक 2017-18**
नजूल – I	14.24	4.31	6.59	17.81	14.70	7.05
नजूल –II	2130.95	2480.73	1225.52	2318.46	2372.04	1075.88
सामान्य विकास खाता	2104.89	583.17	472.86	2737.56	1849.97	2268.48
कुल	**4250.08**	**3068.21**	**1704.97**	**5073.83**	**4236.71**	**3351.41**

11.3.1 अधिशेष निधि का निवेश

प्राधिकरण के वार्षिक खातों के संकलन के अतिरिक्त लेखा शाखा राशि के निवेश का कार्य भी करती है ।

सामान्य निवेश	**31.03.2016 को**	**31.03.2017 को**	**31.03.2018 को**
क. नजूल–II	11169.51	9500.19	7816.55
ख. सामान्य विकास खाता	4965.51	2534.43	2716.69
ग. शहरी विकास निधि	3944.00	4025.99	4869.49
कुल	**20079.02**	**16060.61**	**15402.73**
निर्धारित निधि के संबंध में किया गया वर्षवार निवेश			
पेंशन फंड ट्रस्ट	1.11.60	511.55	63.10
उपदान निधि ट्रस्ट	116.81	05.00	4670
सामान्य भविष्य निधि	263.90	365.62	6.00
अवकाश नकदीकरण निधि	263.35	70.25	1.00
सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा योजना	76.35	282.78	4.30
कुल	**832.01**	**1235.20**	**121.10**

11.4 कार्य लेखापरीक्षा कक्ष

कार्य लेखापरीक्षा कक्ष सभी 07 जोन के मासिक खातों के साथ प्रस्तुत किए गए वाउचरों की बाद में की जाने वाली लेखा परीक्षा का कार्य प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के लिए प्रारंभिक अनुमानों की वित्तीय सहमति तथा कार्य सलाहकार बोर्ड एजेंडा मदों की संवीक्षा, शहरी विकास निधि और पेंशन/पारिवारिक पेंशन से संबंधित कार्य करता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान उच्च प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए 39 मध्यस्थता के मामलों, 19 डब्ल्यू.ए.बी. मदों/टेंडर मामलों, 25 पी.ई/आर.पी.ई मामलों, 5198 पेंशन और 165 अन्य विविध मामलों पर कार्रवाई की गई।

11.5 निदेशक (वित्त)

निदेशक (वित्त) अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त 05 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले प्रारंभिक अनुमान और संशोधित प्रारंभिक अनुमान की वित्तीय संविदा हेतु उत्तदायी हैं। निदेशक (वित्त) मुख्य लेखा अधिकारी की शाखा से संबंधित न्यायालयी मामलों हेतु नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहमति का विवरण निम्नलिखित है।

निदेशक (वित्त) संपूर्ण मुख्य लेखा अधिकारी शाखा के लिए आर.टी.आई एक्ट के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी नामित हैं। निदेशक (वित्त) माध्यस्थम जांच बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं जिसकी अध्यक्षता मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने की।

वर्ष 2017–2018 के दौरान स्कीमों को वित्तीय अनुमोदन

(आंकड़े करोड़ रु. में)

मद	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
विकास कार्य के लिए वित्तीय सहमति	1060.69	707.31	1312.83
आवासीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहमति	22.11	1753.85	3607.32
कार्यालय बिल्डिंग के लिए वित्तीय सहमति	..	7.61	..
कुल	**1082.80**	**2468.77**	**4920.15**

11.6 दि.वि.प्रा. का पेंशन कक्ष

पेंशन कक्ष पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि के मामलों का कार्य निष्पादन करता है, जो निम्नलिखित हैं:–

i) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की गणना पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर पेंशन लाभों को परिकलित करने के लिए सॉफ्टवेयर को संशोधित किया गया है और परिचालित किया जा रहा है।

ii) मुख्यालय में पेंशन संबंधी लाभ का 100 प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत परिकलन, कम्प्यूटरीकृत पी.पी.ओ. जारी करना तथा बैंक परामर्श प्राप्त किया गया है।

iii) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12.05.2017 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन को दूसरी बार संशोधन किया जा रहा है। लगभग 3500 मामलों की समीक्षा की गई और इनको अंतिम रूप दिया गया।

iv) पेंशन धारकों और जोनल कार्यालयों के उपयोग के लिए अद्यतन जानकारी अंग्रेजी भाषा में अपलोड की गई। हिंदी रूपांतर के लिए हिंदी विभाग में परिपत्र भेज दिया गया है।

v) जोनल स्तर पर पेंशन हेतु लगभग 75 प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण प्रचालन में है।

vi) विकास सदन और जोनल केंद्रीय लेखा इकाइयों, पूर्वी जोन, दक्षिण जोन और उत्तरी जोन के जोनल कार्यालयों में चिकित्सा सहित नई पेंशन योजना की जानकारी हेतु कार्यशाला के साथ–साथ चिकित्सा जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया।

निपटाए गए मामले एवं किया गया व्यय		
वित्त वर्ष	निपटाए गए पेंशन मामले/जारी किए गए पी.पी.ओ	किया गया कुल व्यय (करोड़ रु. में)
2017–18	2296	28.02.2018 तक 494.52

दिनांक 01.03.2018 से 31.03.2018 तक पेंशन लाभों पर प्रत्याशित व्यय 45.96 करोड़ रु. है।

11.7 आंतरिक निरीक्षण अनुभाग

विभिन्न लेखा परीक्षा योग्य इकाइयों के आंतरिक विभागीय निरीक्षण के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का गठन किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा कक्ष की वार्षिक रिपोर्ट और उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:–

इकाइयां	लेखा परीक्षा आयोजित करने की संख्या			उपलब्धियां (जिनकी लेखा परीक्षा की गई)		
	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
मुख्यालय	48	32	42	27	30	35
क्षेत्रीय	62	68	71	40	62	59
कुल	110	100	113	67	92	94

11.8 बाह्य लेखा–परीक्षा कक्ष के कार्य

दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागाध्यक्षों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षा पैरा का शहरी विकास मंत्रालय और महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के साथ निम्नानुसार समन्वय कार्य किया गया:

1. पी.ए.सी.वी. रिपोर्ट/पैरा (जांच के लिए पी.ए.सी द्वारा चुने गए सी.ए.जी. पैरा)।
2. पी.एस.सी. (संसदीय स्थायी समिति) रिपोर्ट/पैरा
3. सी.ए.जी. पैरा
4. मसौदा लेखा परीक्षा पैरा
5. तथ्यों का विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान उपलब्धि को दर्शाने वाले तुलनात्मक आंकड़े और वर्ष 2017–18 की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

पैरा की श्रेणियां	वर्ष के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल संख्या
	2015-16	2016-17	2017-18
पी. ए. सी. पैरा	01	02	02
संसदीय स्थायी समिति			
सी.ए.जी. पैरा	..	..	01
ड्राफ्ट पैरा	..	01	01
तथ्यों का विवरण (एस.ओ.एफ.)	..	..	01
कुल	**01**	**03**	**05**

11.9 चिकित्सा सुविधाएं

चिकित्सा सुविधाओं का सरलीकरण

(क) कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए विकास सदन के स्वागत कक्ष में ओ.पी.डी. क्लेम की प्रतिपूर्ति के लिए सिंगल विंडो काउंटर खोला गया है, जो 03 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में उनके क्लेम की राशि सीधे ही जमा करा देता है, जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

(ख) वर्ष 2017–18 के दौरान कार्यरत स्टाफ और पेंशन प्राप्तकर्ताओं के 1738 चिकित्सा कार्ड बनाए गए।

(ग) आकस्मिक दुर्घटना और हार्टअटैक मामलों के लिए उपचार हेतु कैशलेस सुविधा हेतु 21 अस्पतालों का पैनल बनाया गया है।

(घ) दि.वि.प्रा. चिकित्सा स्कीम से संबंधित सभी मुख्य परिपत्रों और पैनल के सभी अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान चिकित्सा व्यय		
	प्राप्त दावों की संख्या	वर्ष 2017-2018 के दौरान किया गया व्यय (आंकड़े करोड़ रु. में)
आई.पी.डी.	6134	20.12
ओ.पी.डी.	25760	34.15
विशेष बीमारी/पोस्ट ऑपरेटिव	2120	7.11
कुल		**61.38**

11.10 संपत्ति कर कक्ष

यह अनुभाग दि.न.नि. के साथ दि.वि.प्रा. की सम्पत्तियों के संबंध में संपत्ति कर के निपटारे का कार्य करता है। दि.वि.प्रा. की नियंत्रणाधीन संपत्तियों के संबंध में संपत्ति कर का कार्य भारतीय संविधान के संगत उपबंधों, डीएमसी अधिनियम तथा शहरी विकास मंत्रालय के 2009 एवं 2015 के कार्यालय ज्ञापनों के अंतर्गत किया जाता है।

दि.वि.प्रा. दिनांक 08.07.2009 को दि.न.नि. के आयुक्तों के साथ हुई बैठक और शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 30.12.2015 को आयोजित हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नियमित रूप से अपनी संपत्तियों के लिए सेवा प्रभार का भुगतान कर रहा है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिल्ली नगर निगम को संपत्ति कर/सेवा प्रभार के रूप में 11.08 करोड़ रु. का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	दि.न.नि.	राशि करोड़ रु. में
1.	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	4.62
2.	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	2.17
3.	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	4.29
कुल		**11.08**

11.11 भूमि लागत निर्धारण शाखा

भूमि लागत निर्धारण शाखा का मुख्य कार्य विकासशील/विकसित क्षेत्रों/

परियोजनाओं के संबंध में आवासीय प्लॉटों/फ्लैटों का आबंटन करने के लिए वार्षिक पूर्व निर्धारित दरों को निर्धारित करना है। अन्य मामलों जैसे क्षतिपूर्ति प्रभारों का निर्धारण, व्यावसायिक, औद्योगिक सम्पत्तियों के संबंध में परिवर्तन प्रभारों के परिकलन के लिए बाजार दरों का निर्धारण, दुरूपयोग प्रभारों पेट्रोल पम्प इत्यादि के संबंध में लाइसेंस शुल्क का निर्धारण को भी निपटाया जाता है। वित्त वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित है:–

क) निम्नलिखित के संबंध में परिपत्र जारी किए गए हैं:

क) वर्ष 2017–18 के लिए प्लॉटों और फ्लैटों के आबंटन हेतु विकसित क्षेत्रफल पूर्व निर्धारित भूमि दरों का निर्धारण।

ख) वर्ष 2017–18 के लिए दुरुपयोग प्रभारों के परिकलन हेतु भूमि दरें।

ग) टीकरी कलाँ के संबंध में वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित दरें।

घ) रोहिणी फेज–IV एवं V के संबंध में वर्ष 2017–18 हेतु पूर्व निर्धारित दरें।

11.12 आवास वित्त शाखा

आवास लेखा विंग फ्लैटों/निर्मित दुकानों के आबंटन के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यकलापों से संबंधित है:–

1. वित्तीय सहमति के लिए फ्लैटों/निर्मित दुकानों के निर्माण के लिए प्रारंभिक अनुमान/संशोधित प्रारंभिक अनुमानों की जाँच करना।

2. विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के लिए अर्ध–वार्षिक आधार पर लागू किए जाने के लिए कुर्सी क्षेत्रफल दर का निर्धारण।

3. भूमि के लिए अनुमोदित पी.ए.आर. और पी.डी.आर. (पूर्व निर्धारित दरों) के आधार पर फ्लैटों की लागत निर्धारण के लिए पृथक मामलों पर कार्रवाई की जाती है।

4. फ्लैटों और निर्मित दुकानों की प्राप्तियों के लेखों का रखरखाव तथा उनकी वसूली करना।

क. लागत निर्धारण

i) आवास वित्त शाखा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत फ्लैटों के लागत निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले कुर्सी क्षेत्रफल दरों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एजेंडा तैयार किया और इसे प्रस्तुत करता है। दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक और 01.10.17 से 31.03.2017 तक की कुर्सी क्षेत्रफल दरों को अनुमोदनार्थ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

ii) 15,131 फ्लैटों/कार पार्किंग/स्कूटर गैराजों का लागत निर्धारण और 69 निजी फ्लैटों के लागत निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया।

iii) 428 निजी दुकानों के लागत निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया।

ख. अन्य उपलब्धियां

i) सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आवास लेखा शाखा द्वारा प्राप्त किए गए सभी 77 मामलों में जनता को उत्तर देकर इसे निपटाया गया।

ii) फ्लैटों/दुकानों के लीज होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तन के लिए बेबाकी प्रमाणपत्रों पर निम्नानुसार कार्रवाई की गई।

ग. वर्ष के दौरान आवास वित्त की महत्वपूर्ण उपलब्धियां:–

जनता के लिए सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए मामलों के तीव्र/न्याय पूर्ण निपटान हेतु की गई विशेष पहल/उपाय निम्नलिखित हैं:–

क) कार्य प्रणाली में सामान्य सुधार:–

वर्ष	तैयार किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र
2015–16	10779
2016–17	9706
2017–18	4612

i) लम्बित मामलों की साप्ताहिक मॉनीटरिंग।

ii) आवास लेखा विंग में एन.डी.सी/बकाया राशि से संबंधित जानकारी के मामलों को फीफो प्रणाली के अंतर्गत निपटाया गया।

वर्ष 2017–18 के लिए नए पहल हेतु लक्ष्य/प्रस्ताव

i) विभिन्न स्तरों पर मामलों में निपटान हेतु मानक समय के निर्धारण द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यकलापों की बेंच मार्किंग।

ii) किराया खरीद आबंटितियों से बकाया शेष की वसूली हेतु प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में दि.वि.प्रा. में ब्याज दर संरचना को युक्ति संगत बनाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

iii) दि.वि.प्रा. में रिकॉर्डों/प्रक्रियाओं का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने की शुरूआत की गई है।

जसोला स्थित जिला पार्क

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

12

12.1 कार्मिक विभाग

दि.वि.प्रा. मानव संसाधन का संगठन की अमूल्य निधि है। विद्यमान जॉब–प्रोफाइल्स को नियंत्रित करने, कर्मचारी विकास, शिकायतों का निपटान करने, अनुशासन बनाए रखने और प्रबंधन के लिए पारम्परिक संबंध सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्मिक विभाग दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के सेवा मामलों पर कार्रवाई करता है।

12.1.1 दूरदर्शिता, मिशन, उद्देश्य एवं कार्य

मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके आम जनता को सेवाएं प्रदान करना अधिकतम कार्य क्षमता प्राप्त करना, अपने कर्मचारियों में पेशेवर दक्षता पैदा करना, नेतृत्व गुणों और व्यवहार की पहचान करने के लिए जांच एवं प्रति–जांच करना, उनकी निगरानी करना, पुरस्कृत करना और कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित करना कार्मिक विभाग के कार्य हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:–

1. समुचित भर्ती और पदोन्नति द्वारा मानव संसाधनों को उपलब्ध कराना, अनुशासनात्मक मामलों का समय पर और समुचित समाधान करना तथा सेवा के सभी मामलों में आरक्षित श्रेणियां और अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करना।

2. मानव संसाधनों का विकास करना अर्थात प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण करना।

3. संवर्ग नियोजन अर्थात संगठन की वर्तमान आवश्यकता के संदर्भ में विभिन्न संवर्ग में पदों की समीक्षा करना, पुनः संरचना (रिस्ट्रक्चरिंग)।

4. कर्मचारियों की पदोन्नति एवं प्रगति करना।

5. स्टाफ की शिकायतों को दूर करके उनका कल्याण करना, सेवानिवृत्ति–देयताओं का समय पर भुगतान करना और कर्मचारियों का स्थानातंरण/तैनाती करना।

वर्ष 2017–18 के दौरान कर्मचारियों की संख्या/की गई पदोन्नतियों, ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी आदि का विवरण निम्नानुसार है:–

12.1.2 दिनांक 31.03.2018 को कर्मचारियों की स्थिति

समूह	क	ख	ग	कुल (नियमित कर्मचारी)	वर्क चार्ज (नियमित)
	418	1704	1951	4073	5285

12.1.3 की गई पदोन्नतियां

समूह	क	ख	ग	कुल
	152	218	277	647

प्रदान की गई ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी

	क	ख	ग	कुल
ए.सी.पी.	02	15	33	50
एम.ए.सी.पी	13	223	84	320

12.5 दर्ज की गई वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट

समूह	क	ख	ग	कुल
	122	241	1010	1373

12.6 अचल संपत्ति रिटर्न

समूह	क	ख	ग	कुल
	331	1017	––	1348

12.7 प्रदान किया गया सीलेक्शन ग्रेड/नॉन सीलेक्शन ग्रेड

समूह	क	ख	ग	कुल
	05	25	96	126

12.8 प्रदान किया गया अग्रिम वेतनमान

समूह	क	ख	ग	कुल
	02	08	01	11

12.9 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निपटाए गए सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले

क्र.सं.	विषय	संख्या
1	सेवानिवृत्त	1269
2	मृत्य मामले	23

12.1.4 वर्ष के दौरान भर्ती प्रक्रिया

वर्ष 2017–18 के दौरान कोई भी भर्ती नहीं की गई। तथापि, वर्ष 2017–18 के दौरान स्टाफ की भर्ती के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई।

1. पदों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 18.09.2017 से 27.09.2017 तक की अवधि के दौरान आयोजित की गई।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की सं.	कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थी	टिप्पणियाँ
1.	उप निदेशक (जनसंपर्क)	01	96	परिणाम दिनांक 29.12.2017 को घोषित
2.	उप निदेशक (योजना)	07	47	–यथा–
3.	सहायक निदेशक (योजना)	12	402	–यथा–
4.	सहायक निदेशक (लिपिक वर्गीय)	15	1016	–यथा–
5.	सहायक लेखा अधिकारी	108	1815	–यथा–
6.	विधि सहायक	24	332	–यथा–
7.	सहायक अनुभाग अधिकारी	144	40138	प्रथम चरण का परिणाम दिनांक 29.12.2017 को घोषित
8.	अनुभागीय अधिकारी (उद्यान)	101	2856	परिणाम दिनांक 29.12.2017 को घोषित
9.	कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा)	06	169	प्रथम चरण का परिणाम दिनांक 29.12.2017 को घोषित
10.	आशुलिपिक ग्रेड–डी	30	5566	प्रथम चरण का परिणाम दिनांक 29.12.2017 को घोषित
11.	पटवारी	20	6967	प्रथम चरण का परिणाम दिनांक 29.12.2017 को घोषित
	कुल	**468**	**59404**	

2. सहायक लेखा अधिकारी और सहायक निदेशक (लिपिक वर्गीय) के पदों हेतु साक्षात्कार और दस्तावेजों की जांच 05.02.2018 से 08.02.2018 के दौरान की गई।

3. विधि सहायक और अनुभागीय अधिकारी (उद्यान) के पदों हेतु दस्तावेजों की जाँच 19.02.2018 से 21.02.2018 के दौरान की गई।

4. उप निदेशक (जन संपर्क) के पद हेतु साक्षात्कार का आयोजन और दस्तावेजों की जाँच दिनांक 07.03.2018 को की गई।

5. उप निदेशक (योजना) और सहायक निदेशक (योजना) के पदों हेतु साक्षात्कार का आयोजन और दस्तावेजों की जाँच 26.03.2018 को की गई।

6. निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में दूसरे चरण की परीक्षा और कौशल परीक्षा का आयोजन 14.03.2018 से 16.03.2018 की अवधि के दौरान किया गया।

क्र. सं.	पद	परीक्षा का प्रकार
1.	सहायक अनुभाग अधिकारी	दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन किया गया। परिणाम प्रतीक्षित है।
2.	कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा)	दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन किया गया। परिणाम प्रतीक्षित है।
3.	आशुलिपिक ग्रेड–डी	कौशल परीक्षा का आयोजन किया गया। परिणाम प्रतीक्षित है।
4.	पटवारी	दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन किया गया। परिणाम प्रतीक्षित है।

12.2 प्रशिक्षण विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान दि. वि. प्रा. के स्टाफ, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक ज्ञान और दक्षता को और अधिक निपुणता के साथ बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान भी करता है। यह विभाग दिल्ली और देश के अन्य भागों में अन्य व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा आयोजित अनेक बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने की कार्यवाही भी करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान ने दि. वि. प्रा. के कर्मचारियों को अपने प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कोर्स, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए और अन्य व्यावसायिक संस्थानों/एजेंसियों द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने के लिए नामित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। व्यावसायिक संस्थानों/सरकारी एजेंसियाँ जैसे कि आई.एस.टी.एम और यू.टी.सी.एस. आदि द्वारा विभागीय और बाहरी प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया गया। आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों और प्रतिभागियों की संख्या निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	कार्यक्रम की सं.	भागीदारों की संख्या
1	दि. वि. प्रा. की प्रशिक्षण संस्था द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2015.16 2016.17 2017.18	32 53 55	1360 1269 1543
2	बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दिल्ली से बाहर)	2015.16 2016.17 2017.18	7 4 10	130 30 182

विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिनमें पेंशन सॉफ्टवेयर, वित्तीय शिक्षा, फाइल ट्रेकिंग प्रणाली, आर.टी.आई.–2005, लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तन, एफ.आर./एस.आर., हिंदी कार्यशाला और कार्य स्थल पर यौन शोषण पर कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं, का आयोजन किया गया। सहायक निदेशक (उद्यान) से उप निदेशक (उद्यान) में पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कक्ष ने कुशल कर्मचारियों जैसे कि वायरमैन, इलैक्ट्रीशियन और पम्प ऑपरेटरों के री–स्किलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ–साथ कुशल कर्मचारियों की पुरुष री–स्किलिंग हेतु तीस दिन के लिए तीन समूहों (49+52+58) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रशिक्षण कक्ष ने कनिष्ठ सचिवालयी सहायकों के लिए हिंदी टंकण प्रशिक्षण और निजी सहायकों के लिए हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण का आयोजन किया।

विधि विभाग

13

13.1 विधि विभाग के प्रमुख मुख्य विधि सलाहकार हैं। विधि विभाग दि. वि. प्रा. की विभिन्न प्रशासनिक विंग द्वारा भेजे गए विधि विषयक मामलों में कानूनी राय देता है और विभिन्न नीतियों, नियमों और विनियमों का प्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त, विधि विभाग विभिन्न विंग में तैनात विधि अधिकारियों की सहायता से दि. वि. प्रा. के विरुद्ध और इसके द्वारा दायर न्यायालयी मामलों की निगरानी करता है। विभिन्न न्यायालयों में दि. वि. प्रा. के पक्ष का समर्थन करके भी यह दि. वि. प्रा. के विभिन्न विंग की सहायता करता है और इसके लिए भारत सरकार के विधि अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करता है।

13.2 वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित न्यायालय मामलों का विवरण निम्नलिखित हैः–

पिछले दो वर्षों के दौरान न्यायालयी मामलों के तुलनात्मक आंकड़े			
क्र. सं.	विषय	01.04.2016 से 31.03.2017 तक	01.04.2017 से 31.03.2018 तक
1.	वर्ष के आरंभ में कुल लंबित मामले	18798	19514
2.	वर्ष में जोड़े गए नए मामले	3493	2543
3.	वर्ष में निर्णीत मामले	2777	2114
4.	दि. वि. प्रा. के पक्ष में निर्णीत मामले	1430	1254
5.	वर्ष की समाप्ति पर कुल लंबित मामले	19514	19943

द्वारका खेल परिसर, द्वारका

सतर्कता विभाग

14

14.1 सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सेवा में भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के कार्यान्वयन और सत्यनिष्ठा की निगरानी का कार्य करता है।

14.2 दि. वि. प्रा. का सतर्कता विभाग विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को प्राप्त करता है और उनकी छानबीन करता है और गहन जांच भी करता है और जहां आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श लेकर आरोप पत्र (चीर्जशीट) तैयार करता है। सतर्कता विभाग जांच रिपोर्ट का विश्लेषण करता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के विचारार्थ अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग द्वारा अपीलों, पुनर्विचार याचिका, निलम्बन और उसकी समीक्षा और निलम्बन अवधि के नियमन का कार्य भी निपटाया जाता है। निष्कर्षतः सतर्कता विभाग शिकायतों इत्यादि की जांच के दौरान तथ्यों के आधार पर व्यवसाय में सुधार की सलाह देता है। इससे निवारक सतर्कता में सहायता मिलती है। वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18, 01.04.2017 से 31.03.2018 तक के दौरान सामान्य शिकायतों, सीवीसी मामलों एवं अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट निम्न प्रकार से हैः–

1. सामान्य शिकायतें

अवधि	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें
2015–2016	38	288
2016–2017	12	363
2017–2018	13	184

2. जांच हेतु सी. वी. सी. की लंबित शिकायतों का विवरण

वर्ष के अंत में	लंबित शिकायतों की संख्या
2015–2016	33
2016–2017	14
2017–2018	08

3. आरंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ

अवधि	जारी किए गए आरोप पत्रों की सं.	भारी दंड	मामूली दंड
2015–2016	41	26	15
2016–2017	23	22	01
2017–2018	29	27	02

4. निपटाए गए अनुशासनात्मक मामले

अवधि	निपटाए गए आरोप पत्रों की सं.	भारी दंड	मामूली दंड	दोष मुक्त किए गए
2015–2016	83	65	09	09
2016–2017	27	13	06	08
2017–2018	31	27	04	00

5. आरंभ किए गए प्रणालीगत सुधार/निवारक सतर्कता उपायः

क. सतर्कता विभाग ने दि. वि. प्रा. के सेवा वितरण प्रक्रिया की कुशलता को बढ़ाने और सतर्कता निवारक को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया है।

i) एफ. आई.एफ.ओ (पहले आओ पहले जाओ) प्रणाली की आकस्मिक जांच और औचक क्षेत्र निरीक्षण।

ii) निविदा।

iii) ई–भुगतान।

iv) आवेदकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समारोह स्थलों की ऑनलाइन बुकिंग।

v) शिकायत मामलों में स्थल निरीक्षणों के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना।

vi) ई–मापन।

vii) खाली पड़ी भूमि के लिए एस.ओ.पी.।

viii) गुम हुई फाइलों के लिए एस.ओ.पी.।

ख. अतिसंवेदनशील पदों की पहचान

केंद्रीय सतर्कता आयोग, शहरी विकास मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार सतर्कता विभाग ने संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों से रिपोर्ट/सुझावों को प्राप्त करने के बाद सूक्ष्म स्तर पर अतिसंवेदनशील पदों की पहचान की है। इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

ग. परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए नीति

दि. वि. प्रा. सुचारू कार्य और कार्य के निपटान हेतु विभिन्न विभागों के लिए परामर्शदाता नियुक्त करता है। सतर्कता विभाग द्वारा पहल किए जाने के साथ परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए सरल व कारगर नीति शुरू की गई है।

14.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताहः

सी. वी. सी के निर्देशों के अनुपालन में दि. वि. प्रा. और पूरी दिल्ली में स्थित इसके विभिन्न कार्यालयों ने 30.10.2017 से 04.11.2017 तक "मेरा लक्ष्य– भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

सतर्कता सप्ताह के पहले दिन अध्यक्ष, दि. वि. प्रा. द्वारा सभी दि. वि. प्रा. अधिकारियों और स्टाफ को प्रतिज्ञा दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह दि. वि. प्रा. कर्मचारियों को जन सेवा प्रणाली में सत्यनिष्ठा का महत्व और उसके साथ जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मनाया गया। सतर्कता सप्ताह के दौरान नागरिकों/संगठनों/दि. वि. प्रा./नागरिक सुविधा केंद्रों में आने वाले 5000 से ज्यादा आगन्तुकों को उनके कार्य के लिए प्रतिज्ञा दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लक्ष्य का प्रचार इसे दि. वि. प्रा. की वेबसाइट और बैनरों/पोस्टरों/स्टिकरों/पैम्फलेटों के द्वारा किया गया। कर्मचारियों और जनता के विचार भी निबंध प्रतियोगिता/पोस्टर बनाना/नारा लेखन/वाद–विवाद द्वारा प्राप्त किए गए। प्रतिभागियों की प्रस्तुति पर अनुभवी जजों के पैनल ने निर्णय लिया और विजेताओं को नकद पुरस्कार वितरित किए गए। उदय प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, दि. वि. प्रा. की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 03.11.2017 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का भव्य समापन समारोह कार्यक्रम हुआ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

नजारत शाखा

15

15. नजारत शाखा

वर्ष 2017–18 के दौरान नजारत शाखा के क्रियाकलाप और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

1. स्टेशनरी की खरीद।
2. कंप्यूटर कार्ट्रिज की खरीद।
3. फोटोकॉपियर कागज़ की खरीद।
4. क्रॉकरी मदों की खरीद।
5. फर्नीचर की खरीद।
6. फैक्स मशीन और फोटोकॉपियर की खरीद।
7. रबड़ की मोहर और नेम प्लेट्स तैयार करना।

नजारत शाखा का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन और कार्यालय प्रबंधन को देखना है। यह शाखा विभिन्न मदों जैसे स्टेशनरी मदें, कार्यालय फर्नीचर, कंप्यूटर पेपर, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन, टी.वी., रेफ्रीजिरेटर, क्रॉकरी, कैलकुलेटर, इंक कार्ट्रिज आदि प्राप्त करना और इन्हें जारी करना है।

15.1 आरटीआई विभाग

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक डाक (ऑफ लाइन) द्वारा 5145 आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त किए, जिनमें से 5097 आर.टी.आई. आवेदन निपटाए गए, जबकि 30 से अधिक दिनों से लंबित 48 आवेदनों को दस्तावेजों की कमी के कारण, आवेदक द्वारा भुगतान अथवा आवेदकों से स्पष्टीकरण की अपेक्षा के कारण अभी तक निपटाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 3195 ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त किए गए, जिनमें से 819 आर.टी.आई. आवेदनों का जवाब देने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है जबकि 1067 आवेदन 30 से अधिक दिन से लंबित हैं। दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों के लिए 239 केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों को भी नामित किया है।

15.2 स्टाफ क्वार्टर आबंटित शाखा

वर्ष 2017–18 के दौरान 95 नए स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए और 49 स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में परिवर्तन किया गया।

स्टाफ क्वार्टर की श्रेणी	आबंटित किए गए फ्लैट	परिवर्तन
टाइप – I	12	05
टाइप – II	36	25
टाइप – III	27	16
टाइप – IV	14	03
टाइप – V	05	–
टाइप – VI	01	–
कुल	95	49

15.3 राजभाषा अनुभाग

राजभाषा अनुभाग द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रभावशाली बनाने के लिए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 04 बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग–ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 4 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें 7 अधिकारियों और 73 कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।

सितम्बर 2017 में ''हिंदी पखवाड़ा'' मनाया गया जिसमें हिंदी वाद–विवाद, हिंदी नोटिंग–ड्राफ्टिंग, हिंदी निबंध (केवल समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के लिए), हिंदी निबंध (केवल समूह 'घ' के लिए), हिंदी सामान्य ज्ञान, हिंदी सुलेख एवं हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में कुल 314 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में दिए गए पुरस्कारों की कुल राशि 1,10,600/– रुपए है। ''हिंदी पखवाड़ा'' के दौरान हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मुख्य अभियंता (द्वारका) कार्यालय और मुख्य अभियंता (परियोजना) कार्यालय का क्रमशः 22.09.2017 और 17.10.2017 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के लिए हिंदी विभाग ने प्रश्नावली भरने, अनुवाद और टाइपिंग कार्य करने के लिए सहायता प्रदान की।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में पी.ए.सी. पैरा, सी.ए.जी. रिपोर्ट, स्थायी समिति की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, दि.वि.प्रा. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 'विकास वार्ता' पत्रिका के लेखों, प्रशिक्षण विभाग की प्रशिक्षण पुस्तिका, स्थायी समिति और संसदीय परामर्श समिति आदि के लगभग 1357 पृष्ठों का अनुवाद किया गया। दि.वि.प्रा. की वेबसाइट की सामग्री का पूर्ण रूप से हिंदी में अनुवाद भी किया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले फार्मों, मानक–पत्रों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, निविदाओं, विज्ञापनों, आदेशों, परिपत्रों और विभिन्न विभागों के संस्थापना आदेशों का अनुवाद भी किया गया।

15.4 जन संपर्क विभाग

दि.वि.प्रा. का जन संपर्क विभाग भुगतान सहित अथवा भुगतान रहित प्रचार द्वारा संगठन की छवि बनाने से संबंधित कार्यकलाप करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य करता है। इसके अन्य मुख्य कार्यकलापों में विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन दरें तय करना, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाना, निदेश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं आदि त्रैमासिक विभागीय पत्रिका का प्रकाशन शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग प्रेस सम्मेलनों, प्रेस संबंधी दौरे आदि की भी व्यवस्था करता है। विभिन समारोहों को कवर करने, प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करने, समाचार पत्रों के माध्यम से की गई शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती निगरानी करना, प्रतिनिधि मंडलों की अगवानी करना, प्रत्युत्तर जारी करना जैसे कुछ अन्य कार्य इस विभाग को सौंपे गए हैं।

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान की गई गतिविधियां

1. 21 प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में) जारी की गई, जिनमें अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों और आयोजित किए गए समारोहों का विवरण दिया गया। इन प्रेस विज्ञप्तियों को प्रिंट के साथ–साथ श्रव्य–दृश्य मीडिया में भी कवर किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित दि.वि.प्रा. का समाचार वर्जन संबंधित विभागों से सूचना एकत्रित करने के बाद समाचार–पत्रों को दिया गया।

2. दूरदर्शन पर ''डेटलाइन–दिल्ली'' के नाम से दि.वि.प्रा. की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक दृश्य–श्रव्य कैप्सूल जुलाई 2006 से प्रत्येक पखवाड़े में दिखाया जा रहा है। दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान इनपुट तैयार किया गया और 12 कड़ियों का प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया।

3. 82 विज्ञापनों (हिंदी और अंग्रेजी) के डिज़ाइन एवं अभिन्यास तैयार करने के बाद अभियानों सहित इन विज्ञापनों को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

4. विभिन्न समाचार पत्रों में छपी 3 प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और संपादक को 3 पत्र (खंडन पत्र) जारी किए गए।

5. स्वागत–कक्ष में कंप्यूटरीकृत प्राप्ति एवं प्रेषण काउंटरों के द्वारा 67295 पत्र प्राप्त हुए और 59630 पत्र प्रेषित किए गए।

6. पुस्तकालय के लिए 258 नई पुस्तकें खरीदी गईं। दैनिक समाचार पत्रों में से दि.वि.प्रा. से संबंधित लगभग 3411 कतरनें काटी गई और वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी अथवा प्रतिक्रिया यदि कोई हो के लिए परिचालित की गई।

7. वर्ष 2016–17 की प्रशासनिक रिपोर्ट को संकलित करने, डिजाइन करने और मुद्रण का कार्य भी किया गया।

8. दिल्ली विकास वार्ता के चार संकलनों का सम्पादन, मुद्रण और वितरण किया गया।

9. फोटो अनुभाग ने 71 समारोहों को कवर किया। 6245 फोटोग्राफ लिए गए और 1887 फोटोग्राफ डेवलप व मुद्रित किए गए तथा प्रकाशन और रिकार्ड के लिए जारी किए गए।

10. संदर्भाधीन अवधि के दौरान, वर्ष 2018–19 के लिए संविदा विज्ञापन दरों को विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्र प्रकाशनों के साथ बातचीत करके तय किया गया और वर्ष 2017–18 के लिए अनुमोदित संविदा दरों से ऊपर की दरों में वृद्धि को कोई अनुमति नहीं दी गई।

15.5 जन शिकायत निवारण प्रणाली

दिनांक 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक ऑफ लाइन मामलों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त वी.आई.पी./एम.पी. संदर्भ

1.	31.07.2017 को लंबित बी/एफ	79
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	3
3.	वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई	52
4.	31.03.2018 को लंबित	30

उपाध्यक्ष संदर्भ

1.	निदेशक (पी.जी.) से प्राप्त जन शिकायतें	65
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	110
3.	वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/ की गई कार्रवाई	25
4.	31.03.2018 को लंबित	150

निदेशक (पी जी) से प्राप्त जन शिकायतें

1.	31.07.2017 को लंबित बी/एफ	74
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	27
3.	वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई	4
4.	31.03.2018 को लंबित	97

कैबिनेट सचिवालय से प्राप्त संदर्भ (डीपीजी)

1.	वर्ष के दौरान प्राप्त	13
2.	वर्ष के दौरान उत्तर दिए गए	11
3.	31.03.2018 को लंबित	2

शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त जन शिकायतें

1.	31.03.2017 तक लंबित बी/एफ (1.048–662*)	386
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	322
3.	वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई	164
4.	31.03.2018 को लंबित	544

* कुल 1048 संदर्भों में से 189 डुप्लीकेट संदर्भों एवं 473 ऑनलाइन संदर्भों को शामिल नहीं किया है।

हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

रिपोर्टः दिनांक 15.05.2016

शिकायत के स्रोत	शेष बी/एफ	अवधि के दौरान आवती	कुल आवती	अवधि के दौरान निपटाए गए मामले	31.03.2018 को अंत शेष	15.05.2018 को अंत शेष	जिसको मूल्यांकन किया जाता है	हमारे कार्यालय में	अधीनस्थ कार्यालयों के साथ
डी.ए.आर. पी.जी.	16	107	123	113	10	15	0	0	15
डी.पी.जी.	41	85	126	102	24	18	0	0	18
स्थानीय/इंटरनेट	85	1204	1289	1193	96	100	2	10	88
पेंशन	8	33	41	36	5	4	0	2	2
पी.एम.ओ.	177	1378	1555	1427	128	138	0	8	126
राष्ट्रपति सचिवालय	0	4	4	3	1	1	0	0	1
कुल	**327**	**2811**	**3138**	**2874**	**264**	**276**	**2**	**20**	**250**

वज़ीरपुर डिपो स्थित फ्लाईओवर

कोटि आश्वासन कक्ष

16

16.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण ''ग्राहक ही सर्वोपरि है और वह लाभान्वित होना चाहिए'' को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवत्ता को मात्र दि. वि. प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न अनुभागों में ही सुनिश्चित नहीं किया जाता, बल्कि इंजीनियरिंग और उद्यान विंग के सभी निर्माण एवं विकास कार्यों में भी सुनिश्चित किया जाता है।

16.2 निर्माण की कोटि के पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग का कार्य क्षेत्रीय स्तर पर कनिष्ठ अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं अधिशासी अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से किया जाता है और आंतरिक रूप से अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंताओं के स्तर पर भी नियमित जांच की जाती है और बाहरी रूप से दि. वि. प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष के स्तर पर उन कार्यों की समय–समय पर निरीक्षण करके भी जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदा शर्तें विनिर्देशों और ड्राइंगों का अनुपालन सख्ती से किया जाता है।

16.3 कोटि आश्वासन कक्ष का गठन वर्ष 1982 में किया गया था, जिसमें 9 कनिष्ठ अभियंता, 10 सहायक अभियंता (8 सिविल और 2 विद्युत), 7 अधिशासी अभियंता (6 सिविल और 1 विद्युत), एक उप निदेशक (उद्यान) और एक अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। कोटि आश्वासन कक्ष के प्रमुख मुख्य अभियंता हैं। कोटि आश्वासन की यह इकाई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, जो सामग्री और कारीगरी की कोटि ही नहीं देखती है, बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, कॉन्ट्रेक्ट डॉक्यूमेंट्स, विनिर्दिष्टयों आदि की कोटि का भी निरीक्षण करती है और समय–समय पर दिशा–निर्देश परिपत्र आदि जारी करती है। तृतीय पक्ष कोटि आश्वासन एजेंसियों द्वारा दी गई टिप्पणियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा परिपत्र संख्या 213 जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कोटि आश्वासन कक्ष टी.पी.क्यू.ए. की निरीक्षण रिपोर्टों की निगरानी भी करें।

बड़े कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली आरंभ की गई है और सी.आर.आर.आई, ए.सी.सी.बी.एम., आई.आई.टी, आर.आई.टी.ई.एस., श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च आदि एजेंसियां परामर्शदाताओं के रूप में अनुबंधित की गई हैं। कार्यों को करने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के कुल सैम्पलों के 10 प्रतिशत को लेकर कोटि आश्वासन कक्ष स्वयं तृतीय पक्ष के साथ आवश्यक जांच करते हैं, ताकि सामग्री की कोटि सुनिश्चित की जा सके। टी.पी.क्यू.ए. की नियुक्ति और टी.पी.क्यू.ए. की भूमिका से संबंधित नीति संशोधन के अधीन है।

16.4 कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा मुख्य परियोजनाओं की जांच कम से कम दो स्तरों अर्थात फाउन्डेशन स्तर और सुपर स्ट्रक्चर स्टेज पर तथा तीसरी बार अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा. के अनुमोदन से अथवा कोई शिकायत मिलने पर की जाती है। कार्य पद्धति के पहलू, सामग्री के पहलू और कारीगरी के पहलू के तहत रिकॉर्ड्स के रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसकी कोटि लेखा परीक्षा के दौरान विधिवत जांच की जाती है यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे उपयुक्त और प्रभावी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई और नैदानिक उपायों हेतु अविलंब संबंधित अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है और टिप्पणियों के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कोटि आश्वासन कक्ष को कार्य सलाहकार बोर्ड द्वारा दि. वि. प्रा. की प्रमुख परियोजनाओं में विविध फैक्ट्रियों में निर्मित सामग्रियों का निरीक्षण करने एवं सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी के स्तरों की समुचित रिकॉर्डिंग को सुनिश्चित करने का कार्य भी सौंपा गया है।

16.5 अपनाई गई विनिर्दिष्टयों और प्रौद्योगिकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और वर्तमान आवश्यकताओं और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाता है। नई निर्माण सामग्री के उपयोग, नई तकनीकों जैसे आवासीय परियोजनाओं में प्रीफैब तकनीक, मिश्रित डिजाइन के प्रयोग/आर.एम.सी. आदि का उपयोग करने को बढ़ावा दिया गया है। कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना, समय और लागत पर नियंत्रण किया जाता है। कार्यात्मक आवश्यकताओं सौन्दर्य और भवन की संरचनागत मजबूती की प्रभावकारी रूप से निगरानी की जाती है।

16.6 दि. वि. प्रा. सेवाओं और कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने में लगातार प्रयास कर रहा है। विभिन्न निरीक्षणों के दौरान फील्ड स्टाफ के साथ बातचीत की जाती है, ताकि गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध सुझाव समाने आ सकें। उनकी दक्षता में सुधार हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि आश्वासन कक्ष के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टाफ को नियमित रूप से भेजा जाता है।

16.7 लंबे समय से लंबित कोटि आश्वासन के पैरा का निपटान करने और 31.03.2005 तक के मामलों को समाप्त करने के लिए कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा एक अभियान चलाया गया। जिन पैरा में कोई वित्तीय अड़चन नहीं थी, उनका निपटान किया गया और काफी संख्या में मामले को बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप, काफी संख्या में मामले अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। प्रक्रियात्मक पैरा को निपटाने के लिए जोनल मुख्य अभियंताओं को क्षेत्राधिकार सौंपने के प्रयास किए गए। कोटि आश्वासन कक्ष ने केवल उन्हीं पैरा को रखा, जिनमें वित्तीय अड़चन थी अथवा जिनमें विशेष महत्वपूर्ण तकनीकी मामला शामिल था। कोटि आश्वासन कक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय अभियंताओं तथा निरीक्षण के दौरान अभियंताओं के बीच बातचीत में सलाहकार के रूप में भूमिका निभाई है।

16.8 जब कभी भी उपाध्यक्ष, अभियंता सदस्य और सतर्कता कक्ष के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम से जांच कराई जाती है और यदि कोई सतर्कता संबंधी बात शामिल होती है, तो सतर्कता कक्ष द्वारा उस पर ध्यान दिया जाता है।

16.9 कार्यों के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित तथा विश्वसनीय लैब में इसकी जांच कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोटि आश्वासन कक्ष के एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स में साधनों से सज्जित एक जांच लैब को दो सहायक अभियंताओं और दो कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा संचालित किया जाता है। इस लैब में विभिन्न सामग्रियों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल की दैनिक रूप से जांच कराई जाती है। निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम एकत्रित यादृच्छिक नमूनों की अक्सर इस लैब में जांच कराई जाती है। कुल मिलाकर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए जांच की वर्तमान पद्धति को सरल एवं कारगर बनाया गया है और इस संबंध में संशोधित निर्देशन जारी किए जा रहे हैं और अन्य लैबों में कम से कम 10 प्रतिशत नमूनों को जांच के लिए देने पर बल दिया जाता है। जैसे श्री राम टेस्ट हाउस, अनेक निजी जांच प्रयोगशालाएं आदि भी सामग्रियों की जांच के लिए दि. वि. प्रा. के पैनल में हैं।

16.10 दि. वि. प्रा. के कोटि आश्वासन कक्ष ने आई.एस./आई.एस.ओ 9001:2008 लाइसेंस प्राप्त किया है। कोटि आश्वासन कक्ष आई.एस.ओ. 9001:2008 की कोटि प्रबंध प्रणाली जो संघटनात्मक प्रोफाइल, कोटि प्रबंध, प्रशासन कोटि नीति और कोटि उद्देश्य, कोटि प्रबंध प्रणाली, प्रबंध दायित्व, साधन प्रबंध, सर्विस रियलाइजेशन आदि को बेहतर बनाने पर जोर देता है पद्धति के अनुसार कोटि प्रणाली और संकलित कोटि मैन्युअल में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किए हैं। सभी अपेक्षित मानदंडों को पूरा किए जाने के बाद ही दि. वि. प्रा. कोटि आश्वासन कक्ष को आई.एस./आई.एस.ओ 9001:2008 लाइसेंस प्राप्त हुआ और भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.), दि. वि. प्रा. द्वारा अंगीकृत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संतुष्ट था। भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्ज) ने मार्च 2007 में दि. वि. प्रा. को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2000 के ''कोटि प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस सीआरओ/क्यूएससी/एल–800 2720'' प्रदान किया। प्रत्येक वर्ष प्रमाणीकरण की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक तीन वर्ष बाद इसका नवीकरण किया गया और यह पिछली बार 16.08.2016 को नवीकरण किया गया जो दिनांक 14.09.2018 तक वैध है। कोटि आश्वासन कक्ष आई.एस./आई.एस.ओ. लाइसेंस को आई.एस.ओ. 9001:2008 से आई.एस.ओ. – 9001:2015 में इस वर्ष के अंत तक अपग्रेड करवाने जा रहा है।

16.11 कोटि आश्वासन कक्ष और प्रणाली शाखा द्वारा किए गए कार्य और विभिन्न एजेंसियों को किए गए भुगतान के ई–मापन के लिए कार्यालय में एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया था। यह ऐप 1.50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए दिनांक 01.11.2015 को शुरू किया गया था और तत्पश्चात सभी वास्तविक कार्यों, रखरखाव कार्यों और छिटपुट व्ययों के सभी भुगतान इस मोबाइल ऐप के द्वारा किए जाते हैं। निष्पादन एजेंसियों को भुगतान हेतु फील्ड डिवीजनों द्वारा रिकॉर्ड किए गए कार्य की विभिन्न मदों हेतु मापकों का विवरण पिछले वर्ष से पारदर्शिता हेतु पब्लिक डोमेन में शेयर किया जा रहा है।

16.12 पिछले दो वर्षों के लिए उपलिब्धयों के तुलनात्मक आंकड़ें और वर्ष 2017–18 के दौरान उपलब्धियों तथा वर्ष 2018–19 के लिए लक्ष्य निम्न तालिका में दिए गए हैं:–

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18		2018-19 के लिए लक्ष्य
				(लक्ष्य)	(उपलब्धियाँ)	
1	निरीक्षण	132	168	180	187	215
2	तकनीकी लेखा परीक्षा	02	01	07	–	07
3	सी.टी.ई. टाइप निरीक्षण	–	01	07	–	04
4	सामग्रियों के नमूने	492	623	370	615	320
5	फाइलें बंद करना	97	89	108	28	100
6	शिकायतों की जांच	57	21	जैसे और जब प्राप्त	26	जैसे और जब प्राप्त
7	क्यू.ए. लैब में सामग्रियों की जांच					
	i) निरीक्षण के दौरान क्यू.ए.सी. द्वारा इकट्ठे किए गए सैंपल	77	137	180	77	120
	ii) जोनों से फील्ड स्टाफ द्वारा लाए गए सैंपल	6234	6180	9300	10813	14100
8	औचक निरीक्षण	7	7	7	1	7

द्वारका खेल परिसर

इन्द्रप्रस्थ पार्क

दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली–110023
www.dda.org.in